अंक ३ —४

संख्या १

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

सदस्यों द्वारा शपक ग्रहण [पृष्ठ भाग १]
प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १—४८]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४८—८४]

(मूल्य ४ आने)

7 P.S.D.

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)
अग्रवाल, प्रो० श्रीमन्नारायण (वर्धा)
अग्रवाल, श्री होती लाल [जिला जालौन व जिला इटावा (पश्चिम) व जिला झांसी (उत्तर)
अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल [जिला पीलीभीत व जिला बरेली (पूर्व)]
अचलू, श्री सुंकम, (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अचल सिंह, सेठ (जिला आगरा—पश्चिम)
अचिन्त राम, लाला (हिसार)
अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगन्नूर)
अजीत सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही-पाली)
अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)
अब्दुल्लाभाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)
अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)
अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां)
अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)
अमृत कौर, राजकुमारी (मन्डी-महासु)
अय्यंगार, श्री एम० अनन्तशयनम (तिरुपति)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (चिंगलपट)
अलवा, श्री जोशिम (कनारा)
अस्थाना, श्री सीता राम (जिला आज़मगढ़—पश्चिम)
अहमद मुहिउद्दीन, श्री (हैदराबाद नगर)

आ

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली—पश्चिम)
आज़ाद, श्री भगवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)
आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)
आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहिम, श्री ए० (रांची उत्तर पूर्व)
इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इयुन्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)
इलयापेरूमल, श्री एल० (कुडलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मांडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़—पूर्व)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)
उपाध्याय, श्री शिव दयाल (जिला बांदा व जिला फतहपुर)

ए

एबनजिर, डा० एस० ए० (विकाराबाद)
एन्थनी, श्री फ्रेंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुरई--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर-- उत्तर-- रक्षित-- अनुसूचित जातियां)
कतम, श्री वीरेन्द्रनाथ (उत्तर---बंगाल--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचनगोड)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद उत्तर-पश्चिम)
करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़--उत्तर)
कर्णी सिंहजी, हिज़ हाईनेस महाराजा श्री बहादुर आफ बीकानेर (बीकानेर-चुरु)
कास्लीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा-झालावाड़)
कांबले, श्री देवरोआ नामदेवरोआ पत्रीकर (नान्देड़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
काचिरोयर, श्री एन० डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मुहम्मद अहमद (जिला सुल्तानपुर--उत्तर व जिला फैजाबाद--दक्षिण-पश्चिम)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुतूर)
काले, श्रीमती अनुसूया बाई (नागपुर)
किदवई, श्री रफी अहमद (जिला बहराइच--पूर्व)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री बैज नाथ (जिला प्रतापगढ़--पश्चिम व जिला रायबरेली--पूर्व--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई देहली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (जिला मथुरा--पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम्)
केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)
केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर--उत्तर)
केसकर, डा० बी० वी० (जिला सुल्तानपुर--दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुरा)
कोसा, श्री मुचाकी (बस्तर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
कौशिक, श्री पन्नालाल आर० (टोंक)

ख

खरे, डा० एन० बी० (ग्वालियर)
खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापूर व सतारा)
खान, श्री शाहनवाज़ (जिला मेरठ--उत्तर पूर्व)
खान, श्री सादत अली (इब्राहीमपटनम्)
खीमजी, श्री भवान जी ए० (कच्छ पश्चिम)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)
खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त जिले--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व जिला बाराबंकी--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपतिराम, श्री [जिला जौन पुर (पूर्व) रक्षित--अनुसूचित जातियां]
गांधी, श्री मानिक लाल मगन लाल (पंच महल व बड़ौदा पूर्व)
गांधी, श्री फीरोज [जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम) व जिला राय बरेली (पूर्व)]
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर--उत्तर)
गाडगिल, श्री नरहर विष्णु (पूना मध्य)
गिडवानी, श्री चोयथ राम परताबराय (थाना)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटनम्)
गिरिराज सरण सिंह, श्री (भरतपुर-सवाई माधोपुर)
गुप्त, श्री बादशाह (जिला मैनपुरी—पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम कादिर खान (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्नानूर)
गोपीराम, श्री (मंडी-महासु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला-जबलपुर-दक्षिण)
गोहैन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गौड, श्री टी० मादय्या (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेल (पैरियाकुलम्)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्त्ती, श्रीमती रेणु (बसीरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्री रामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपूर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)
चांडक, श्री बी० एल० (बेतूल)
चतुर्वेदी, श्री रोशनलाल (जिला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चरक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चाको, श्री पी० टी० (मीनाचिल)
चावदा, श्री अकबर (बनस्कंठ)
चिनारिया, श्री हीरासिंह (महेन्द्रगढ़)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशी लिंगम् (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चोधरी, श्री रणबीर सिंह (रोहतक)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटाल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री गनेशी लाल [जिला शाहजहांपुर (उत्तर) व खेरी (पूर्व) रक्षित—अनुसूचित जातियां]
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाडे श्री रामराज (संथाल परगना व हजारीबाग)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरमन, श्री ए० (टिडिवनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेदक)
जसानी, श्री चतुर्भुज वी० (भंडारा)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटववीर, श्री डा० मानिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेठन श्री खेरवार (पालामऊ व हजारी बाग व रांची—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (ढेनकनाल–पश्चिम कटक—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर–क्योंझर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (जिला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (जिला सहारनपुर—पश्चिम व जिला मुजफ्फरनगर—उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (जिला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (जिला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि—दक्षिण)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर–राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झुंनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (जिला इलाहाबाद-पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरणाकुलम्)

टामस, श्री ए० वी० (श्रीबैकुंठम्)

टेक चन्द, श्री (अम्बाला–शिमला)

ड

डामर, श्री अमर सिंह साबजी (झबुआ—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तालिब, श्री प्यारे लाल कुरील (जिला बांदा व जिला फतहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिरुकुरलार, श्री वी० मुनिस्वामी अ० ल० (टिंडीवनम्)

तिवारी, श्री राम सहाय (छतरपुर-दतिया–टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारकानाथ (सारन—दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री बैंकटेश नारायण (जिला कानपुर उत्तर व जिला फर्रुखाबाद—दक्षिण)

तीर्थ, स्वामी रामानन्द (गुलबर्गा)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर-झड़ग्राम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

तुलसी दास किलाचन्द, श्री (मेहसाना—पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (जिला देहरादून व जिला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व जिला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरावल्लभ (जिला मुजफ्फर-नगर—दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्य प्रसाद (दर्रग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (जिला उन्नाव व जिला बरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण पूर्व)

त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री (जिला बनारस—पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजी भाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बारगढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

दत्त, श्री वीरेन (त्रिपुरा—पश्चिम)

दाभी, श्री फूलसिंह जी० बी० (कैरा—उत्तर)

दामोदरन, श्री नेतूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांव—उत्तर)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा—मध्य)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीर भूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री बी० (जाजपुर-क्योंझर)

दास, श्री बसन्त कुमार (कौन्टाई)

दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)

दास, श्री बेली राम (बारपेटा)

दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)

दास, श्री सारंधर (ढेनकनाल-पश्चिम कटक)

दिगम्बर सिंह, श्री [जिला एटा (पश्चिम) व जिला मैनपुरी (पश्चिम) व जिला मथुरा (पूर्व)]

दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (मुजफ्फरपुर—उत्तर पूर्व)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)

दुबे, श्री मूल चन्द [जिला फर्रुखाबाद (उत्तर)]

दुबे, श्री उदय शंकर [जिला बस्ती (उत्तर)]

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

देव, हिज़ हाईनेस महाराजा राजेन्द्रनारायण सिंह (कालाहांडी-बोलनगिर)

देव, श्री चंडीकेश्वर सिंह जू (सुरगुजा-रायगढ़)

देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ी)

देवगम, श्री कान्हूराम (चैबस्सा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)

देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)

देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)

देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)

देशमुख, श्री चिंतामण द्वारकानाथ (कोलाबा)

देसाई, श्री कन्हैया लाल नाना भाई (सूरत)

देसाई, श्री खंडू भाई कासन जी (हालार)

द्विवेदी, श्री एम० एल० (जिला हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर मध्य)

ध

घूलेकर, श्री आर० वी० [जिला झांसी (दक्षिण)]

घुसिया, श्री सोहन लाल [जिला बस्ती (मध्य पूर्व) व जिला गोरखपुर (पश्चिम) — रक्षित — अनुसूचित जातियां]

धोलकिया, श्री गुलाबशंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकंठ)

नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपत (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)

नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम्)

नरसिंहन, श्री सी० आर० (कृष्णगिरी)

नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)

नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नानादास, श्री मंगलगिरी (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नामधारी, श्री आत्मासिंह (फाजिल्का-सिरसा)

नायडू, श्री नल्ला रेड्डी (राजमुंद्री)

नायर, श्री ए न० श्री कान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)

नायर, श्री वी० पी० (चिरायिनकिल)

नायर, श्रीमती शकुन्तला (जिला गोंडा—पश्चिम)

नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलदुर्ग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व)

नसेवी, श्री टी० आर० (धारवाड़—दक्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नगरकोइल)

नेहरू, श्रीमती उमा (जिला सीतापुर व जिला खेरी पश्चिम)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद—पूर्व व जिला जौनपुर—पश्चिम)

प

पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी (जिला लखनऊ—मध्य)

पटनायक, श्री उमा चरण (घमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर—उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन बल्लभभाई (कैरा—दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा)

पन्त, श्री देवी दत्त (जिला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)

पन्नालाल, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भाव जी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम — रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वैकंटराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)

पांडे, डा० नटवर (साम्बलपुर)

पांडे, श्री सी० डी० (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर)

पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर—दक्षिण)

पाटिल, श्री पी० आर० कानाबड़े (अहमदनगर—उत्तर)

पाटिल, श्री शंकर गौड वीरन गौड (बेलगांव—दक्षिण)

पारिख, डा० जयंती लाल नरवरम् (झालावाड़)

पारिख, श्री शान्ति लाल गिरधारी लाल (मेहसाना पूर्व)

पिल्ले, श्री पी० टी० धानु (तिरुनलवेली)

पुन्नस, श्री पी० टी० (आल्लप्पी)

पोकर साहब, जनाब बी० (मलप्पुरम्)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पंडित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमंडी लाल (झज्जर-रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (जिला बदायूं—पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर-झड़ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोजपुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बृजेश्वर प्रसाद, श्री (गया - पूर्व)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सुरगुजा-रायगढ़—रक्षित अनुसूचित जातियां)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर-झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन् एस० सी० (इरोड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालसुब्रह्मण्यम्, श्री एस० (मदुरई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (जिला बुलंदशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री सी० आर० (टुमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री [जिला जौनपूर (पूर्व)]
बुच्चिकोटय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर-उत्तर लखीमपुर)
बरुआ, श्री दव कान्त (नौगाव)
बूवराधसामी, श्री वी० (पैरांवलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर—दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)
ब्रह्म, श्री चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भंडारी, श्री दोलत मल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री [जिला गढ़वाल (पूर्व) व जिला मुरादाबाद (उत्तर पूर्व)]
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालौर)
भार्गव पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर—दक्षिण)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवतमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम राम चन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा-डुंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
भोय, श्री गिरधारी (कालाहांडी-बोलनगिरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भोंसले, श्री जगन्नाथ राव कृष्णराव (रत्नगिरी—उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बाकुंरा—रक्षित - अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरन तारन)

मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनड़ा—उत्तर)
मल्लूडोरा, श्री गाम (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मस्करीन, कुमारी ऑनी (त्रिवेन्द्रम्)
मसुरिया दीन, श्री (जिला इलाहाबाद—पूर्व व जिला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महता, श्री अनूप लाल (भागलपुर व पूर्निया)
महता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
महता, श्री बलवन्त राय गोपाल जी (गोहिलवाड़)
महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरि (मानभूम दक्षिण व घालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायणसिंह (सुन्दारगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
महेन्द्रनाथ सिंह, श्री (सारन मध्य)
महोदय, श्री बैजनाथ (नीमार)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माझी, श्री चैतन (मानभूम—दक्षिण व घालभूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मातन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना—दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व जिला बस्ती—पश्चिम)
मालवीय, श्री मोतीलाल (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़ — रक्षित — अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)
मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (जिला बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर—उत्तर-पश्चिम) मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)
मिश्र, प्रो० श्याम नन्दन (दरभंगा—उत्तर)
मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (जिला देवरिया—दक्षिण)
मिश्र, पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर—उत्तर-पूर्व)
मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)
मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)
मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)
मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)
मिश्र, श्री विज्ञश्वर (गया—उत्तर)
मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व)
मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व)
मुतुकृष्णम्, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुदलियार, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोणम्)
मुरली मनोहर, श्री (जिला बलिया—पूर्व)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झुंझुनू)
मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुसाफिर, श्री गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्लामुद्दीन, श्री (पूर्निया—उत्तर-पूर्व)
मुहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मुहम्मद सईद मसूदी, मौलाना (जम्मू तथा काश्मीर)
मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरू)
मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोझिकोडे)
मैथयू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयाम)
मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)
मोरे, श्री शंकर शान्ताराम (शोलापुर)
मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सवारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोटा (तेनालि)
रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस–मध्य)
रघुबीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा–पूर्व)
रज़मी, श्री सेयदऊल्ला खां (सिहोर)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सिद्धि–रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राधवय्या, श्री पिशुपति बैंकट (ओंगोल)
राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)
राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राज बहादुर, श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)
राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)
राम चन्द्र, श्री डोरास्वामी पिल्ले (वेल्लोर)
राम नगीना सिंह, श्री (ज़िला गाजीपुर—पूर्व—जिला बलिया—दक्षिण पश्चिम)
रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारी बाग—पश्चिम)
राम शेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामसामी, श्री एम० डी० (अरुपकुट्टई)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम शंकर लाल, श्री (ज़िला बस्ती—मध्यपूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
राम शरण, प्रो० (जिला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहाबाद—दक्षिण)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री विश्वनाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलूबेरिया)
राय जी, श्रीमती जयश्री (बम्बई—पनगर)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मानाबाद)
राव, श्री पेंड्याल राघव (वरंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनड़ा—दक्षिण)
राव, श्री कनेटी मोहन (राजमुंड़ी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)
राव, चौधरी बी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० बिठ्ठल (खम्मम)
राव, श्री रायासम शेषगिरि (नंदयाल)
रिचर्डसन, बिशप जांन (नाम निर्देशित—अण्डमान तथा निकोबार द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्यमणिपुर—रक्षित अनुसूचित—आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री बाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेडडी, श्री हलहर्वी सीताराम (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री ब हुम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लंका सुन्दरम, डा० (विशाखापटनम्)
लिंगम्, श्री एन० एम० (कोयम्बटूर)
लल्लन जी, श्री (ज़िला फ़ैजाबाद—उत्तर-पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)
लालसिंह, सरदार (फ़ीरोज़पुर–लुधियाना)

लाश्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कंचार--लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लैंस राम जोगेश्वर सिंह, श्री (आन्तरिक मणिपुर)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व जिला फ़र्रुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री राम जी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लातरास, श्री के० एम० (पुद्दकोटई)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परभाणी)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जालन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्जापुर व जिला बनारस—पश्चिम)
विश्वानाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीर स्वामी, श्री वी० (मयूरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटारमन् श्री आर० (तंजौर)
बैलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्त राव गणेश राव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमांगा)
व्यास, श्री राघेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार-कोविल)
शर्मा, श्री राधा चरण (मुरेना भिंड)
शर्मा, श्री नन्द लाल, (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ—पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्णचन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर—दक्षिण व जिला इटावा—पूर्व)
शास्त्री, पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (ज़िला उन्नाव व जिला राय बरेली—पश्चिम—ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर—मध्य)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)
शाह, श्री रायचन्द भाई (छिन्दवाड़ा)
शाह, हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दुमती (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सोरठ)
शिवनंजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शिव, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवतीचरण (दुर्ग-बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलबनी—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां)
सखारे, श्री टी० सी० (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सक्सेना, श्री मोहनलाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सरमा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)

सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री रघुवीर (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)
सहाय, श्री श्यामनन्दन (मुज़फ्फ़रपुर—मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुज़फ्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण
सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हासन-चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा—पूर्व)
सिन्हा, श्री अग्घेश्वर प्रताप (मुज़फ़्फ़रपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग—पूर्व)
सिन्हा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, डा० सत्यनारायण (सारन—पूर्व)
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना—मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन—उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना—पूर्व)
सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)
सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुज़फ़्फ़रपुर—उत्तर—पश्चिम)
सुन्दरलाल, श्री (जिला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ्फ़रनगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूफ़ी, श्री मुहम्मद अकबर (जम्मू तथा काश्मीर)
सूर्य्य प्रसाद, श्री (मुरेना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया—मध्य)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमोर)
सेय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सेय्यद महमूद, डा० (चम्पारन—पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागोर पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्निया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री एन० आर० एम० (बान्दिवाश)
स्वामी, श्री शिवमूर्त्ति (कुष्टगी)
स्वामी नाथन, श्रीमती अम्मू (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्रनाथ (डिब्रूगढ़)
हर प्रसाद सिंह, श्री (ज़िला गाज़ीपुर—पश्चिम—
हरिमोहन, डा० (मानभूम—उत्तर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
हरिशंकर प्रसाद, श्री (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)
हिफज्जुर्रहमान, श्री एम० (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला-भटिंडा)
हेडा, श्री एच ० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हेम राज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्त शयनम् अय्यंगार

सभापतियों की सूची

पण्डित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री एन० सी० चटर्जी
श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती

सचिव

श्री एम० एन० कौल बैरिस्टर-एट-ला

सचिव के सहायक

श्री एस० एल० शकधर
श्री एन० सी० नन्दी
श्री डी० एन० मजुमदार
श्री बाबू मल
श्री ई० एण्ड्रयूस

याचिका समिति

पण्डित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
प्रो० सी० पी० मैथ्यू

लोक लेखा समिति, १९५२-५३

श्री बी० दास (प्रधान)
पण्डित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्री श्रीनारायण दास
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह

श्री रणबीर सिंह चौधरी
आचार्य श्री मन्नारायण अग्रवाल
डा० मन मोहन दास
पण्डित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री उमाचरण पटनायक
श्री बी० पो० नायर
श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी
श्री जी० डी० सोमानी
श्री के० एम० बल्लातरास

आंक समिति १९५२-५३

श्री एम० अनन्त शयनम् अय्यंगार **(प्रधान)**
श्री बी० शिव राव
श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या
पण्डित ठाकुर दास भार्गव
श्री बलवन्त राय गोपाल जी महता
श्री नित्यानन्द कानूनगो
श्री मोहन लाल सक्सेना
श्री आर० वेंकटरमन
श्री बाली राम भगत
श्री अरुण चन्द्र गुहा
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
पण्डित बालकृष्ण शर्मा
डा० सुरेश चन्द्र
श्री शिव राम रंगाराने
श्री राधेलाल व्यास
श्री देवेश्वर सरमा
डा० लंका सुन्दरम्
श्री जयपाल सिंह
श्री शंकर शान्ताराम मोरे
श्री केड्याला गोपाल राव
श्री बी० मुनिस्वामी अय्ल० तिरुकुरलार
सरदार लाल सिंह
श्री गिरराज सरन सिंह
श्री सारंगधर दास

कार्यक्रम मन्त्रणा समिति

श्री जी० वी० मावलंकर **(प्रधान)**
श्री एम० अनन्त शयनम् अय्यंगार

श्री सत्य नारायण सिन्हा
श्री हरे कृष्ण महताब
श्री नरहर विष्णु गाडगिल
श्री देव कान्त बरुआ
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री पी० टी० चाको
कर्नल बी० एच० ज़ैदी
श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन
श्री पी० टी० पुन्नूस
श्री सारंगधर दास
श्री हुक्म सिंह
श्री चण्डीकेश्वर शरण सिंह जू देव
डा० लंका सुन्दरम्

विशेषाधिकार समिति

डा० कैलाश नाथ काटजू (**प्रधान**)
श्री सत्य नारायण सिन्हा
श्री ए० के० गोपालन
डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी
श्रीमती सुचेता कृपलानी
श्री सारंधर दास
श्री बी० शिवा राव
श्री आर० बेंकटरमन
डा० सैयद महमूद
श्री राधेलाल व्यास

नियम समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (**प्रधान**)
श्री एम० अनन्त शयनम् अय्यंगार
पण्डित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिन्हा
चौधरी हैदर हुसैन
श्री ओ० वी० अलगेशन
पण्डित अलगू राय शास्त्री
श्री ए० के० बसु
श्री आर० जी० दुबे
डा० एन० एम० जयसूर्य
श्री के० केलप्पन

श्री एन० सी० चटर्जी
एच० एम० महाराज राजेन्द्र नारायण सिंह देव
श्री जयपाल सिंह
श्री के० सुब्रह्मण्यम्

सदन समिति

श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या **(प्रधान)**
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री हल हर्वी सीता राम रेड्डी
श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन
कर्नल बी० एच० ज़ैदी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री के० ए० दामोदर मैनन
श्री सारंगधर दास
श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर

भारत सरकार

मंत्रिमण्डल के सदस्य

प्रधानमन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

संचरण मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर

रक्षा मंत्री—श्री एन० गोपाल स्वामी अय्यंगार

वित्त मंत्री—श्री चिन्तामण द्वारका नाथ देशमुख

योजना तथा सिंचाई व विद्युत मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री—डा० कैलाश नाथ काटजू

खाद्य तथा कृषिमंत्री—श्री रफ़ी अहमद किदवई

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री सी० सी० बिस्वास

रेल तथा यातायात मन्त्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

श्रम मंत्री—श्री वी० वी० गिरि

उत्पादन मंत्री—श्री के० सी० रेड्डी

मन्त्रिमंडल की कोटि के मन्त्री

(परन्तु जो मन्त्रिमंडल के सदस्य नहीं)

संसद कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिन्हा

पुनर्वास मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

राजस्व तथा व्यय मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना तथा प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर

वाणिज्य मंत्री—श्री डी० पी० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाब राव एस० देशमुख

उप-मंत्री

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री—श्री एस० एन० बुरागोहिन

संचरण उपमंत्री—श्री राज बहादुर

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री—श्री के० डी० मालवीय

रक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

गृह-कार्य उपमंत्री—बलवन्त नागेश दातार

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

वित्त उपमंत्री—श्री मणिलाल चतुरभाई शाह

पुनर्वास उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव कृष्ण राव भोंसले

रेल तथा यातायात उपमंत्री—श्री ओ० वी० अलगेशन

स्वास्थ्य उपमंत्री—श्रीमती एम० चन्द्रशेखर

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्री अनिल कुमार चन्दा

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री एम० बी० कृष्णप्पा

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री—श्री जयसुख लाल हाथी

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

अंक ३ प्रथम भार। संसद् के द्वितीय सब का प्रथम दिवस संख्या १

लोक-सभा

बधवार, ५ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष (श्री जी० वी० मावलंकर) महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री चोइथराम परताबराय गिडवानी (थाना) ।

श्री खंडूभाई कासनजी देसाई (हालर) ।

डा० जयन्तीलाल नरभेराम पारिख (झालावाड़) ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय विदेश सेवा

*१. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ में अब तक भारतीय विदेश सेवा में कितने उम्मीदवार भर्ती किये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने विदेश सेवा "ख" के बनाने की मंज़री दे दी है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) पांच ।

(ख) भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा की श्रेणी 'ख' के निर्माण को सिद्धान्त रूप में मान लिया है । इस की विस्तृत बातों को अब तैयार किया जा रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सारी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता से की गई थी, या कोई रंगरूट सीधे भी भर्ती किये गये थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : इसके नियम अभी अन्तिम रूप से प्रारूपित नहीं किये गये हैं—वे विचाराधीन हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : प्रश्न के पहिले भाग का उत्तर "पांच" दिया गया था । उन पांचों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता से लिया गया था, अथवा सीधे भर्ती किया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : वे पांचों भारतीय विदेश सेवा श्रेणी 'क' के लिये चुने गये थे । उन सभी को संघ लोक सेवा आयोग ने चुना था ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस समय भारतीय विदेश सेवा में कुल कितने पदाधिकारी हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे इस विषय में पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं यह जान सकता हूं कि इन पांच में से कितने भारतीय प्रशासी सेवा में से लिये गये थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस विषय में मेरे पास कोई सूचना नहीं है । मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री वैलायुधन : मैं यह जान सकता हूं कि क्या विशेष भर्ती बोर्ड जो कि कतिपय विदेश सेवा के पदों के लिये उम्मीदवार चुनता था अब भी विद्यमान है या समाप्त कर दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : ये नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई हैं ।

श्री नानादास : मैं यह जान सकता हूं कि १९५१ में भारतीय विदेश सेवा के लिये कितने अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार भर्ती किये गये ? यदि कोई नहीं भर्ती किया गया, तो इस का क्या कारण था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं इस प्रश्न को पूछने की आज्ञा नहीं देता ।

श्री के० के० बसु : मैं यह जान सकता हूं कि क्या ये पांचों उम्मीदवार स्थायी रूप से लिये गये हैं या ठेके पर ?

श्री अनिल के० चन्दा : स्थायी रूप से ।

बैटरी पृथक्कारक (निर्माण)

*२. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में बैटरी पृथक्कारकों के निर्माण के लिये कोई कारखाने हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थित हैं और १९५१-५२ में उन में कितना उत्पादन हुआ था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । डलहौज़ी, देहरादून और दिल्ली में तीन यंत्रचालित कारखाने हैं । उन में १९५१-५२ में लगभग १८ लाख का उत्पादन हुआ था ।

सरदार हुक्म सिंह : जब ये कारखाने पूरा उत्पादन करेंगे, तो इन का कुल उत्पादन सामर्थ्य कितना होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन तीन कारखानों का कुल उत्पादन सामर्थ्य २०० लाख समझा जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : हमारे देश की कुल आवश्यकता कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो अनुज्ञप्तियां जारी की गई थी उन के आधार पर यह प्रति वर्ष बदलती रही है, किन्तु १९५१ में इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में समाप्त होने वाली अनुज्ञप्ति देने की अवधि में लगभग २९० लाख के लिये अनुज्ञप्तियां दी गई थीं । हमें यह ज्ञात नहीं कि उन अनुज्ञप्तियों में से कितनों का प्रयोग किया गया था । किन्तु १९५२ के पूर्वार्ध के लिये लगभग साढ़े सात लाख के लिये अनुज्ञप्तियां दी गई थीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन कारखानों

के स्वामी केवल भारतीय ही हैं, अथवा उन में कोई विदेशी पूंजी भी लगी हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास इन तीनों कारखानों के नाम हैं — उन से तो यही पता चलता है कि यह भारतीय हैं, किन्तु मुझे इस विषय में बिल्कुल पक्का पता नहीं है कि अन्त में उन का स्वामी कौन है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री विशेष रूप से इस विषय में विदेशी पूंजी के बारे में जानकारी मंगवा देंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि कोई प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री के० के० बसु : क्या हम इस प्रकार के पृथक्कारकों का आयात करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे ऐसा ही बताया गया है ।

विस्थापित व्यक्तियों का प्रशिक्षण

*३. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्रम मंत्रालय के देश भर के प्रशिक्षण केन्द्रों में विस्थापित व्यक्तियों के व्यवसायिक तथा औद्योगिक कामों में विशेष प्रशिक्षण की योजना एक और वर्ष के लिये मंजूर कर दी गई है ?

(ख) इन केन्द्रों में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षत किया है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां १९५३-५४ के अन्त तक ।

(ख) श्रम मंत्रालय के केन्द्रों में अगस्त १९५२ के अन्त तक ११,११० विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था । इस के अतिरिक्त, श्रम मंत्रालय की निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ शिशिक्षु प्रशिक्षण की योजना से ४,०१५ विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े हैं कि इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कितने काम में या उपयोगी काम में लग गये थे ?

श्री ए० पी० जैन : हमारे पास यह आंकड़े नहीं हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन में से किसी को सरकार ने अपना काम या व्यवसाय आरम्भ करने के लिये कोई सहायता दी थी ।

श्री ए० पी० जैन : जी हां, उन में से बहुतों को ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं यह जान सकता हूं कि उन्हें कुल कितनी राशि दी गई थी ?

श्री ए० पी० जैन : अन्य व्यक्तियों के समान इन व्यक्तियों को भी ऋण मिल सकता है और वस्तुतः इन्हें प्रधानता दी गई थी । इनके कोई अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और न ही इन आंकड़ों को इकट्ठा करना सम्भव है ।

श्री ए० एस० गुहा : मैं यह जान सकता हूं कि पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के लिये इस प्रकार के कितने केन्द्र उपलब्ध हैं और उन में कितने प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : पूर्वी बंगाल के जिन विस्थापित व्यक्तियों ने अगस्त, १९५२ के अन्त तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

औद्योगिक प्रशिक्षण	२,१४९
व्यवसायिक प्रशिक्षण	४३४
	२,५८३
निजी समवायों के साथ शिशिक्षु प्रशिक्षण	१,४५१
कुल योग	४,०३४

जो व्यक्ति १९५१-५२ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन के आंकड़े इस प्रकार हैं —

औद्योगिक प्रशिक्षण	७६७
व्यवसायिक प्रशिक्षण	१५९
शिशिक्षु प्रशिक्षण	४७८
	१,४०५

श्रीमती सुचेता कृपलानी : हम ने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि केन्द्रीय सरकार का पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये अड़तीस नये पुनर्वास केन्द्र खोलने का विचार है। मैं जान सकती हूं कि क्या ये व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में आ जाते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : इस प्रश्न का सम्बन्ध श्रम मंत्रालय के व्यवसायिक तथा औद्योगिक केन्द्रों से है और वे पुनर्वास केन्द्र इस में नहीं आते।

श्री गिडवानी : क्या माननीय मंत्री ऐसे व्यक्तियों की ठीक ठीक सख्या बतला सकते हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् वही काम करना आरम्भ किया जिस के लिये कि उन्हें प्रशिक्षित किया गया था और उन में से कितने बेकार हैं ?

श्री ए० पी० जैन : हम ने उसी काम को जारी रखने की एक योजना बनाई थी और प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को दस कार्ड दिये थे। दुर्भाग्य से बहुत कम ने इस के प्रति उत्सुकता दिखाई और हमारे पास इसके कोई आंकड़े नहीं हैं कि कितने व्यक्ति वास्तव में उसी कार्य को कर रहे हैं जिस में उन्हें प्रशिक्षित किया गया था।

लाला अचिन्त राम : क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सरकार का अनुभव क्या है, जितनी ट्रेनिंग (प्रशिक्षा) अब विद्यार्थियों को दी जाती है क्या वह उनके लिये अपने पांवों पर खड़े होकर रोटी कमाने के लिये काफ़ी है ?

श्री ए० पी० जैन : यह तो विद्यार्थियों के ऊपर भी मुनहस्सिर है। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वे ट्रेनिंग पा कर अपने पैरों पर खड़े हो सकते ह।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह तो अपनी अपनी सम्मति का विषय है; इस पर आगे और कुछ न पूछा जाये।

भारत अमरीकी सहायता करार

*४. **डा० रान सुभग सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत-अमरीकी सहायता करार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से अब तक कुल कितने की चीज़ें आ चुकी हैं; और

(ख) क्या वह करार समाप्त हो चुका है अथवा उसे फिर से नया कर दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) ९ जुलाई, १९५१ के भारत-अमरीकी करार के अधीन ३० जून, १९५२ तक लगभग ७,६५,३६५ या ३६,४४,५९७ रुपये के मूल्य की चीज़ें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) करार की मूल अवधि ३०, जून १९५२ को समाप्त हो गई थी । परन्तु इसे तब तक के लिये वैध कर दिया गया है जब तक कि नया करार नहीं कर लिया जाता जो कि विचाराधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह : इन चीज़ों को इस देश में भेजने में संयुक्त राज्य अमेरीका की सरकार ने क्या सहायता दी थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : ये वस्तुतः संयुक्त राज्य अमेरिका को सरकार द्वारा नहीं दी जाती हैं किन्तु निजी अभिकरणों द्वारा दी जाती हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उस ने इन चीज़ों को इस देश में भेजने में कोई सहायता दी थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे खेद है कि मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस देश को विदेशों से जो सहायता प्राप्त होती है उसके वितरण के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुख्यतया स्वास्थ्य मंत्रालय या रेड क्रास यह काम करता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस करार का कोलम्बो योजना से कोई सम्बन्ध है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, श्रीमान् कोई नहीं ।

तीरप में सरकारी वन विभाग के मुख्यालय पर धावा

* ५. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह सत्य है कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण प्रशासन ने बर्मा की सरकार से डाकुओं के उस गिरोह का पता लगाने की प्रार्थना की है जिन्होंने कि तीरप में अभिकरण के वन विभाग के मुख्यालय पर धावा किया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना है कि बर्मा सरकार ने क्या इस विषय में कोई पग उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमारे रंगून स्थित दूतावास के द्वारा सरकार से डाकुओं का पता लगाने और लूटी हुई सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है ।

(ख) बर्मा सरकार द्वारा आवश्यक जांच की गई है जिस के परिणाम की प्रतीक्षा है और वह यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं वहां लूटी गई सम्पत्ति का मूल्य जान सकता हूं ?

श्री अनिल के० चन्दा : लूटी गई सम्पत्ति के बारे में हमारे पास कोई ठीक ठीक जानकारी नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं यह जान सकता हूं कि वह धावा कब किया गया था और क्या यह इस प्रकार का पहिला धावा था ।

श्री अनिल के० चन्दा : हमें अपने आसाम स्थित आदिम जातियों के मंत्रणाकार से २६ जुलाई को यह सूचना मिली थी और यह डाका १७ जुलाई को पड़ा था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सीमान्त अभिकरण प्रशासन के राजनैतिक पदाधिकारी को बर्मा सरकार के निकटवर्ती क्षेत्र के अपने बराबर के अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करने और धावे के बारे में विस्तृत विवरण पता लगाने का अनुदेश दिया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : हम ने अपने बर्मा स्थित दूतावास को बर्मा सरकार से सम्पर्क स्थापित करने का अनुदेश दिया था ।

श्रीमती खोंगमन : क्या यह सत्य नहीं है कि उस धावे में हमारा एक पदाधिकारी बुरी तरह घायल हुआ था ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

मशीनी औजारों के कारखाने

*६. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में इस समय कोई पूर्ण रूप से सुसज्जित मशीनी औजारों का कारखाना विद्यमान है ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने कारखाने हैं ?

(ग) वे कहां कहां स्थित हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) १६ ।

(ग) ५ कलकत्ता क्षेत्र में;
६ बम्बई क्षेत्र में;
३ दिल्ली क्षेत्र में ;
१ हैदराबाद क्षेत्र में; और
१ मसूर क्षेत्र में ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं इन कारखानों में विदेशी पूंजी का अंश जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इन कारखानों में अब तक कुल कितनी राशि विनियोजित की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मंत्रालय के पास विनियोजित पूंजी के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या ये करखाने पूर्णतया सुसज्जित हैं अथवा ये थोड़ा या बहुत कुटीरोद्योग के पैमाने पर हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं, ये कारखाने पूर्णतया सुसज्जित हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जान सकता हूं क्या इन सोलह में राज्य के मशीनी औज़ारों के कारखाने भी सम्मिलित हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान् ।

श्री बी० पी० नायर : क्या यह सत्य है कि भारतीय तटकर बोर्ड ने इस बात का अध्ययन करके यह सिफारिश की थी कि मशीनी औजारों के आयात पर मूल्यानुपातेन पच्चीस प्रतिशत शुल्क लगाया जाये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सत्य है ।

श्री बी० पी० नायर : क्या यह सत्य है कि तटकर बोर्ड ने यह बतलाया था कि १९४७ में १८६ कारखानों में से पांच के पास अच्छा उपकरण और अच्छा प्रबन्ध था और क्या सरकार ने इस उद्योग को अधिक अच्छा बनाने के लिये कुछ किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। सरकार इन बहुत से कारखानों को सुदृढ़ बनाने के लिये बहुत कुछ कर रही है।

श्री वी० पी० नायर: एक और प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय: अब और कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। हम अनुमान लगाने लगे हैं।

भारत अमरीकी वाणिज्य तथा नौपरिवहन की सन्धि

*** ७. श्री बंसल**: (क) क्या **प्रधान मंत्री** १२ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७३७ को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत-अमरीकी वाणिज्य तथा नौपरिवहन की सन्धि को सम्पन्न करने की बात चीत में कहां तक प्रगति हुई है ?

(ख) सन्धि पर कब तक हस्ताक्षर होने की आशा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख). इस विषय में दोनों सरकारों के मध्य अब भी चर्चा चल रही है और यह बतलाना सम्भव नहीं है कि यह कब समाप्त होगी।

डा० लंका सुन्दरम्: मैं यह जान सकता हूं कि क्या ऐसा कोई सुझाव दिया गया है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली प्रस्तावित सन्धि केवल एक मैत्री सन्धि होनी चाहिये, वाणिज्य सम्बन्धी सन्धि नहीं क्योंकि जी० ए० टी० टी० (व्यापार तथा तटकर सम्बन्धी सामान्य करार) तथा अन्य सन्धियों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के साधन पहिले ही विद्यमान हैं।

श्री अनिल के० चन्दा: दोनों सरकारों के मध्य बात चीत चल रही है और उन बातों के सम्बन्ध में कोई जानकारी देना जन हित में उचित नहीं होगा।

श्री वी० पी० नायर: क्या भारतीय पोत उद्योग का, जो कि इस समय भारत की पोत आवश्यकताओं के एक अंश को भी पूरा नहीं कर सकता इस सन्धि के अधीन अधिक पोत प्राप्त करने में सहायता की जायेगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : वह सम्भवत: गलती से कुछ और समझ बैठे हैं। यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री बी० एस० मूर्त्ति: श्रीमान्, नौपरिवहन से।

जापान को कपास का निर्यात

***८. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जापान द्वारा हमारी कपास का क्रय काफ़ी बढ़ गया है और यदि हां, तो किस हद तक ?

(ख) जापान ने हाल के महीनों में भारत से कितनी रुई खरीदी है ?

(ग) क्या हम जापान की सारी मांग को पूरा कर रहे हैं या हमारे अभ्यंश सम्बन्धी प्रतिबन्ध इस में बाधक हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां। एक विवरण जिस में १९४९, १९५० तथा १९५१ में और १ जनवरी १९५२ से २२ सितम्बर १९५२ तक भारतीय कपास के निर्यात दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है :

(ख) चालू वर्ष में जापान ने अभी तक १,८७,६१७ गांठें खरीदी हैं।

(ग) जी हां। हम उस की मांग पूरी कर रहे हैं।

विवरण

वर्ष	गांठें
१९४९	६१,९९८
१९५०	५१,१४९
१९५१	४८,७१६
१९५२ (२२-९-१९५२ तक)	१,८७,६१७

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या मैं महायुद्ध से पूर्व निर्यात की गई मात्रा जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि इस विषय में मुझे पूर्वसूचना मांगनी होगी।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: चालू वर्ष में निर्यात के लिये कुल कितनी राशि निश्चित की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ३,५२,००० गांठें।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या यह सत्य नहीं है कि जापान हमारी सूती वस्त्रों में प्रतिद्वन्दी और क्या जापान को रुई के निर्यात से उसे इस सम्बन्ध में भारत से प्रतिद्वन्द्विता करने में सरलता नहीं होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिस प्रकार की रुई का हम निर्यात करने की आज्ञा दे रहे हैं वह ऐसी रुई है जिसे हम यहां प्रयोग नहीं कर सकते। और यदि जापान किसी तरीक़े से उस रुई को सूत बनाने के लिये प्रयोग में ला रहा है, तो हो सकता है कि वह उस प्रतिद्वन्दिता की योजना में आजाता हो जो कि माननीय सदस्य के मन में है। किन्तु हम इस समय यह नहीं समझते कि इस रुई को जापान भेज देने से हमें कोई विशेष हानि पहुंचती है।

श्री गाडगिल : क्या भारत सरकार इस प्रकार की रुई का भारत में ही प्रयोग करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस की कुछ मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, परन्तु सारी का नहीं।

श्री श्यामनन्दन सहाय: क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस देश में जो कपड़े की कमी है उस कमी के ऊपर और उस की कीमत पर इस जापान के ऐक्सपोर्ट (निर्यात) का क्या असर पड़ेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान् जी, माननीय सदस्य का प्रश्न इतना जटिल प्रतीत होता है कि मैं इस का तात्पर्य नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दुहराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं ने यह कहा था कि इस का कीमत पर क्या असर पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी अपनी सम्मति की बात है।

पंडित अलगूराय शास्त्री: मैं यह जानना चाहता था कि इस तरह की कितनी रुई हिन्दुस्तान में काम में लाई जाती है और कितनी जापान को भेजी जाती है और दोनों का अनुपात क्या है।

अध्यक्ष महोदय: भारत में कितनी रुई काम में लाई जाती है और कितनी जापान को भेजी जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन है किन्तु में अपने माननीय मित्र को यह जानकारी दे सकता हूं कि मिलों में कितनी रुई काम में लाई जाती है। हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि अन्य उद्योगों में या अन्य प्रयोजनों के लिये कितनी रूई काम मेंलाई जाती है। सन् १९५१ - ५२ में भारतीय मिलों में रुई की लगभग ४०,७०,००० गांठें काम में लाई गई थीं इस के विपरीत हम ने जापान को इस वर्ष २२ सितम्बर तक १,८७,६१७ गांठें भेजी हैं। इसका अनुपात निकाला जा सकता है।

सामुदायिक परियोजनाओं के लिये कार्यक्रम पर्यांकन संगठन

*९. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सामुदायिक परियोजनाओं की प्रगति तथा फल को आंकने के लिये सरकार ने कार्यक्रम पर्यांकन संघटन स्थापित कर दिया है या स्थापित करने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो इस संघटन की बनावट कैसी है ?

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

(घ) यह व्यय कैसे पूरा किया जायेगा ?

(ङ) क्या संघटन ने काम करना आरम्भ कर दिया है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम पर्यांकन संघटन योजना आयोग के अधीन स्वतंत्र रूप से सामुदायिक परियोजनाओं तथा प्रकृष्ट क्षेत्र विकास परियोजनाओं की प्रगति के पर्यांकन के लिये स्थापित किया गया है। परियोजनाओं से सम्बद्ध पर्यांकन कर्मचारी इस संघटन के संचालक की सहायता करेंगे।

(ग) इस संघटन पर जिस के लिये पहिले फ़रवरी, १९५५ तक मंजूरी दी गई है लगभग १५ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(घ) भारत सरकार तथा फोर्ड फाउन्डेशन के मध्य हुए एक करार के अधीन कार्यक्रम पर्यांकन संघटन का व्यय फाडन्डेशन द्वारा दिया जायेगा।

(ङ) जी हां।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह संघटन एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेग अथवा यह सामुदायिक परियोजना प्रशासन के प्रशासनात्मक नियंत्रण में होगा ?

श्री नन्दा : नहीं, श्रीमान्। यह सामुदायिक परियोजना प्रशासन के नियंत्रण में कार्य नहीं करेगा। यह योजना आयोग की सामान्य देख रेख तथा पथ प्रदर्शन में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा :

श्री एस० एन० दास: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस संघटन का इन सामुदायिक परियोजनाओं के कार्य पर कोई वित्तीय नियंत्रण रहेगा ?

श्री नन्दा : नहीं, श्रीमान्। यह इस कार्य के लिये नहीं है।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस संघटन ने अब तक विभिन्न केन्द्रों के परियोजना प्राक्कलनों की परीक्षा या छानबीन कर ली है ?

श्री नन्दा : यह इस का काम नहीं है।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान, मैं यह जान सकता हूं कि क्या विभिन्न केन्द्रों में वित्तीय नियंत्रण तथा लेखे की जांच के सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानियां कर दी गई हैं ?

श्री नन्दा : हां, श्रीमान् ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस कार्यक्रम पर्यांकन संघटन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय करने से पूर्व सरकार के लिये प्रौद्योगिक सहायता के अमेरिकन संचालक की स्वीकृति लेनी आवश्यक है ?

श्री नन्दा : श्रीमान् जी, ऐसा करना आवश्यक नहीं है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान् मैं यह जान सकता हूं कि तब तो सभी कार्यक्रम सम्बन्धी सिफारिशों के बारे में अमेरिकन संचालक की अनिवार्य स्वीकृति सम्बन्धी भारत अमरीकी प्रौद्योगिक सहायता करार के उपबन्ध का इस में पालन नहीं किया गया ?

श्री नन्दा : यह औद्योगिक सहायता करार में नहीं आता ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, तो मैं क्या सरकार से इस विषय में स्पष्ट रूप से यह जान सकता हूं कि जहां तक सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम पर्यांकन संघटन का सम्बन्ध है इस पर भारत अमरीकी औद्योगिक सहायता करार के उपबन्ध बिल्कुल भी लागू नहीं होते ?

श्री नन्दा : हां, श्रीमान् । यही स्थिति है ।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह संघटन विभिन्न परियोजनाओं के कार्य को उस स्थान पर जा कर आंकेगा या राज्य सरकारों के वृत्तान्तों पर निर्भर रहेगा या .....

श्री नन्दा : इस प्रयोजन के लिये चुने हुए विभिन्न क्षेत्रों में इस के अपने कर्मचारी रहेंगे और यह राज्यों तथा अन्य साधनों से भी सूचना प्राप्त करेगा ।

श्री दामोदर मेनन : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस संघटन में अमेरिकन विशेषज्ञ हैं ?

श्री नन्दा : इस में इस प्रकार के कोई विशेषज्ञ नहीं हैं ।

रेशम का आयात

***१०. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में सितम्बर के अन्त तक इटली तथा जापान से कितने रेशम का आयात किया गया है ?

(ख) इस का स्वदेशी रेशमी वस्तुओं के मूल्यों पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

(ग) सरकार ने रेशमी धागे, कपड़े तथा कोओं के मूल्य स्थिर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जापान से २,३१,३४७ पौंड कच्चे रेशम का आयात किया गया था । इटली से कोई आयात नहीं किया गया ।

(ख) कच्चे रेशम के आयातों का स्वदेशी रेशमी कपड़े के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) कच्चे रेशम के आयात तथा रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की नीतियों का उद्देश्य कोओं तथा कच्चे रेशम के उत्पादकों को न्यायसंगत तथा उचित मूल्य दिलाना है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान् मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने देश में रेशम की कुल मांग को आंका है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तटकर बोर्ड ने अनुमान लगाया है और मांग ४० लाख पौंड आंकी गई है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमन् मैं यह जान सकता हूं कि देश में कुल कितने कपड़े, धागे और कोओं का उत्पादन होता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि माननीय सदस्य कच्चे रेशम का उत्पादन जानना चाहें तो मैं उन्हें आंकड़े बतला सकता हूं, परन्तु कपड़े के सम्बन्ध में नहीं बतला सकता। मेरे पास १९४९–५० तथा १९५१–५२ के आंकड़े हैं। सितम्बर १९५० तक—११,६८,६९५ पौंड है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को मिल हाथकरघा तथा बिजली के करघों के संघों से आगे और निर्यात बन्द कर देने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमन् जी, ये अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। सत्य तो यह है कि उद्योग सदा ऐसी चीजों के विषय में कुछ न कुछ करवाना चाहते हैं जिन का उन पर प्रभाव पड़ता है। परन्तु इस समय कोई आयात नहीं हो रहे हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने मिलों के बन्द हो जाने के कारण अब तक बेकार हुए लोंगो के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी नहीं।

श्री झुनझुनवाला : इटली से आयात का क्या हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इटली से कोई आयात नहीं हुआ।

श्री झुनझुनवाला : क्या इटली से आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है अथवा वहां से किसी ने मंगाया ही नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता।

श्री नम्बियार: मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि मैसूर राज्य के रेशम उद्योग में इस संकट के कारण बहुत से मजदूर बेकार हो गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह जानकारी मुझे माननीय सदस्य से ज्ञात हुई है।

फ्रेंच बस्तियों के साथ सीमा शुल्क का एकीकरण

***११ श्री ए० एम० टामस:** (क) क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार और फ्रेंच सरकार के मध्य तथा भारत की फ्रेंच बस्तियों के बीच सीमा शुल्क के एकीकरण को पुनः स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का स्वरूप क्या है ?

(ग) और बातचीत किस अवस्था तक पंहुच चुकी है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) से (ग) तक। इस प्रकार का एक प्रस्ताव किया गया था और माननीय सदस्य का ध्यान २८ मई, १९५२ को राज्य परिषद् में प्रश्न संख्या २० के मेरे उत्तर की ओर दिलाया जाता है। यह प्रस्ताव १९४१ के सीमा शुल्क एकीकरण करार को उस में आवश्यक रूप भेद करके फिर से जारी करने के सम्बन्ध में था।

फ्रेंच सरकार से इस विषय में कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है। किन्तु अब भारत की फ्रेंच बस्तियों में स्थिति और भी अधिक खराब हो गई है और भारत सरकार ने फ्रेंच सरकार को यह सुझाव दिया है कि इन बस्तियों के प्रश्न को हल करने का एकमात्र तरीका यही है कि इस प्रश्न पर इन के भारत के साथ एकीकरण के आधार पर चर्चा की जाय।

श्री ए० एम० टामस: मैं यह जान सकता हूं कि पिछला प्रबन्ध कितने दिन चला था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सीमा शुल्क का एकीकरण ?

श्री टामस : जी हां ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ वर्ष तक ; मैं उन की ठीक ठीक संख्या नहीं बतला सकता । चार या पांच वर्ष तक । मुझे इस अवधि का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : इसे बन्द करने का क्या कारण था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे स्मरण है मूल व्यवस्था में कुछ परिवर्तन सुझाये गये थे और सम्बद्ध पक्ष उन से सहमत नहीं हुए थे । अतः ये समाप्त हो गये ।

श्री केलप्पन : क्या सरकार को यह विदित है कि इन बस्तियों को निषिद्ध वस्तुएं बहुत बड़े परिमाण में उपहार के पार्सलों या पारिवारिक पार्सलों के रूप में भेजी जाती हैं और तब उन का फ्रैंच बस्तियों से भारत संघ में चौर्यानियन होता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं जानता हूं कि बहुत सा चौर्यानियन होता है । क्या माननीय सदस्य कीन्हीं विशेष पार्सलों के भेजे जाने की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

श्री केलप्पन : जी हां ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : किन के द्वारा ?

श्री केलप्पन : मलाया और हांगकांग से दस पौंड के पारिवारिक या उपहार के पार्सल फ्रैंच बस्तियों को भेजे जाते हैं और वहां से इन का भारत संघ में चौर्यानियन होता है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बिल्कुल सत्य है कि बहुत सा चौर्यानियन होता है । मुझे इस में संदेह नहीं कि जैसा माननीय सदस्य कहते हैं पारिवारिक पार्सल भेजे जाते हैं । कितनी मात्रा में भेजे जाते हैं यह मैं नहीं बता सकता ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : इस बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले चौर्यानियन को कैसे रोकने का विचार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जब तक वर्तमान व्यवस्था चालू रहेंगी अर्थात् जब तक ये बस्तियां भारत संघ का भाग नहीं बनेंगी तब तक इसे रोकने का एकमात्र तरीका सीमा-शुल्क की चौकियों को यथा सम्भव अधिक से अधिक कार्य कुशल बनाना है ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या सरकार का भारत की फ्रैंच बस्तियों पर कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं । यह प्रश्न इसलिये उठता है क्योंकि कुछ लोगों के मन में तथ्यों या वास्तविकता का ध्यान रखे बिना आर्थिक प्रतिबन्धों की बात चक्कर काट रही है ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति विवाद

*१२. **श्री ए० एम० टामस :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न को किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण या मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने पर विचार कर रही है ?

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार के समक्ष इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखा है ?

(ग) क्या पाकिस्तान के शरणार्थी मंत्री डा० आई० एच० कुरेशी के इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान गया है कि भारत मुस्लिमों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति को अवैध उपायों से हड़पने के बहाने ढूंढ रहा है ?

(घ) यदि हां, तो इस आरोप का उस के पास क्या उत्तर है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ) तक । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

— — —

विवरण

जैसा कि सदन को विदित है निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार के साथ बहुत देर से गत्यवरोध रहा है। बातचीत के इतिहास को बताये बिना मैं वर्तमान स्थिति के बारे में तथ्यों को बतला देना चाहता हूं ।

निष्क्रात व्यक्तियों की अचल सम्पत्ति दो भागों—ग्रामीण और नगरी—में बाटीं जा सकती है । जहां तक ग्रामीण निष्क्रान्त सम्पत्ति का सम्बन्ध है भारत और पाकिस्तान की सरकारों का सदा यही इरादा रहा है कि उन्हें उस का उत्तरदायित्व संभाल लेना चाहिये और सरकारी स्तर पर उन के मूल्यों को तय कर लेना चाहिये । पाकिस्तान सरकार ने एक योजना के अधीन जिसे कि वहां की सरकार "अस्थायी रूप से स्थायी " के नाम से पुकारती है पहिले ही निष्क्रान्त व्यक्ति यों की खेती की भूमि पर शरणार्थियों को बसा दिया है और नगरों के मकान उन्हें बांट दिये हैं । इसी प्रकार भारत सरकार ने पंजाब और पेप्सू के राज्यों में निष्क्रान्त व्यक्तियों की खेती की भूमि पर तथा नगरों के मकानों में साधारणतया अर्ध-स्थायी रूप से विस्थापित व्यक्तियों को बसा दिया है । पाकिस्तान से लोगों को आये हुए तथा वहां गये हुए पांच वर्ष बीत चुके हैं । अब यह बात नहीं सोची जा सकती कि निष्क्रान्त स्वामी अपनी भूमि या ग्रामीण घरों को बेच देंगे या और किसी प्रकार उत्सर्जित कर देंगे । इन्हीं कारणों से भारत सरकार यह अनुभव करती है कि निष्क्रान्त व्यक्तियों या विस्थापित व्यक्तियों का हित इसी में है कि ग्रामीण निष्क्रांत सम्पत्ति की समस्या को हल करने में अब अधिक बिलम्ब न किया जाये और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह सरकारी स्तर पर ही हल होनी चाहिये । जहां तक नगरीय अचल सम्पत्ति का सम्बन्ध है दोनों देशों के निर्वासित व्यक्तियों को गत पांच वर्ष से बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं । जिस देश में वे पहिले रहते थे न तो उन्हें वहाँ छोड़ीहुई सम्पत्ति की कोई आय मिलती और न ही वे अपने पास कुछ जमा पुंजी न होने के कारण उस देश में पूर्णतया फिर से बस सकते हैं जिस में कि वे अपना देश छोड़ कर आये हैं । इस के साथ ही दोनों देशों में छोड़ी हुई निष्क्रान्त सम्पत्ति तेजी से क्षीण होती जा रही है । यह तो सत्य है कि दोनों सरकारों ने निष्क्रान्त व्यक्तियों की सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिये अभिरक्षकों के संघटन बना दिये हैं किन्तु फिर भी वस्तुतः उन की सम्पत्तियों को अधिकांशतया ऐसे व्यक्ति सम्भाले हुए हैं जिन की उन में कोई रुचि नहीं है । वे ऐसी छोटी मोटी मरम्मत भी नहीं करवाते जिस को कि प्रत्येक रहने वाले से साधारणतया आशा की जाती है । इस का परिणाम यह है कि सम्पत्तियां तेजी से क्षीण होती जा रही हैं । किराये की वसूली भी असन्तोषजनक है ।

क्योंकि निष्क्रान्त व्यक्तियों की दोनों देशों से अपने अपने देशों को लौटने की अब कोई सम्भावना नहीं है अतः भारत सरकार यह समझती है कि निरन्तर अनिश्चिता की इस स्थिति को समाप्त कर देना चाहिये ।

भारत सरकार ने अपने उक्त विचार पाकिस्तान सरकार को बतला दिये हैं । यह सुझाव दिया गया है कि दोनों सरकारें निष्क्रान्त सम्पत्ति को सम्भालें और निष्क्रान्त स्वामियों को उस की क्षतिपूर्ति दे दें । इस प्रयोजन के लिये दोनों ओर की निष्क्रान्त सम्पत्तियों का या तो दोनों देशों के किसी संयुक्त आयोग द्वारा अथवा किसी निष्पक्ष निकाय द्वारा दोनों सरकारों की सहमति से निश्चित किये गये सिद्धान्तों के अनुसार मुल्यांकन

करना पड़ेगा । यदि सीधी बातचीत असफल हुई तो भारत सरकार ऐसे किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण को जिस पर कि दोनों देश सहमत हों मूल्यांकन की विधि निश्चित करने के प्रश्न को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने को भी तैयार होगी । यदि पाकिस्तान सरकार चाहे तो यह विषय किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय या किसी तदर्थ न्यायालय को जिस में दोनों सरकारों के मनोनीत व्यक्ति हों सौंपा जा सकता है । मध्यस्थ निर्णय या निष्पक्ष न्यायाधिकरण के निर्णय को अन्तिम तथा दोनों के लिये अनिवार्य रूप से स्वीकार्य समझा जायेगा और ज्यों ही यह निर्णय होगा त्यों ही दोनों देश इसे लागू कर देंगे ।

भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को यह संवाद भेज दिया है कि उनका भारत में निष्क्रान्त व्यक्तियों की सम्पत्ति को उपरोक्त प्रस्तावों के आधार पर सम्भालने के लिये कार्यवाही करने का इरादा है और यह सुझाव दिया है कि पाकिस्तान सरकार भी ऐसा ही करे ।

पाकस्तिान के शरणार्थी मंत्री डा० कुरेशी के इस कथित आरोप में जरा भी सच्चाई नहीं है कि भारत मुसलमानों की छोड़ी हुई सम्पत्ति को हड़पने के लिये बहाने ढूंढ रहा है । ये प्रस्ताव तो हड़पने के बिल्कुल विपरीत है । और इन से दोनों देशों के निष्क्रान्त स्वामी अपनी खोई हुई सम्पत्ति को पुनः प्राप्त कर सकेंगे ।

श्री ए० एम० टामस : यह सुझाव किस ओर से दिया गया था ?

श्री ए० पी० जैन : यह तो विवरण में बिल्कुल स्पष्टतया लिखा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विवरण को देखें ।

श्री ए० एम० टामस : क्या पाकिस्तानी मंत्री के आरोपों का सरकार ने तत्काल खंण्डन कर दिया था ?

श्री ए० पी० जैन : मैं माननीय सदस्य से अपने विवरण की अन्तिम कण्डिका को देखने के लिये कहूंगा ।

श्री गिडवानी : इस समस्या को सुलझाने का कितनी बार प्रयत्न किया गया था जिस का कि कोई फल नहीं हुआ ?

श्री ए० पी० जैन : इस विषय में कुछ पुस्तिकायें निकाली गई हैं । यदि माननीय सदस्य उन्हें पढ़े तो उन्हें इस प्रश्न के सम्बन्ध में सारी जानकारी विस्तार से मिल जायेगी ।

श्री गिडवानी : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सब प्रयत्न निष्फल हुए ?

श्री ए० पी० जैन : यह तो अपनी अपनी सम्मत्ति का प्रश्न है । निस्सन्देह, उनमें अधिक सफलता नहीं मिली ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भय है कि यह तो अधिकांशतया तथ्यों का प्रश्न है । सम्भव है उन में से अधिकांश निष्फल हुए हों । सम्भव है उन में से अधिकांश निष्फल न हुए हों । माननीय सदस्य यदि 'सभी' कहते है तो उनका प्रश्न गलत है । अगला प्रश्न ।

लोहा और इस्पात नियंत्रक की समानीकरण निधि

***१३. श्री ए० एम० टामस :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लोहा और इस्पात नियंत्रक की समानीकरण निधि में कितनी राशि है ?

(ख) यह निधि किस उद्देश्य से खोली गई है ?

(ग) क्या सरकार का इस निधि में से कोई ऋण देने का इरादा है ?

(घ) यदि हां, तो किन समवायों को और किन शर्तों पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३० सितम्बर, १९५२ को लगभग ६ १/२ करोड़ रुपये ।

(ख) से (घ) तक। भारत सरक की सामान्यता यह नीति है कि जहां तक संभव हो भारत में निर्मित या आयात किये गये इस्पात को एक से भावों पर बेचने की व्यवस्था की जाये। इस प्रयोजन से सरकार ने एक भाव निश्चित कर दिया है और यदि उत्पादकों या आयात करने वालों की लागत उस नियत भाव से कम होती है तो उन से शेष धन प्राप्त कर लिया जाता है। यदि उत्पादकों या आयात करने वालों की लागत नियत भाव से अधिक होती है तो उन्हें अपनी हानि पूरी करने के लिये धन दे दिया जाता है। यह लेन देन समानीकरण निधि के द्वारा किया जाता है।

यह भी विचार है कि इस निधि का भारत के इस्पात उत्पादकों को उन के विस्तार कार्य क्रमों के लिये पु नः चुकाया जाने वाला अगाउ धन देने में प्रयोग किया जाये। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

श्री ए० एम० टामस: श्रीमान्, क्या अभी तक कोई अगाउ धन दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि माननीय सदस्या का तात्पर्य इस्पात उत्पादकों से है, तो इस निधि में से कोई नहीं दिया गया।

श्री ए० सी० गुहा: इस्पात के मूल्य में हाल की वृद्धि को घ्यान में रखते हुये अब इस समानीकरण निधि की क्या स्थिति है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: दुर्भाग्य से मेरे पास केवल ३० सितम्बर तक की ही जानकारी है। मैं ने जो ६ १/२ करोड़ की संख्या बतलाई है यह वह राशि है जो कि लगभग उस तिथि को निधि के पास थी।

श्री ए० सी० गुहा: अब स्वदेशी इस्पात और आयात किये गये इस्पात के भावों में कितना अन्तर है ? मैं यह जान सकता हूं कि क्या अब इस निधि को बनाये रखने की कोई आवश्यकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यूरोप के इस्पात के भाव अलग अलग हैं। मेरे विचार में यदि बेल्जियम के इस्पात का आयात किया जाये तो इस पर लगभग ८५० रुपये प्रति टन लागत आयेगी। ब्रिटेन का इस्पात कुछ सस्ता पड़ेगा किन्तु फिर भी सरकार ने भारत में इस्पात का जो मुल्य निश्चित किया है उस में और विश्व में अन्यत्र उपलब्ध होने वाले इस्पात के मूल्य में कुछ नहीं तो ३०० और ४०० रूपये प्रति टन के बीच का अन्तर है। मैं किसी विशेष मूल्य के बारे में दृढ़तापूर्वक यह नहीं कह सकता कि यह ठीक ही है क्योंकि मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं।

श्री ए० सी० गुहा: इस्पात के पर-चून मूल्य में वृद्धि का क्या कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह वृद्धि इस कारण हुई है क्यों कि हम नें उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण इस के धारण मूल्य को बढ़ा दिया है। मैं ने अपने उत्तर में जो उद्देश्य बताये ह उन के कारण सरकार का निधि को बढ़ाने का भी इरादा है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस्पात नियंत्रक समानीकरण निधि को कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और क्या उन पर विचार किया गया है ? यदि हां, तो किन समवायों से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि मेरे माननीय मित्र यह समझते हैं कि हम इस निधि में से खुले हाथों धन बांटते हैं तो इस निधि का यह उद्देश्य नहीं रहा है। हो सकता है जैसा कि सरकार अब विचार कर रही है कि इस निधि की आय को किन्हीं विकास कार्यों के लिये प्रयोग में लाया जाये। किन्हीं विशेष उद्योगों से सरकारी सहायता के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त

होते हैं ; इस में से या किसी अन्य निधि में से धन देने के लिये नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं यह जान सकता हूं कि क्या मूल्य में इस वृद्धि का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अन्य किसी निजी निधि से जो कि भारतीय इस्पात उद्योग की सहायता करेगी, किये गये करार से कोई सम्बन्ध है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे यह यह बतलाते हुएं प्रसन्नता होती है कि इस सम्बन्ध में सरकार की कार्यवाही बिल्कुल एकपक्षीय है । इस सम्बन्ध में न तो किसी ओर से कोई दबाव डाला गया है और न ही किसी ने उसे कोई सलाह दी है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री दामोदरन, संख्या १५ ।

श्री एन० पी० दामोदरन : श्रीमान् मैं यह जान सकता हूं कि प्रश्न संख्या १४ को पहिले सम्मिलित क्यों कर लिया गया था और बाद में निकाल क्यों दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह सम्मिलित कर लिया गया था । किन्तु कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर आगे और विचार करने पर इस की आज्ञा न देना ही ठीक समझा गया । इस की आज्ञा नहीं दी गई है ।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या इस का उत्तर दिये जाने की सम्भावना नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इसे पूछने की आज्ञा नहीं दी गई है ।

फ्रेंच अधिकारियों द्वारा अधिकृत भारत संघ की सड़क

***१५. श्री एन० पी० दामोदरन :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ समय पूर्व माही के फ्रेंच अधिकारियों ने भारत संघ की सड़क के एक भाग पर अधिकार किया हुआ था और यदि हां, तो किस तिथि को ?

(ख) उस सड़क को पुनः प्राप्त करने के लिये सरकार नें क्या पग उठाये हैं ?

(ग) इस समय वह सड़क किस के अधिकार में है ?

(घ) क्या उस भूमि के सम्बन्ध में, जिस में से कि वह सड़क गुजरती है, विवाद का अन्तिम रूप से निर्णय हो गया है ?

(ङ) यदि नहीं, तो उस विवाद के तय होने में कितना समय लगेगा और इस समय वह विवाद किस अवस्था में है ?

(च) क्या उस स्थान पर नियुक्त पुलिस बल को वापिस बुला लिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) माही के फ्रेंच अधिकारियों ने ८ अक्तूबर, १९४९ को उक्त सड़क पर अनधिकृत रूप से अधिकार कर लिया था और उस में कुछ मरम्मत करनी आरम्भ कर दी थी ।

(ख) उस क्षेत्र पर भारत सरकार के अधिकार को स्थापित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की गई थी और वहां एक निषेधक चौकी बना दी गई थी तथा सड़क के आर-पार एक रोक लगा दी गई थी । मलाबार विशेष पुलिस की एक छोटी-सी टुकड़ी भी वहां तैनात कर दी गई थी ।

(ग) वह सड़क हमारे अधिकार में है ।

(घ) और (ङ). इस क्षेत्र के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता क्योंकि यह सड़क भारतीय प्रदेश का भाग है ।

(च) नहीं, श्रीमान् ।

श्री एन० पी० दामोदरन : मैं यह जान सकता हूं कि यदि वह सड़क हमारे अधिकार में है तो उस स्थान पर अब भी पुलिस बल क्यों तैनात है ?

अध्यक्ष महोदय : अधिकार को बनाये रखने के लिये । यह तो स्पष्ट है !

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं आप से प्रश्न संख्या १६ के साथ प्रश्न संख्या ३१ को भी लेने की प्रार्थना कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मंत्री इस से सहमत हैं ?

श्री ए० पी० जैन: मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: तो वह दोनों का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री ए० पी० जैन: जी हां, मैं दोनों का उत्तर दूंगा ।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

*१६. **श्री बी० के० दास:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में पूर्वी बंगाल के कुल कितने विस्थापित व्यक्ति भारत आये ;

(ख) व्यावसायिक वर्गों के अनुसार उन की संख्या कितनी थी ;

(ग) कितने शिवरों में ले जाये गये ;

(घ) कितनों को काम दिया गया ; और

(ङ) कितने सरकारी भिक्षा पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) पश्चिमी बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और आसाम के राज्यों में लगभग २,७८,००० ।

(ख) उपलब्ध नहीं है ।

(ग) लगभग ८९,००० ।

(घ) लगभग १,५०० ।

(ङ) लगभग ७६,००० ।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*३१. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९५२ में कलकत्ते में हुए पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और त्रिपुरा की सरकारों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों की नई बाढ़ में आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में क्या निश्चय किये गये थे ?

(ख) सितम्बर, १९५२ से पहिले और बाद में बिहार और उड़ीसा में अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाया जा चुका है ?

(ग) इन बसाये गये व्यक्तियों में कितने निराश्रित व्यक्ति हैं ?

(घ) बिहार और उड़ीसा में अब तक पुनर्वास के कार्य पर कितना धन व्यय किय गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) सम्मेलम में जो निश्चय किये गये थे सदन पटल पर रखे हुए विवरण में दिये हुए हैं ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान २८ जुलाई १९५२ को राज्य परिषद् में श्री विमल कुमार घोष द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तरों की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) उड़ीसा में कोई निराश्रित व्यक्ति नहीं है । बिहार के गयास्थित शिविर में ६५४ निराश्रित व्यक्ति हैं ।

(घ) बिहार—मई, १९५२ तक १,०३,५१,००० रुपये । उड़ीसा—अगस्त १९५२ तक १,०३,२०,००० रुपये ।

विवरण

१. शरणार्थियों की नई बाढ़ के साथ आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को सहायता शिविरों' में प्रविष्ट नहीं किया जाता । उन्हें 'अस्थायी शिविरों' में रखा जायेगा जहां कि वे कुछ निश्चित समय तक रहेंगे जिस में कि सभी सशक्त विस्थापित व्यक्तियों के लिये किसी प्रकार के श्रम का प्रबन्ध किया जायेगा

२. अस्थायी शिविरों में विस्थापित व्यक्तियों के पूर्व वृत्तान्त तथा व्यवसाय का पता लगाया जायेगा जिस से कि उन्हें सन्तोषजनक रूप से पुनः बसाया जा सके ।

३. अस्थायी शिविरों में से विस्थापित व्यक्तियों को यथासंभव शीघ्र से शीघ्र और हर दशा में इसके लिये निश्चित अधिकतम अवधि के अन्दर पुनर्वास के लिये भेज दिया जायेगा। उन्हें या तो पुनर्वास के लिये भेजा जायेगा या काम करने के स्थानों को भेज दिया जायेगा जहां कि सशक्त विस्थापित व्यक्तियों को मजूरी के बदले काम दिया जायेगा । पुनर्वास के स्थानों पर विस्थापित व्यक्तियों को भूमि के कृषि योग्य बनाने, सड़कों, नालियों, घरों आदि के बनाने के काम में लगाया जायेगा । काम करने के स्थान सहायता कार्यों के केन्द्र या सिंचाई के काम के स्थान या राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ किये गये अन्य कामों के स्थान के रूप में होंगे ।

४. पश्चिमी बंगाल में भीड़ को कम करने के लिये विस्थापित व्यक्तियों को बिहार, उड़ीसा और अंडमान भेजने की संभावनाओं को देखने का निश्चय किया गया था। बिहार और उड़ीसा के प्रतिनिधियों ने इस बात का पता लगाने का वचन दिया था कि विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिये तुरन्त कितनी भूमि दी जा सकेगी और इस बात का अनुमान लगाने के लिये पर्यालोकन करने की भी प्रतिज्ञा की थी कि उनके राज्यों में कितने विस्थापित व्यक्तियों को कुछ समय में पुनः बसाया जा सकेगा ।

५. पुनर्वास याजनाओं को सुधारने और उन में रूपभेद करने के लिये भूतकाल के अनुभव से लाभ उठाया जाना चाहिये और चुनाव का एक ऐसा विवेकपूर्ण तरीका अपनाया जाना चाहिये जिससे कि परित्याग के न्यूनतम अवसर रह जायें ।

६. यदि किसी विस्थापित व्यक्ति को एक बार किसी अन्य राज्य में पुनः बसाने के लिये चुन लिया जाये और पश्चिमी बंगाल से बाहर भेज दिया जाये तो उसके बारे में पश्चिमी बंगाल की सरकार के उत्तरदायित्व को समाप्त समझ लेना चाहिये । यदि वह बाद में उस स्थान को छोड़ कर पश्चिमी बंगाल वापिस लौट आये तो भारत सरकार उस पर किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं करेगी और यदि पश्चिमी बंगाल की सरकार उसे कोई सहायता देगी तो वह ऐसा अपने साधनों तथा पूर्णतया अपने उत्तरदायित्व के आधार पर करेगी ।

७. उड़ीसा तथा बिहार से ३,००० से ४,००० तक स्थायी उत्तरदायित्व की श्रेणी के विस्थापित व्यक्तियों के लिये जिन्हें कि पश्चिमी बंगाल से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा उपयुक्त घरों की व्यवस्था करने के लिये प्रस्ताव किया गया था। उड़ीसा के प्रतिनिधि ने अपने राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्श करके अपने निर्णय को भेजने का वचन दिया था । यदि उड़ीसा में ऐसे घरों की व्यवस्था का निश्चय किया गया तो इन घरों में रहने के लिये जिन प्रवासी व्यक्तियों को भेजा जायेगा उन के दलों के साथ कुछ अच्छे सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं को भेजने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

८. इस बात से सब सहमत थे कि जहां तक सम्भव हो विकास की नई योजनाओं में जिनमें कि सामुदायिक परियोजनायें भी सम्मिलित हैं विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये नये नये अवसर ढूंढे जाने चाहिये ।

श्री बी० के० दास : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या शरणार्थियों के इस नये आगमन के कारणों के बारे में कोई पूछ-ताछ की गई है और यदि हां, तो इस के करण क्या हैं ?

श्री ए० पी० जैन : जो पूछ-ताछ की गई है उस से निम्न कारण ज्ञात हुए हैं : पूर्वी बंगाल में आर्थिक संकट, कुछ कुछ असुरक्षा की भावना जो कि वहां सदा ही बनी रही है और पारपत्र प्रणाली का जारी होना जिस से लोगों के मन में यह धारणा बैठ गई थी कि यदि एक बार पारपत्र प्रणाली लागू कर दी गई है तो लोगों को भारत नहीं जाने दिया जायेगा ।

श्री बी० के० दास : क्या यह सत्य है कि बहुत से व्यक्ति पारपत्र सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये अब भी आने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन: वास्तव में जब पारपत्र प्रणाली लागू की गई थी तो उस के पहिले पखवाड़े में पारपत्र के नियमों में बड़ी उदारता से ढील दी गई थी और जो व्यक्ति भारत आना चाहते थे उन्हें पारपत्र न होने पर भी आने दिया जाता था ।

श्री बी० के० दास: क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति सीमा पार कर रहे थे उन्हें पाकिस्तानी सैनिक तंग करते थे सताते थे और उन की सम्पत्ति को भी हानि पहुंचाते थे ?

श्री ए० पी० जैन : कुछ उल्लेख तो किया गया था, किन्तु इन आरोपों की पड़ताल नहीं की जा सकी ।

श्री बी० के० दास: मैं यह जान सकता हूं कि क्या शरणार्थियों को भारत पहुंचाने पर सीधे उन के पुनर्वास के स्थान पर ले जाने की योजना सफल रही है ?

श्री ए० पी० जैन : आरम्भ में यह सफल रही थी, किन्तु बाद में जब भीड़ बहुत बढ़ गई तो हमें सभी नवागन्तुकों को पुनर्वास के स्थानों और काम के स्थानों पर ले जाना असम्भव दिखाई दिया और उन में से कुछ को सहायता शिविरों में ले जाना पड़ा किन्तु हमारा इन व्यक्तियों की यथाशीघ्र पुनर्वास केन्द्रों तथा काम के केन्द्रों को ले जाने का विचार है ।

श्री बी० के० दास : सियालदह और बनगांव स्टेशनों पर अब भी कितने बचे हुए हैं ?

श्री ए० पी० जैन: जहां तक मुझे ज्ञात है सियालदह साफ कर दिया गया है और संभव है कि बनगांव भी अब तक साफ कर दिया गया होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जान सकता हूं कि गत मई के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये शरणार्थियों को काम पर लगाने के लिये कितने नये कार्य केन्द्र खोले गये है ?

श्री ए० पी० जैन : इस की सूची बहुत बड़ी है और यदि माननीय सदस्य चाहें तो में उन्हें पूरी सूची दे सकता हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जान सकता हूं कि कितने व्यक्ति मयूराक्षी, हीराकुद और दामोदर घाटी भेजे गये हैं और क्या सरकार का कुछ एक विस्थापित व्यक्तियों को सामुदायिक परियोजनाओं में काम पर लगाने का कोई इरादा है ?

श्री ए० पी० जैन : जहां तक मैं जानता हूं शरणार्थियों की नई बाढ़ में आने वाले किसी भी शरणार्थी को न तो हीराकुद भेजा गया है और न ही दामोदर घाटी भेजा गया है । निस्सन्देह, सरकार की यह इच्छा है कि पुनर्वास योजनाओं को सामुदायिक परियोजनाओं के साथ मिला दिया जाये, किन्तु किस तद हक ये शरणाथी उनमें खप जायेगे यह तो उन के क्रियात्मक रूप में परिवर्तित होने पर निर्भर होगा ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : क्या मैं इस उत्तर में कुछ और जोड़ दूं ? सामुदायिक परियोजनाओं में इन के खपने की

बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। वास्तव में कुछेक प्रोद्योगिक लोगों को छोड़ कर जो संभवतः कुछ उपयोगी हो सकें इन्हें खपाना लगभग असम्भव सा है क्योंकि ये बहुत ही निपुणतापूर्ण योजनायें हैं जिन में बहुत लम्बे प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। आप किसी नये व्यक्ति को केवल सहायता देने के लिये इस काम पर नहीं लगा सकते। आप को उसे कोई और काम देना पड़ेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरा यह तात्पर्य था कि क्या विस्थापित व्यक्तियों को इन परि-योजनाओं में लगाया जा सकता है—और क्या कलकत्ता सम्मेलन में इस पर चर्चा की गई थी। श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि निराश्रित व्यक्तियों को उड़ीसा और बिहार में बसाया जायेगा ? यदि हां, तो क्या इसे क्रियान्वित किया जा रहा है ?

श्री ए० पी० जैन : वस्तुतः वहां कई विषयों पर चर्चा हुई थी और सम्मेलन में जिन प्रश्नों पर चर्चा की गई थी उन में एक प्रश्न यह भी था कि क्या हम उन शरणार्थियों में से कुछ एक को जिन के लिये कि हम स्थायी रूप से उत्तरदायी समझे जाते हैं, उन राज्यों को भेजा जा सकता है। वास्तव में शरणार्थियों की यह नई बाढ़ आने के पश्चात् हम ने कुछ हजार व्यक्तियों को बिहार और उड़ीसा स्थानान्तरित कर दिया है किन्तु, उन में ये व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं जिन के लिये कि हम स्थायी रूप से उत्तरदायी हैं।

श्री ए० सी० गुहा : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बतलाया है कि सताने या छेड़-छाड़ करने के आरोपों की पड़ताल नहीं की जा सकी। मैं यह जान सकता हूं कि उन आरोपों की पड़ताल करने के लिये क्या प्रयत्न किया गया था और क्या सरकार को इस विषय में सन्तोष हो गया है कि ये आरोप निराधार हैं ?

श्री ए० पी० जैन : इस प्रश्न के दो भाग थे— एक तो तंग करना और दूसरा सताना या छेड़ छाड़ करना। हमें कुछ सूचनायें मिली थीं कि कुछ लोग भारत आना चाहते थे और उन्हें आने नहीं दिया गया था। वास्तव में माननीय सदस्य को विदित होगा कि अल्पसंख्यक मंत्रियों ने पूर्वी बंगाल का दौरा किया है और यद्यपि मुझे यह तो पूर्णतया पता नहीं है कि वे किन परिणामों पर पहुंचे हैं, तो भी जहां तक मैं जानता हूं तंग करने के उन आरोपों की कोई पड़ताल नहीं हुई है।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा प्रश्न यह था कि माननीय मंत्री के उत्तर से हमें कुछ ऐसा आभास हुआ है कि वे आरोप थोड़ा बहुत निराधार थे। अतः क्या सरकार यह कहने को तैयार है कि उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है अथवा यह कि वे बिल्कुल निराधार थे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन्हों ने "पड़ताल नहीं की जा सकी" ये शब्द प्रयोग किये थे। उन की पड़ताल करवाने के लिये उन के पास आवश्यक सुविधायें नहीं थीं या उन की अभी तक पड़ताल नहीं हो सकी है।

श्री ए० सी० गुहा : सरकार के पास वे आरोप अवश्य पहुंचे होंगे और उसने उन के सम्बन्ध में कोई राय भी बना ली होगी। क्या सरकार को इस बात का सन्तोष हो गया है कि वे आरोप कुछ हद तक आधार रूप से ठीक थे अथवा वे निराधार थे ?

श्री ए० पी० जैन : वास्तव में हमारे पास कुछ तार आये थे जिन में यह लिखा हुआ था कि बहुत से व्यक्ति जो आना चाहते थे उन्हें रोक लिया गया था और उन्हें भारत नहीं आने दिया जा रहा था। परन्तु उन के

लगातार आने से और जिस स्वतंत्रतापूर्वक वे आ रहे थे उसे देख कर हम इस परिणाम पर पहुंचे थे कि सम्भवत: लोगों को रोका नहीं जा रहा था। वास्तव में, उन्होंने बंगाल में दो परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये हैं। पहिला तो यह कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को वहां से निकाल देना चाहता है और दूसरा यह कि वे उन्हें बिल्कुल ही रोक लेना चाहते हैं।

श्री टी० के० चौधरी: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हुं कि कितने विस्थापित व्यक्ति जिन्हें सितम्बर १९५२ से पहिले बिहार और उड़ीसा में पुन: बसा दिया गया था या जिन के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें पुन: बसा दिया गया था, वापिस लौट आये हैं या यों कहिये कि "छोड़ कर भाग गये" हैं?

श्री ए० पी० जैन: मैं उन व्यक्तियों के अलग अलग आंकड़े नहीं बतला सकता जिन्हें पुन: बसा दिया गया था अथवा जिन के बारे में यह समझा जाता था कि उन्हें पुन: बसा दिया गया है और जो पश्चिमी बंगाल लौट गये हैं, परन्तु उन व्यक्तियों की संख्या जो उड़ीसा से शिविर या पूनर्वास केन्द्र छोड़ कर चले गये हैं, लगभग १६,००० थी और बिहार से चले जाने वालों की संख्या लगभग आठ या नौ हजार थी।

डा० एन० बी० खरे —

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं पहिले ही इस प्रश्न के लिये १० मिनिट दे चुका हूं। मैं आगे और कोई अनुपूरक प्रश्न नही पूछने दे सकता।

डा० एन० बी० खरे: मैं इस से पहिले भी दो या तीन बार खड़ा हो चुका हूं, किन्तु मेरा नाम नहीं पुकारा गया।

अध्यक्ष महोदय: अन्य लोग भी हैं जो दस बार खड़े हो चुके हैं, किन्तु जिनका नाम नहीं पु कारा गया।

अब मैं अगले प्रश्न को लेता हूं।

केअर (सी ए आर ई) कार्यक्रम के अधीन सहायता

***१७. श्री पी० टी० चाको:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केअर के अधीन भारत को कितनी सहायता मिली है?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): केअर इंक द्वारा ६ मार्च १९५० से ३० सितम्बर १९५२ तक भारत में लाये गये सहायता के बंडलों का मूल्य १६,६६,८०५ रुपये है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: ये किन अभिकरणों में बांटी गई थी?

श्री अनिल के० चन्दा: विभिन्न संघटनों को।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह जानना चाहती थी कि क्या कोई निजी संघटन भी थे।

श्री अनिल के० चन्दा: वे मुख्यतया स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बांटें जाते हैं।

आकाशवाणी केन्द्रों के लिये नये पारेषक

***१८. श्री के० एस० राव:** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आकाशवाणी के केन्द्रों में नये पारेषक लगाने की कोई योजना है?

(ख) यदि हां, तो इस योजना का विस्तृत व्योरा क्या है, कितने पारेषक लगाये जायेंगे, उन पर कुल कितनी लागत आयगी, ये नये पारेषक किन केन्द्रों में लगाये जायेंगे, यह किस तिथि तक कार्य करने लगेंगे और इन नये पारेषकों को लगाने की क्या आवश्यकता है?

(ग) क्या हम इन पारेषकों के लगाने में किसी विदेश से सामान की, वित्तीय या प्रौद्योगिक सहायता ले रहे हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विस्तृत ब्यौरा एक विवरण में दिया हुआ है जो सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १**]

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

श्री रघुरामय्या: मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस योजना में विजयबाड़ा केन्द्र सम्मिलित है ?

डा० केसकर: वहां तो पहले ही एक पारेषक कार्य कर रहा है ।

श्री रघुरामय्या: मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह इन नये पारेषकों में से एक है ।

डा० केसकर: मुझे भय है कि माननीय सदस्य मेरे उत्तर को समझे नहीं हैं । विजयवाड़ा में तो पहिले ही एक पारेषक कार्य कर रहा है ।

श्री एच० जी० वैष्णव: मैं यह जान सकता हूं कि क्या नई योजना के अनुसार औरंगाबाद का पारेषक हटा दिया जायेगा ?

डा० केसकर : हां, श्रीमान् ।

श्रीलंका के भारतीय

*२०. **प्रो० अग्रवाल**: (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या श्री लंका भारतीय कांग्रेस तथा श्री लंका सरकार के मध्य मताधिकार के संम्बध में कोई अन्तिम क़रार हो गया है ?

(ख) श्री लंका के भारतीयों के लिये मताधिकार प्राप्ति को निर्विघ्न बनाने के लिये क्या श्री लंका सरकार ने कोई निश्चित कार्यवाही की है ?

(ग) यदि हां, तो वह कार्यवाही क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) जी नहीं । तथापि श्री लंका भारतीय कांग्रेस ने, जिस ने कि गत चुनावों में श्री लंका में भारतीयों को मताधिकार न देने के कारण श्री लंका सरकार के विरुद्ध अप्रैल, १९५२ में अहिंसात्मक सत्याग्रह आरम्भ किया था, श्री लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित समस्या को हल करने के लिये सद्भावनापूर्ण वायुमंडल बनाने के निमित्त १६ सितम्बर, १९५२ से इसे दो मास के लिये स्थगित कर दिया है ।

(ख) तथा (ग). जी हां । मताधिकार देने की एक मात्र कसौटी श्री लंका की नागरिकता होने के कारण ज्ञात हुआ है कि श्रीलंका की सरकार अधिकांश लोगों के इस समय विचाराधीन पड़े हुए नागरिकता के प्रार्थना पत्रों को अधिक शीघ्रता से निबटाने के लिये अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रही है । इस के अतिरिक्त उन्होंने अभी हाल ही में एक अधिसूचना भी जारी की है जिस के द्वारा पंजीकरण आयुक्त को उन प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार कर लेने का अधिकार दे दिया गया है जिन्हें कि कुछ प्रावैधिक कमियों के कारण तुरन्त अस्वीकार कर दिया गया था । यह भी कहा जाता है कि वे भारतीय तथा पाकिस्तानी निवासी (नागरिकता) अधिनियम को बदलने के लिये उस में कुछ संशोधन करने का भी विचार कर रहे हैं । इस से किसी ऐसे अवस्यक के प्रार्थना पत्र की जांच हो सकेगी जो प्रार्थना पत्र की जांच के समय वयस्क हो गया होगा और इस कारण उस का प्रार्थनापत्र रद्द हो गया होगा और ऐसे भी प्रार्थनापत्रों की जांच की जा सकेगी जिन के मुख्य प्रार्थियों की जांच के समय मृत्यु हो गई होगी और इस कारण प्रार्थी के शेष आश्रितों के प्रार्थनापत्र रद्द हो गये होंगे । यदि इन प्रस्तावों को सद्भावना

पूर्वक लागू किया गया तो इन से निश्चय ही श्री लंका में उन व्यक्तियों की स्थिति सुधर जायेगी और उन के शीघ्र मताधिकार प्राप्त करने में बाधा दूर हो जायेगी ।

प्रो० अग्रवाल: उन्होंने जो कार्यवाही की है क्या सरकार उस से संतुष्ट है या इस संबंध में आगे कुछ और पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भय है कि यह तो अपनी अपनी सम्मति की बात होगी ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में मंत्रिमंडल के स्तर पर कोई समझौता करने की सोच रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा: इस विषय में हमारी सरकार और श्री लंका की सरकार के मध्य चर्चा चल रही है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मेरा प्रश्न यह था कि क्या मंत्रिमंडल के स्तर पर बातचीत की जायेगी जिस से कि विवाद की अन्य सब बातें भी सरलता से हल हो जायें ?

अध्यक्ष महोदय: यह बातचीत दोनों सरकारों के मध्य हो रही है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री के पास समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार के संबंध में कोई सूचना है कि श्रीलंका की सरकार नागरिकता अधिनियम में भारतीयों के पक्ष में एक संशोधन करने का विचार कर रही है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जहां तक हम जानते हैं, कोई ऐसा प्रस्ताव तो है, किंतु हम यह नहीं जानते कि इन प्रस्तावों में क्या क्या बातें हैं ।

श्री ए० एम० टामस: मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह इसे भारत के प्रधान मंत्री तथा श्री लंका के स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अनुरूप बनाने के लिये किया जा रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य एक ऐसी बात की ओर निर्देश कर रहे हैं जो चार वर्ष पहिले हुई थी ।

श्री ए० एम० टामस: मेरा यह तात्पर्य है कि अब जो संशोधन करने का विचार है . .

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री ने बतलाया है कि उन्हें आने वाले प्रस्तावों के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं यह नहीं कह सकता किंतु जहां तक हमारा संबंध है हमें यह आशा है कि यह पूर्णतया उन सब व्यवस्थाओं और करारों के अनुसार ही होगा ।

चलचित्रों (फिल्मों) की परीक्षा

*२१. **प्रो० अग्रवाल:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चलचित्र सेंसर बोर्ड को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये चलचित्रों की परीक्षा करने तथा मंजूरी देने में अधिक कठोर होने के कोई अनुदेश दे दिये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): केन्द्रीय चलचित्र सेंसर बोर्ड की परीक्षा समिति को एक निदेश दिया गया है । कोई चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त है या नहीं इसका निश्चय करने के लिये सामान्य सिद्धांत बताने के अतिरिक्त इस में यह भी निर्दिष्ट है कि किन विचारधाराओं तथा दृश्यों को उपयुक्त नहीं समझना चाहिये ।

श्री सी० भट्ट : मैं यह जान सकता हूं कि क्या चलचित्र सेंसर बोर्ड के कोई ऐसे भी सदस्य हैं जो भारत में वस्तुतः चलचित्र बनाते हैं और यदि हैं, तो कितने ?

डा० केसकर केन्द्रीय चलचित्र सेंसर बोर्ड के केवल एक ही सदस्य इस समय चल चित्र बनाने वाला है

श्री नम्बियार: मैं यह जान सकता हूं कि क्या चलचित्रों को सेंसर करने में दल गत नीति से काम लिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति ।

श्री टी० के० चौधरी: क्या शरत् चन्द्र चटर्जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'बिन्दूर छेले' अर्थात् 'बिन्दु का पुत्र' की कहानी को चित्रित करने वाले चलचित्र के उस भाग को निकालने के सम्बन्ध में जिस में कि कोई मां अपने बच्चे को चूम रही थी बंगाल में हाल में जनता की ओर से प्राप्त बहुत-सी शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

डा० केसकर: माननीय सदस्य जिस विशेष शिकायत का उल्लेख कर रहे हैं उसका मुझे ज्ञान नहीं है । यदि वह कृपा करेंगे इसे मेरे ध्यान में लायेंगे, तो मैं निश्चय ही इस की जांच करूंगा ।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): मातायें सदा अपने बच्चे को चूम सकती हैं ।

ईरान से पैट्रोल का आयात

*२२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ईरान से अपने पैट्रोल का आयात पुनः आरम्भ कर दिया है ?

(ख) यदि नहीं, तो इसके आयात में अब क्या बाधायें हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन): (क) सरकार ईरान या किसी अन्य देश से सीधे अपने लेखे में कभी भी पैट्रोल का आयात नहीं करती रही है । आयात तो केवल तेल समवायों द्वारा ही किया जाता है। अतः सरकार द्वारा आयात को पुनः आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) भाग (क) का मैंने जो उत्तर दिया है, उसे ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं यह जान सकता हूं कि क्या कुछ दिन पूर्व भारत सरकार को ईरान की सरकार की ओर से कोई प्रार्थना की गई है कि वे भारत को पैट्रोल तथा पैट्रोल के उत्पाद देने को तैयार हैं ?

श्री बुरागोहिन: हमें इस वर्ष कभी फ़रवरी में ईरान सरकार की ओर से यह प्रार्थना की गई थी । उस प्रार्थना में जो कि वहां स्थिति हमारे दूतावास के द्वारा भेजी गई थी, मुख्य बात यह थी कि भारत सरकार अपने लिये तेल की टंकियों वाले जहाजों का स्वयं प्रबन्ध करे और यदि वह अपने लिये तेल ढोने वाले जहाजों का स्वयं प्रबन्ध न कर सके तो उसे ढोल की पर्याप्त चादरें भेजनी चाहियें जिस से कि राष्ट्रीय ईरानी तेल कम्पनी बड़े बड़े पीपों में तेल का निर्यात करने के लिये पीपे बना सके ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अभी तक उस प्रार्थना पर कोई कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): सरकार के पास तेल की टंकियों वाले कोई जहाज नहीं हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गण्डक परियोजना

*१९. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार विधान सभा द्वारा इसके गत मई-जुलाई, १९५२ के सत्र में पारित किये गये एक गैर-सरकारी संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें बिहार सरकार से गंडक परियोजना

को शीघ्र कार्यान्वित करने तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से आवश्यक सहायता मांगने की सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सहायता के लिये बिहार सरकार की प्रार्थना के गुण दोषों पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सहायता के संबंध में क्या निश्चय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जिस संकल्प का संकेत किया गया है भारत सरकार को उसका ज्ञान नहीं था, किंतु इस की एक प्रति अभी अभी बिहार सरकार से प्राप्त की गई है । भारत सरकार को राज्य सरकार की ओर से गंडक परियोजना को कार्यान्वित करने के संबंध में वित्तीय सहायता के लिये कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

हैदराबाद से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले मुसलमान

*२३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद राज्य से १६५१-५२ में कितने मुसलमानों ने पाकिस्तान प्रव्रजन किया है :

(१) अनुज्ञापत्रों से ; और

(२) अनुज्ञापत्रों के बिना ; और

(ख) वे भारत संघ में और हैदराबाद राज्य में यदि कोई संपत्ति छोड़ गये हैं तो वह कितनी है और उसका मूल्य क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) सरकार के पास इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं ।

(ख) निर्वासित सपंत्ति का अभी मूल्यांकन किया जा रहा है और अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । चाहे कुछ भी हो, हैदराबाद से १६५१-५२ में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की समपत्ति का मूल्य ज्ञात करना कठिन होगा ।

काश्मीर के सम्बन्ध में जेनेवा सम्मेलन

*२४. **श्री एस० सी० सिंघल**: क्या **प्रधान मन्त्री** हाल में हुए काश्मीर के प्रश्न को हल करने के लिये हुए जेनेवा सम्मेलन के संबंध में एक वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): डा० ग्राहम ने जेनेवा की बात-चीत के सबध में सुरक्षा परिषद् के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । इसका पूर्ण विवरण समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है । डा० ग्राहम ने सुरक्षा परिषद् के समक्ष एक वक्तव्य भी दिया है । यह भी प्रकाशित हो चुका है । सुरक्षा परिषद् में निकट भविष्य में आगे और चर्चा होने की संभावना है । जेनेवा में जिन विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा हुई थी उनके विषय में भारत सरकार के विचार प्रतिवेदन में दिये हुए हैं ।

नीलोखेड़ी सामुदायिक परियोजना

*२५. **श्री तुषार चटर्जी**: (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि नीलोखेडी सामुदायिक परियोजना के बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठान या तो पूर्ण रूप से बन्द कर दिये गये हैं या आंशिक रूप से बन्द कर दिये गये हैं और इस के फलस्वरूप बहुत से श्रमिक बेकार हो गये हैं और यदि हां, तो इस का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

(ख) इन औद्योगिक व्यवसायों को पुनः बसाने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

(ग) बेकार श्रमिकों को इसके बदले कोई काम या अन्तरिम सहायता देने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा): (क) एक विवरण जिसमें यह जानकारी दी हुई है पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २**]

(ख) तथा (ग). यह विषय सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

कोसी परियोजना

*२६. **श्री एल० एन० मिश्र**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा १९५१ में कोसी नदी के नियंत्रण की शक्यता पर प्रतिवेदन देने के लिये स्थापित की गई कोसी मंत्रणा समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो किस हद तक ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): भारत सरकार मंत्रणा समिति की सिफारिशों के आधार पर जिसमें कि परियोजना के सिंचाई संबंधी पहलू पर अधिक बल दिया गया है परियोजना के बारे में संशोधित विवरण तथा प्राक्कलन तैयार करने के लिये सहमत हो गई है ।

भारत-नेपाल सीमान्त

*२७. **श्री एल० एन० मिश्र**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बिहार के चम्पारन, मुज़फ्फरपुर, सहर्सा, पूर्निया और दरभंगा ज़िलों के निकट भारत-नेपाल सीमान्त पर विधि और व्यवस्था की स्थिति पर्याप्त खराब हो गई है और सीमान्त स्थिति गांवों के भारतीय भय और आशंका से अभिभूत हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि नेपाल की तराई में वर्षों से रहने वाले भारतीय नेपाल की असाधारण स्थिति के फलस्वरूप भारत में प्रव्रजन कर गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) बिहार के सीमान्त पर स्थित नेपाल के तराई के क्षेत्र में गत जुलाई में कुछ गड़बड़ हुई थी, किंतु उस के बाद से प्राप्त हुए समाचारों के अनुसार स्थिति सुधर गई है । बिहार सरकार में इस बात का ध्यान रखने के लिये पूरी सावधानियां बरती थीं कि सीमान्त के हमारी ओर कोई असाधारण घटना न घटे ।

(ख) कुछ एक लोग भारत में प्रव्रजन कर गये थे, किंतु जब व्यवस्था पुनः स्थापित कर दी गई थी तो उन में से अधिकांश नेपाल में अपने घरों को लौट गये थे ।

दक्षिण अफ्रीका के भारतीय

*२८. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर**: (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान पी० टी० आई० के ९ सितम्बर, १९५२ के इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि जिस में यह कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भारतीय तथा पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से दक्षिण अफ्रीका में भारतय उद्भव के व्यक्तियों के साथ व्यवहार विषयक १२ जनवरी, १९५२ के महासभा के संकल्प को क्रियान्वित करने के संबंध में भेंट की ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह समाचार सत्य है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख) . दक्षिण अफ्रीका संघ में भारतीय उद्भव के लोगों के साथ व्यवहार के संबंध में कई एक प्रश्न हैं । एक संक्षिप्त विवरण, जिसमें गत वर्ष की घटनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जा रहा है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३**] यह प्रकट है कि भारत सरकार ने १२ जनवरी १९६२ को संयुक्त

राष्ट्रीय महासभा द्वारा पारित किये गये संकल्प को कार्यान्वित करने की भरसक चेष्टा की है, किंतु दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार ने इस संबंध में सहयोग नहीं किया है। इस प्रकार इस वर्ष इस पुरानी समस्या को हल करने में कोई प्रगति नहीं हुई है और संयुक्त राष्ट्रीय महासभा अब इस पर विचार कर रही है।

परन्तु, यह प्रश्न जातीय संघर्ष के बहुत बड़े प्रश्न के सामने बिल्कुल गौण हो गया है जिस के कारण जातीय भेद-भाव के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ कर दिया गया है। यह आन्दोलन शांतिपूर्ण तथा अहिंसात्मक है और इस प्रयोजन के लिये अफ्रीकियों, भारतीयों तथा रंगीन लोगों ने जिनकी दक्षिण अफ्रीका में ८० प्रतिशत जन संख्या है एक संयुक्त मोर्चा स्थापित किया है। सत्याग्रहियों को कठोर दंड देने तथा उनके साथ कठोर व्यवहार करने के बावजूद भी यह आन्दोलन जारी है और फैलता जा रहा है। अब तक ७००० से अधिक स्वयंसेवक अन्यायपूर्ण विधियों का शातिपूर्वक उल्लंघन करने के लिये गिरफ्तार हो चुके हैं।

न्यूयार्क में रोकी गई भारतीय काली मिर्च

*२९. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अमेरिकन अधिकारियों ने भारतीय कालीमिच के जहाजों को न्यूयार्क में रोक लिया है और यदि हां, तो क्यों ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): जी हां। भारतीय कालीमिर्च के कुछ खेपों को अमरीकी अधिकारियों ने इसलिये रोक लिया था क्योंकि उन में कुछ मिलावट का संदेह था। बाद में केवल एक को छोड़कर सभी को छोड़ दिया गया था। यह बताया गया है कि उसमें खनिज तेल का मिश्रण था और इसलिये उसके पुनर्नियात का आदेश दे दिया गया था।

त्रिवेन्द्रम् के आकाशवाणी केन्द्र के कर्मचारी

*३०. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम् के आकाशवाणी केन्द्र के कर्मचारी केन्द्रीय सेवा में मिला लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) जी हां।

(ख) यह १ अप्रैल, १९५१ से लागू होगा। इस संबंध में ४ अक्तूबर, १९५२ से आदेश जारी कर दिये गये हैं।

भारत में जापानी सम्पत्ति

*३२. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जापान के साथ हाल में हुई शांति संधि के अनुसार अब जापान को कुल अनुमानित बीस खरब येन की जापानी संपत्ति लौटानी पड़ेगी ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह विदित है कि जापान सरकार ने भारत में इस संपत्ति के एक अंश का भारत तथा जापान के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिये प्रयोग करने का निश्चय किया है ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार को इस इरादे और उस के बाद की योजना के विस्तृत ब्यौरे की सूचना दे दी गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जापानियों की २,५६,६३,००० रुपये के मूल्य की संपत्ति शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक के पास रख दी गई थी। इस में से ४३,८६,००० रुपये की राशि विभाजन के समय अविभाजित भारत सरकार के सामान्य रोक-सन्तुलन को बांट कर पाकिस्तान सरकार को दे दी गई

थी । इस प्रकार भारत-जापान शांति संधि के अनुच्छेद ४ की शर्तों के अनुसार अब २,१२,७७,००० रुपये के मूल्य की संपत्ति जापान को लौटाने के लिये उपलब्ध है । इस में से ३३,५९,००० रुपये के मूल्य की अचल संपत्ति है ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

धोतियों और साड़ियों का बुनना

*३३. **श्री दाभी:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मद्रास के मुख्य मंत्री ने हाल में यह सुझाव दिया है कि सरकार को धोतियों और साड़ियों का बुनना हाथ-करघों के लिये सुरक्षित रख देना चाहिये ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार की इस सुझाव के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां ।

(ख) इस प्रश्न से उत्पन्न कतिपय प्रकार के वस्त्रों को सुरक्षित रखने की बात पर विचार किया जा रहा है ।

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में मिट्टी की झोंपड़ियां

*३४. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विस्थापित व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि विस्थापित व्यक्तियों की विभिन्न बस्तियों में मिट्टी की झोंपड़ियों का स्वामित्व तुरन्त उस में रहने वाले व्यक्तियों को भूमि का कोई मूल्य लिये बिना उनके संपत्ति के दावों के बदले हस्तांतरित कर दिया जाये ?

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है या क्या उसका इस पर उचित ध्यान देने का विचार है ?

(ग) यदि यह सुझाव स्वीकार्य हो, तो सरकार को कब तक इसे क्रियान्वित करने की आशा है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) से (ग). यह सुझाव, जिसका कि माननीय सदस्य ने निर्देश किया है, विस्थापित व्यक्तियों द्वारा दिया गया है और सरकार के विचाराधीन है । कतिपय आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं तथा इन बस्तियों के संबंध में संपूर्ण क्षतिपूर्ति की योजना के एक अंश के रूप में निश्चय किया जायेगा ।

विस्थापित व्यक्तियों का प्रशिक्षण

*३५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों से ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में आंकड़े मांगे हैं जिन्होंने कि सरकार की प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रौद्योगिक प्रशिक्षा प्राप्त की है ।

(ख) क्या यह सूचना पूर्णतया एकत्रित हो गई है ।

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने विस्थापित व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और उनमें से कितनों ने वस्तुत: उसी व्यवसाय को अपना लिया है या वस्तुत: उसी काम में लगे हुए हैं ?

(घ) राज्यवार उनकी संख्या कितनी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) (घ). एक । पुनर्वास मंत्रालय ने श्री मेहर चन्द खन्ना की अध्यक्षता में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों

के व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक प्रशिक्षण की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है। समिति ने १३ राज्यों की सरकारों को जिन में कि पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति बहुत अधिक संख्या में रहते हैं, इस प्रयोजन के लिये एक प्रश्नावलि भेजी है। यह समझा जाता है कि उन के उत्तर आने लगे हैं जिन में प्रश्न में उल्लिखित कुछ विस्तृत बातें भी सम्मिलित हैं। यह आशा है कि व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक प्रशिक्षण की समस्या से सम्बद्ध आवश्यक आंकड़े आदि समिति के प्रतिवेदन में सारणीबद्ध कर दिये जायेंगे जिस की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हो सकेंगी।

विदेशों से सहायता उपहार

*३६. **श्री एन० पी० सिन्हा:** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत को १९५१-५२ में विदेशों से नगदी या जिन्स के रूप में सहायता के लिये उपहार प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या और किन देशों से ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख)। यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

जल-विद्युत यंत्रों के कारखाने

*३७. **श्री एन० पी० सिन्हा:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड ने भारत में जल-विद्युत यंत्र बनाने के कारखाने खोलने का कोई सुझाव दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई पग उठाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) हां, श्रीमान्, १९४८ में।

(ख) केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड का सुझाव प्राप्त होने से भी पहिले सरकार भारी विद्युत संयन्त्रों तथा सामग्री के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित करने की संभावना के विषय में खोज कर रही थी। अब वित्तीय कारणों से इस योजना को छोड़ दिया गया है।

प्रशिक्षित विस्थापित व्यक्तियों का ऋण

*३८. **श्री बाल्मीकी:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अधीन अक्तूबर, १९५२ तक प्रशिक्षित कितने विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के पश्चात् छोटे-मोटे ऋण दिये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पाकिस्तान को केले का निर्यात

*३९. **श्री पाटस्कर:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत से प्रतिवर्ष कितने माल के डिब्बे केले भर कर पाकिस्तान को भेजे जाते हैं ?

(ख) पाकिस्तान सरकार भारत से जाने वाले केलों तथा अन्य फलों पर किस दर से आयात शुल्क लेती है ?

(ग) भारत सरकार पाकिस्तान से भारत आने वाले मेवों पर तथा अन्य फलों पर किस दर से आयात शुल्क लेती है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि भारत से आने वाले फलों पर पाकिस्तान सरकार जो आयात शुल्क लेती है वह भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से आने वाले मेवों तथा अन्य फलों पर लिये जाने वाले आयात शुल्क की अपेक्षा कहीं अधिक होता है ?

(ङ) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा लिये जाने वाले आयात शुल्क की उच्च दर का पाकिस्तान के साथ केले तथा अन्य फलों के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

(च) क्या भारत सरकार पाकिस्तान से आने वाले मेवों तथा अन्य फलों पर उसी के समान उच्च दर से आयात शुल्क लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) से (घ) तक । एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ङ) क्योंकि पाकिस्तान जाने वाले फलों पर आयात नियंत्रण के प्रतिबन्ध लगे हुए हैं अतः हमारे फलों के निर्यात पर पाकिस्तान के आयात शुल्क के प्रभाव को आंकना सरल नहीं है ।

(च) भारत पाकिस्तान से आयात किये जाने वाले मेवों तथा ताज़े फलों की कुछ श्रेणियों पर पहिले ही आयात शुल्क ले रहा है । माननीय सदस्य यह समझ लें कि मैं राजकोषीय शुल्क में किसी घटा-बढ़ी के बारे में कुछ नहीं बतला सकता ।

गोरखों की भर्ती

*४०. **श्री एच० एन० मुकर्जी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रट ब्रिटेन की सरकार को ब्रिटिश सेना के लिये भारतीय राज्यक्षेत्र में गोरखा सैनिकों की भर्ती की सभी सुविधायें समाप्त के निमित्त यदि कोई पग उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) अगस्त १९५२ में ब्रिटेन तथा नेपाल की सरकारों को यह सूचित कर दिया गया था कि भारत सरकार ब्रिटेन की सरकार को अस्थायी रूप से भारत में गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिये दी हुई सुविधायें यथासंभव शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देना चाहती है । ब्रिटेन की सरकार ने हमें यह सूचित किया है कि वह इस विषय में हमारी इच्छा को पूरा करने के लिये तैयार है । अब इस विषय में सम्बद्ध सरकारों से चर्चा चल रही है ।

कोर्बा कोयला क्षेत्र का विकास

*४१. **श्री कृष्ण चन्द्र**: क्या **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कोर्बा कोयला क्षेत्र का विकास पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ; और

(ख) क्या इसे निजी सूत्रों द्वारा विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां ।

(ख) इस क्षेत्र के एक भाग को खान लगान के लिये पहिले ही एक निजी सार्थ को उधार पट्टे पर दिया जा चुका है ।

राजदूतावासों के समाचारपत्र-सहचारी

*४२. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों में हमारे राजदूतावासों के साथ समाचार-पत्र सहचारी नहीं हैं ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या भविष्य में उन्हें रखने का विचार है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन देशों में हमारे राजदूतावासों द्वारा जारी की गई एक भी प्रचार-पुस्तिका को अब तक इन देशों के समाचार पत्रों ने प्रकाशित नहीं किया है ; और

(घ) क्या इन देशों के समाचार पत्रों में हमारे देश के संबंध में लिखे हुए लेखों का अनुवाद करने का प्रबन्ध किया हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) मास्को या प्राग में निकट भविष्य में कोई समाचारपत्र-सहचारी भेजने का विचार नहीं है । पूर्वी यूरोप की केवल इन्हीं दो राजधानियों में भारत सरकार के नियोजन हैं ।

(ग) मास्को में राजदूतावास द्वारा कोई समाचार पत्र संबंधी प्रचार पुस्तिकायें नहीं जारी की गई हैं । प्राग के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और मिलते ही सदन के समक्ष रख दी जायेगी ।

(घ) जी हां ।

एक इस्पात संयन्त्र लगाने के सम्बन्ध में बातचीत

*४३. **श्री डी० एन० सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार तथा अमेरिकन और जापानी व्यापारियों के एक संयुक्त सार्थ के बीच भारत में एक इस्पात संयंत्र लगाने के लिये बातचीत हो रही है; और

(ख) क्या इस के लिये स्थान चुन लिया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सरकार कुछ जापानी तथा अमेरिकन व्यापारियों के एक दल के साथ भारत में लोहे तथा इस्पात के एक एकीकृत संयन्त्र को लगाने की परियोजना के संबंध में बातचीत कर रही है । इस समय इस संबंध में और कुछ विस्तृत बातें बतलाना जन हित में उचित नहीं है ।

(ख) भविष्य में लगाये जाने वाले किसी संयन्त्र के लिये स्थान का चुनाव बाद में प्रौद्योगिक विशेषज्ञों के परामर्श से किया जायेगा । इस समय सरकार ने इस विषय में कोई निश्चिय नहीं किया है ।

फ्रांसीसी बस्तियों के शरणार्थी

*४४. **श्री एम० आर० कृष्ण** : (क) **क्या प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारत में फ्रांसीसी बस्तियों से आने वाले शरणार्थियों की दुर्दशा को जानती है ?

(ख) कितने पुरुष, स्त्रियां और बच्चे तंग करने के कारण फ्रांसीसी प्रदेश से भाग कर भारत संघ के प्रदेश में आ बसे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । जो सूचना प्राप्त हुई है उस के अनुसार लगभग १,५०० व्यक्ति फ्रांसीसी बस्तियों से सताये जाने के कारण प्रव्रजन कर के आ गये हैं । गत कुछ सप्ताहों में ५० परिवार पांडिचेरी से प्रव्रजन कर के भारत आ गये बताये जाते हैं ।

भारत में मोटर गाड़ियों का निर्माण

*४५. **श्री एम० आर० कृष्ण** : (क) **क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारतीय धनपतियों से सम्बद्ध आंग्ल-अमरीकी मोटर गाड़ियों के सार्थों को आयात की हुई गाड़ियों के मुक़ाबले में अपने उत्पादों को बेचने में बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है ?

(ख) क्या भारत सरकार का इन सार्थों की भारत में कारों के निर्माण में सहायता करने का विचार है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन सार्थों को कौन सी विशेष सुविधायें देने का निश्चय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय यह जानने का है कि क्या आंग्ल-अमरीकी सार्थों के प्रौद्योगिक सहयोग से मोटर गाड़ियां बनाने वाले भारतीय सार्थों को उन लोगों के मुक़ाबले में जो कि सी० के० डी० की आयात की हुई सामग्री से केवल पुर्जों को जोड़ कर गाड़ियां बनाते हैं अपनी गाड़ियां बेचने में कठिनाई अनुभव हो रही है, तो इस का उत्तर यह है कि यदि इन निर्माताओं को कोई कठिनाई हो रहीं है तो इस का कारण मुख्यतया बाज़ार की वर्तमान मन्दी है।

(ख) तथा (ग)। सरकार सदा ही इस उद्योग को हर सम्भव सहायता देती रही है और देती रहेगी। इस उद्योग को इस बात का प्रोत्साहन देने के लिये कि यह देश में यथा-शक्ति अधिक से अधिक कल पुर्जे बना सके अन्तरिम कार्यवाही के रूप में १ मार्च १९५० से कतिपय पुर्जों पर आयात-शुल्क बढ़ा दिया गया था तथा कुछ पर घटा दिया गया था। मोटर गाड़ियों के निर्माताओं को मोटर गाड़ियों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा अन्य व्यक्तियों से अधिक दी जाती है। इस उद्योग को आगे और क्या सहायता दी जायेगी इस का निश्चय तट-कर आयोग की सिफ़ारिशों को ध्यान में रख कर, जो कि इस उद्योग के बारे में जांच कर रहा है, किया जायेगा।

अमुस्लिमों पर आक्रमण

*४६. **पंडित अलगूराय शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के अमुस्लिमों पर १५ अगस्त, १९५२ से ३१ अक्तूबर, १९५२ तक भारतीय सीमा पर कितने आक्रमण हुए तथा इसी अवधि में पाकिस्तानी प्रदेश के अन्दर इसी प्रकार के कितने आक्रमणों की सूचना मिली;

(ख) इस प्रकार के आक्रमणों में कितने धन, जन की हानि हुई और कितने लोगों को इस कारण पाकिस्तान छोड़ कर भारत आने पर विवश होना पड़ा ; तथा

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ; यदि हां, तो वह क्या है और उस का क्या प्रतिफल हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अवधि में पूर्वी पाकिस्तान के अमुस्लिमों पर २४ भयंकर आक्रमण भारतीय सीमान्त पर किये गये थे तथा ५२ पाकिस्तान के अन्दर किये गये थे। किन्तु पाकिस्तान के अन्दर के आक्रमणों के सम्बन्ध में ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारतीय सीमान्त पर पांच घातक घटनायें हुई थीं और लगभग ५००० रुपये की हानि हुई थी। पाकिस्तान के अन्दर की घटनाओं के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है और नही ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात है जो इन के फल स्वरूप भारत में चले आये।

(ग) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बनाये रखने के कार्यों में सहयोग करने तथा उन के मनों में से भय व असुरक्षा दूर करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार पूर्वी बंगाल की सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये रहती है। केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री तथा उन के पाकिस्तान के सहकारी इसी काम में लगे रहते हैं।

पाकिस्तान को पान तथा फलों का निर्यात

*४७. श्री गिडवानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान ने भारतीय पान तथा केलों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) प्रतिवर्ष औसत कितने मूल्य की इन वस्तुओं का पाकिस्तान को निर्यात किया जाता है ;

(ग) क्या पाकिस्तान के पान के पत्तों तथा फलों का भारत में स्वच्छन्दता से आयात किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना आयात किया जाता है ;

(ङ) क्या बम्बई राज्य के बसीन तथा पालघर ताल्लुकों के किसानों ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन किये हैं ;

(च) क्या सरकार को यह विदित है कि पाकिस्तान के इस रुख के कारण इन दोनों ताल्लुकों के आदिवासी श्रमिकों के अतिरिक्त १०,००० किसान परिवारों के समक्ष भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(छ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है ;

(ज) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ;

(झ) सरकार ने इस प्रकार प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा के लिये क्या पग उठाये हैं ; और

(ञ) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान के पान तथा फलों को लाने ले जाने के लिये भारतीय विमान काम में लाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमारकर) : (क) भारत से पान के पत्तों तथा केलों का आयात एक खुली सामान्य अनुज्ञप्ति द्वारा किया जाता था जो कि समाप्त हो गई है और अब जब तक पाकिस्तान सरकार कोई अनुज्ञप्ति न दे तब तक कोई आयात नहीं किया जा सकता ।

(ख) हमारे पाकिस्तान को केलों के निर्यात सम्बन्धी अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि हमारे आंकड़ों में वे "ताज़े फल" इस शीर्ष के अन्तर्गत विद्यमान हैं । सन् १९५१-५२ में २.२५ करोड़ रुपये के पान के पत्तों का निर्यात किया गया । इस से पहिले के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी हां, खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के अधीन जो ३० नवम्बर १९५२ तक वैध है ।

(घ) भारत में गत दो वर्षों में पाकिस्तान से प्रतिवर्ष औसत क्रमशः ६० लाख रुपये और ६ लाख रुपये के सभी प्रकार के फलों (ताज़े तथा सूखे) और पान के पत्तों का आयात किया गया ।

(ङ) हां, श्रीमान् ।

(च) हमारे पास इस से प्रभावित परिवारों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है किन्तु इन दोनों ताल्लुकों के किसानों से अभ्यावेदन अवश्य प्राप्त हुए हैं जिन में उन की कठिनाइयां बतलाई हुई हैं ।

(छ) तथा (ज)। तीन मास पूर्व भारत और पाकिस्तान में जो व्यापार वार्ता हुई थी उस में इस विषय पर चर्चा हुई थी ।

(झ) यदि आयात करने वाला देश किसी पदार्थ को न मंगवाना चाहे तो सरकार के लिये उस पदार्थ का निर्यात का कोई निकास मार्ग बनाना सम्भव नहीं है ।

(ञ) जी हां ।

मनीपुर में पुनर्वास

*४९. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या पुनर्वास मंत्री ३० मई १९५२ को मनीपुर राज्य में

पुनर्वास के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३२ के उत्तर को निदश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर राज्य को कितने विस्थापित व्यक्ति दिये गमे थे और मनीपुर में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कितनी राशि अलग रखी गई है ;

(ख) उन में से कितनों को अब तक पुनः संस्थापित किया जा चुका है और फिर से बसाया जा चुका है ;

(ग) पुनः संस्थापन तथा पुनर्वास के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) क्या सरकार को यह विदित है कि मनीपुर राज्य के कुछ ग्रामीणों को, जिन में वहां की आदिम-जातियों के लोग तथा ग़ैर-आदिमजातियों के लोग भी सम्मिलित थे, सेरों में, जिसे कि अब विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, अपनी भूमियों पर से जिन पर उन का कई वर्षों से अधिकार था, हटा दिया गया था ; और

(ङ) क्या सरकार का उन हटाये गये व्यक्तियों को उचित क्षतिपूर्ति देने का विचार है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) मनीपुर राज्य में पुनर्वास के लिये विस्थापित व्यक्तियों की कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है । तथापि अनुमानतः ५,४०,००० रुपये व्यय कर के १,००० कृषक परिवारों को पुनः बसाने की एक योजना मंजूर की गई थी ।

(ख) ४१३ परिवार ।

(ग) राज्य को भेजे गये ४०१ कृषक परिवारों को घरों तथा खेती के लिये भूमि दी गई है और पशु, औजार तथा बीज ख़रीदने के लिये ऋण दिये गये हैं और शेष १२ बढ़ई परिवारों को केवल घर बनाने के लिये ऋण दिये गये थे ।

(घ) तथा (ङ)। यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

फ्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

*५०. **पंडित अलगूराम शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि फ्रांस की सरकार ने भारत की फ्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में अक्तूबर, १९५२ में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से असहमति प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो वे वक्तव्य कौन से हैं ; तथा

(ग) क्या भारत सरकार ने उस का उत्तर दिया है और यदि हां, तो वह उत्तर क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग) तक । भारत सरकार को फ्रांसीसी सरकार से इस विषय में कोई संवाद नहीं प्राप्त हुआ है ।

सड़क यातायात विभाग, हैदराबाद के लिये वस्तुएं

*५१. **श्री विट्ठल राव** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद के सड़क यातायात विभाग को अगस्त, १९५२ के बाद से कितने मूल्य की वस्तुयें दी गई हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई है कि उस के बाद से पुर्जों के सम्भरण में विलम्ब के कारण कितनी बसें और लारियां बेकार पड़ी हुई ह.; और

(ग) सम्भरण में शीघ्रता लाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) हैदराबाद के सड़क यातायात विभाग ने लगभग २० लाख रुपये के मूल्य की वस्तुएं मंगवाई थीं और जिस के लिये आगे भारत भाण्डार विभाग, लन्दन तथा भारत सम्भरण नियोजन, वाशिंगटन को व्यादेश दे दिया गया था उस में से लगभग २ लाख रुपये की वस्तुओं का सम्भरण किया जा चुका है ।

(ख) यह समझा जाता है कि पुर्जों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण ४० से ५० तक गाड़ियां बेकार पड़ी हुई हैं ।

(ग) भारत भाण्डार विभाग, लन्दन के महासंचालक से अतिशीघ्र सम्भरण करने के लिये कहा गया है और इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की समय समय पर सूचना देने के लिये कहा गया है ।

सिंगारेनी कोयला खान लिमिटेड, हैदराबाद को यंत्र, सामग्री आदि

*५२. **श्री विट्ठल राव** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रसद विभाग नं० १९५१ से हैदराबाद राज्य की सिंगारेनी कोयला खान लिमिटेड को कितने मूल्य के यंत्रों तथा वस्तुओं का सम्भरण किया है ;

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि सम्भरण के कम होने के कारण कई बार काम रुक गया था जिस के फलस्वरूप उत्पादन में कमी तथा कम्पनी के कर्मचारियों की मजूरी की हानि हुई ; और

(ग) क्या कम्पनी ने यंत्रों तथा पुर्जों के लिये १९५१ में जो २५ लाख की अगाऊ राशि दी थी उस के बदले में पूर्ण सम्भरण कर दिया गया है ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बरागोहिन) : (क) तथा (ग)। जहां तक मैं जान सका हूं ऐसा प्रतीत होता है कि हैदराबाद राज्य की सिंगारेनी कोयला खान लिमिटेड से कोई वस्तुसूचियां नहीं प्राप्त हुईं और रसद संघटन द्वारा उन के लिये किसी सम्भरण की व्यवस्था की गई प्रतीत नहीं होती । यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कम्पनी ने १९५१ में २५ लाख की राशि किसे अगाऊ दी थी । तथापि, मैं इस विषय में आगे और पूछ-ताछ कर रहा हूं और यदि माननीय सदस्य मुझे इस विषय में आगे और जानकारी देंगे तो मैं उन का बहुत आभार मानूंगा ।

(ख) मैं ने भाग (क) तथा (ग) का जो उत्तर दिया है उसे ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य मुझ से इस समय यह आशा नहीं करेंगे कि मैं यह मान लूं कि यदि कभी काम रुका भी हो तो उस का प्रत्यक्ष कारण रसद विभाग द्वारा मंगाये गये यंत्रों या पुर्जों का कम सम्भरण हुआ होगा ।

पीकिंग के लिये पारपत्र

५३ श्री विट्ठल राव : क्या **प्रधान मंत्री** : यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद राज्य से कितने व्यक्तियों ने सितम्बर, १९५२ में पीकिंग में एशियाई शान्ति सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये पारपत्रों के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे ;

(ख) उन में से कितनों को पारपत्र दे दिये गये थे और कितनों को देने से इन्कार कर दिया गया था ; और

(ग) पारपत्र देने से इन्कार करने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख)। हैदराबाद राज्य से २० व्यक्तियों ने चीन में सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये पारपत्रों के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे। इन में से छै को पारपत्र की सुविधायें दे दी गई थीं और तीन को देने से इन्कार कर दिया गया था। जब कि शेष ११ प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जा रहा था, तो सम्मेलन के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल के आयोजकों ने सरकार को सम्मेलन में जाने वाले प्रतिनिधियों की एक अन्तिम सूची दी। इस सूची में हैदराबाद राज्य के केवल तीन नाम थे और उन सभी को पारपत्र देने से इन्कार कर दिया गया।

(ग) इन्हें इस कारण पारपत्र देने से इन्कार कर दिया गया क्योंकि सरकार उन्हें पारपत्र देना जनहित में उचित नहीं समझती थी।

पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक

*५४. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत ने पारपत्रों के जारी होने के ठीक पहिले और पश्चात् पाकिस्तान सरकार से सरकारी और कूटनैतिक स्तर पर यदि कोई अभ्यावेदन किये हैं उन के फलस्वरूप और विशेष रूप से प्रधान मंत्री की १९ अक्तूबर १९५२ को कलकत्ता में पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के विस्थापित व्यक्तियों के पश्चिमी बंगाल में आगमन के बारे में स्थानीय जांच के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के प्रश्न के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) पारपत्र प्रणाली के जारी होने के कारण जिन्हों ने अब भारत में भारतीय नागरिक के रूप में बसने का निश्चय किया है ऐसे सच्चे प्रव्रजकों के या ऐसे सच्चे विस्थापित व्यक्तियों के जो कि पारपत्र जारी होने की निश्चित तिथि से पूर्व पाकिस्तान में अपने व्यवसाय को समेट कर भारत नहीं आ सके बिना सताये भारत आने तथा सुरक्षापूर्वक सीमान्त को पार करने के लिये पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार तथा पूर्वी पाकिस्तान की प्रान्तीय सरकार से यदि कोई प्रत्याभूतियां ली गई हैं, तो वे क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख)। पारपत्र प्रणाली के जारी होने के बाद पूर्वी बंगाल से प्रव्रजकों का आगमन नहीं हुआ है। किन्तु उचित जांच के पश्चात् प्रव्रजन की सुविधायें अब भी मिली हुई हैं। पारपत्र रखने वालों को भी अधिक कठिनाई के बिना द्रष्टांक मिल सकते हैं। भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के अल्पसंख्यक मंत्रियों ने हाल में पूर्वी पाकिस्तान के कतिपय क्षेत्रों का दौरा किया है।

दोनों अल्पसंख्यक मंत्रियों ने २४ अक्तूबर को ढाका में अपनी बैठक के पश्चात् एक संयुक्त विज्ञप्ति में इस बात से सहमति प्रकट की थी कि पारपत्र व द्रष्टांक प्रणाली का निर्वचन या प्रवर्त्तन इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिये जिस से कि अप्रैल १९५० के प्रधान मंत्रियों के क़रार की शर्तों के अनुसार प्रव्रजन करने वालों के आवागमन में बाधा पड़े और जो व्यक्ति प्रव्रजन करना चाहते हों उन्हें उदारता से पुनर्देशावर्तन प्रमाणपत्र देने चाहिये। वे अपनी अपनी सरकारों से यह सिफ़ारिश करने के लिये भी सहमत हो गये थे कि पारपत्र प्रणाली के प्रवर्तन में एकरूपता बनाये रखने के लिये दोनों देशों के पदाधिकारियों की शीघ्र ही एक बैठक बुलाई जाये।

कुटीरोद्योग बोर्ड

*५५. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ;

(क) कुटीरोद्योग बोर्ड कब बनाया गया था और इस के सदस्य कौन कौन हैं ;

(ख) वर्ष १९५१-५२ में इस की कितनी बैठकें हुईं ; और

(ग) क्या बोर्ड का कोई प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) बोर्ड अगस्त, १९४८ में बनाया गया था । एक विवरण , जिस में बोर्ड के सदस्यों के नाम दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या ५**]

(ख) एक ।

(ग) बोर्ड की अन्तिम बैठक की कार्यवाही का अभिलेख सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट अनुबन्ध संख्या ५**] ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

*५६. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास कितनी धनराशि है ; और

(ख) क्या रेशम बोर्ड ने चालू वर्ष के लिये कोई कार्यक्रम तथा आयव्ययक तैयार किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) बोर्ड के पास वर्ष १९५२-५३ के लिये सरकार के सहायतार्थ अनुदान के ४$^{१}/_{२}$ लाख रुपये तथा पहिले अनुदानों के शेष २१,७०० रुपये हैं ।

(ख) जी हां ।

हाथ करघों तथा वस्त्र मिलों के उत्पाद

*५७. **श्री अच्युतन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष की गत दो तिमाहियों में हाथ करघे तथा वस्त्र मिल उद्योग के उत्पादों के उत्सर्जन का (आन्तरिक विक्रय तथा निर्यातों सहित) लगभग तुलनात्मक प्रतिशतक क्या रहा है ?

(ख) क्या भारत में हाथ करघा उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा बचाने के लिये कोई विशेष पग उठाये गये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस वर्ष अप्रैल से सितम्बर १९५२ तक मिल के बने हुए कपड़े का उत्पादन २३,६५० लाख गज़ हुआ है और उसी अवधि में हाथ करघे के कपड़े का उत्पादन अनुमानत: लगभग ५,१०० लाख गज़ हुआ है ।

उसी अवधि में मिल का बना हुआ कपड़ा तथा हाथ करघे का कपड़ा क्रमश: ३,४४० लाख गज़ तथा २३५ लाख गज़ अथवा उत्पादन का लगभग १४ प्रति शत तथा ५ प्रति शत निर्यात किया गया ।

मिल के बने हुए कपड़े तथा हाथ करघ के कपड़े के आन्तरिक विक्रय के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि कपड़े के आन्तरिक वितरण का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६**] ।

हीराकुद परियोजना

*५८. **श्री के० के० बसु** : क्या सिंचाई **तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुद परियोजना के निर्माण कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्रकार के कार्य में कितने ठेकेदार लगे हुए हैं ;

(ग) प्रत्येक ठेकेदार को औसत कितना काम मिला हुआ है और उस की लागत क्या है ;

(घ) अधीक्षक कर्मचारीवर्ग के कर्मचारियों के नाम, उन की अर्हतायें और नौकरी की शर्तें क्या हैं ; और

(ङ) क्या वे स्थायी केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अंग हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण जिस में अक्तूबर, १९५२ के अन्त तक परियोजना की प्रगति दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]** ।

(ख) तथा (ग) । अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) तथा (ङ) । एक विवरण जिस में गजेटेड कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]** ।

विवरण में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से भेजे गये पदाधिकारियों के सम्बन्ध में संकेत किया हुआ है । न गज़ेटेड कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

टीन प्लेट

*५९. **श्री के० के० बसु** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(१) इस्पात परिष्करण उद्योग ;

(२) कुटीरोद्योग ; तथा

(३) मिट्टी का तेल पीपों में बन्द करने वालों में टीन प्लेट का वितरण किस आधार पर किया जाता है ?

(ख) राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा टीन के कनस्तरों के उत्पादन सामर्थ्य की किस आधार पर गणना की जाती है ?

(ग) क्या केवल कलों के उत्पादन-सामर्थ्य को ही ध्यान में रखा जाता है अथवा अन्य बातों की ओर भी ध्यान दिया जाता है और यदि हां, तो ये बातें क्या हैं ?

(घ) क्या राज्य सरकारों की सिफ़ारिशों का अभ्यंश के आवंटनों पर कोई प्रभाव पड़ता है ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि कतिपय कारख़ाने भिन्न भिन्न तथा अपर्याप्त अभ्यंशों के कारण रुक रुक कर चलते हैं जिस के फलस्वरूप यदा कदा श्रमिक बेकार हो जाते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) टीन प्लेट की कमी के कारण केवल उन्हीं कारखानों को उन के अनुमानित सामर्थ्य, महत्व तथा उपभोक्ताओं के व्यादेशों के परिमाण के आधार पर टीन प्लेट का आवंटन किया जाता है जो २० मार्च १९५० को या उस से पहिले कारख़ाना अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध हो चुके थे और जो उस तिथि को या उस से पहिले बिजली की सहायता से टीन प्लेट का परिष्करण करते थे । मिट्टी का तेल पीपों में बन्द करने वालों में उन की देश के विभिन्न वितरण केन्द्रों में मिट्टी का तेल भेजने की आवश्यकताओं के आधार पर वितरण किया जाता है ।

(ख) तथा (ग)। उत्पादन सामर्थ्य का अनुमान कलों की अवस्था, विद्युत् की उपलब्धता, नियोजित श्रम, काम करने की अवस्था और पिछले कार्य को ध्यान में रखते

हुए आठ घंटे की एक पाली के आधार पर किया जाता है। टीन प्लेट का आवंटन सीधा केन्द्र द्वारा किया जाता है, राज्यों द्वारा नहीं।

(घ) हां, श्रीमान्।

(ङ) आवंटन इस प्रकार किया जाता है जिस से कि प्रत्येक कारखाने को इस के उत्पादन सामर्थ्य का कुछ न्यूनतम प्रति शत अंश मिल जाये और किसी कारखाने को टीन प्लेट के अभाव के कारण बन्द न होना पड़े। तथापि, यह हो सकता है कि कभी कुछ श्रमिक बेकार हो जायें, क्योंकि वर्तमान अवस्था में सभी कारखानों को टीन प्लेट के निरन्तर एक से सम्भरण की प्रत्याभूति नहीं दी जा सकती।

इलायची और काली मिर्च

१. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इलायची और काली मिर्च पर कुल कितना आयात शुल्क लगाया गया ; और

(ख) वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत से कुल कितनी इलायची और काली मिर्च का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) इलायची और काली मिर्च पर आयात शुल्क की सामान्य दर मूल्यानुपातेन ५६ ७/१० प्रति शत है। किसी ब्रिटिश उपनिवेश से आयात करने पर मूल्यानुपातेन ४७ १/४ प्रति शत की अधिमानित दर से आयात शुल्क लिया जाती है। बर्मा से किये जाने वाले आयातों पर मूल्यानुपातेन १० १/२ प्रति शत की दर से और कम आयात शुल्क लिया जाता है। इन दोनों पदार्थों पर १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में लिये गये आयात शुल्क की कुल राशि के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और बाद में सदन पटल पल रख दिये जायेंगे।

(ख) निर्यात के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

(आंकड़े हंड्रेडवेट में दिये हुए हैं)

क्रम संख्या	पदार्थ का नाम	निर्यात	
		१९५०-५१ में	१९५१-५२ में
(१)	इलायची	१२,४४३	१३,३५४
(२)	काली मिर्च	३,०७,८८८	२,९७,४६०

बोतलों के आयात के लिये अनुज्ञप्तियां

२. **डा० अमीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जुलाई-दिसम्बर १९५२ की अवधि में विशेष प्रकार की बोतलों के आयात के लिये आयात अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य की आयात अनुज्ञप्तियां दी गई हैं और किस प्रकार की बोतलों का आयात करने दिया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार ऐसी बोतलों का आयात नितान्त आवश्यक समझती है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९**]।

(ग) तथा (घ)। पेनिसीलीन तथा टीकों की शीशियां और यंत्र द्वारा दूध भरने की बोतलें अपने देश में नहीं बनाई जातीं। स्वचालित यंत्रों के लिये उपयुक्त उत्तम सोडा-

वाटर की बोतलों का उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होता। अतः इन चीज़ों का आयात आवश्यक हो जाता है।

बोतलों का आयात

३. **डा० अमीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०, १९५१ तथा १९५२ में (जून तक) कितने ग्रुस सोडावाटर की बोतलों, दूध की बोतलों तथा मद्य के कारख़ानों द्वारा प्रयोग में लाई जानी वाली बोतलों की अलग अलग खपत हुई ; और इन्हीं वर्षों में देश में इन में से प्रत्येक प्रकार की बोतलों का कितना उत्पादन सामर्थ्य रहा ; और

(ख) १९५०, १९५१ तथा १९५२ में (जून तक) उपरोक्त प्रकार की बोतलों में से प्रत्येक प्रकार की कितने ग्रुस तथा कितने मूल्य की बोतलों का आयात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०**]।

भूतपूर्व शंघाई नगरपालिका परिषद् के भारतीय कर्मचारी

४. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** १२ जून, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४६ के उत्तर को निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व शंघाई नगरपालिका परिषद् के भारतीय कर्मचारियों के शेष वेतन आदि को प्राप्त करने के प्रश्न के सम्बन्ध में चीन की वर्तमान लोक सरकार से अन्तिम बार कब कहा गया था ?

(ख) उन से क्या उत्तर मिला था ?

(ग) क्या सरकार का इस विषय में निकट भविष्य में फिर बातचीत करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) तथा (ख)। चीन के लोक गणराज्य के राजदूतावास को अन्तिम बार १५ अक्तूबर, १९५२ को स्मरण कराया गया था। उन्होंने बताया कि यह विषय अब भी चीन सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सरकार आरम्भ से ही इस प्रश्न को बड़ी सच्चाई से ले रही है और आगे भी ऐसा ही करती रहेगी।

चाय उद्योग की अवस्था

५. **श्री एस० एस० दास** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन पदाधिकारियों की टोली ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिन्हें कि चाय उद्योग की अवस्थाओं की जांच का काम सौंपा गया था ?

(ख) प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

(ग) इन पदाधिकारियों द्वारा की गई सिफ़ारिशों में से कौनसी सिफ़ारिशें मान ली गई हैं और क्रियान्वित कर दी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग)। प्रतिवेदन में बहुत से विषय आ गये हैं जिन का सम्बन्ध चाय उद्योग की वर्तमान स्थिति के विभिन्न पहलुओं से है। सरकार अब भी प्रतिवेदन पर विचार कर रही है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इस टोली ने सिफ़ारिशें की हैं और उन में से कौन सी मान ली गई हैं तथा कार्यान्वित कर दी गई हैं।

छोटे उद्योग

६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार ने भारत में बड़े

पैमाने के उद्योगों के साथ साथ छोटे पैमाने के उद्योगों को पनपने के लिये प्रोत्साहित करने के निमित्त तथा इस में उन की सहायता करने के लिये क्या पग उठाये हैं;

(ख) छोटे पैमाने के कौन से मुख्य मुख्य उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं और जिन की ओर संघ तथा राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट हुआ है;

(ग) इस प्रकार के छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकारों को (राज्य-वार) कितनी राशि सहायतार्थ दी गई है ; और

(घ) छोटे पैमाने के कौन से प्राचीन उद्योग भारत के लिये विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ साथ जो छोटे पैमाने के कुछ बड़े बड़े उद्योग विद्यमान हैं उन के नाम ये हैं :—

वस्त्र, ताले, बनियान मोजे आदि, जूते, खालों तथा चमड़े की रंगाई, मेज़ कुर्सी तथा अलमारी बनाना, इस्पात की वस्तुएं, धातु के बर्तन, कांच के बर्तन, दियासलाई और साबुन बनाना।

सरकार ने उन की सहायता करने के लिये निम्नलिखित पग उठायें हैं :—

(१) सूचना एकत्रित करना तथा उसे फैलाना जिस में लेखों तथा विज्ञप्तियों का प्रकाशन भी सम्मिलित है ;

(२) कच्चे माल, उदाहरणार्थ, इस्पात तथा सीमेंट के सम्भरण में सहायता ;

(३) यातायात सम्बन्धी सुविधायें ;

(४) सरकारी विभागों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों की चीज़ों का खरीदना ;

(५) चीजों का मानदंड निश्चित करना;

(६) वाणिज्य आयुक्तों द्वारा वस्तुओं के प्रदर्शन की व्यवस्था करना तथा दूकानें खोल कर उन के विक्रय की सुविधायें देना ;

(७) प्रौद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ;

(८) औजारों तथा उपकरणों व प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना ;

(९) पर्यालोकन करना ;

(१०) केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देना तथा राज्य सरकारों व ग़ैर सरकारी संघटनों को अनुदान देना ; और

(११) आयात-निर्यात नियंत्रण।

(ख) छोटे पैमाने के मुख्य मुख्य उद्योग जिन की अवस्था गत कुछ वर्षों में काफ़ी ख़राब हो गई है ये हैं :—

(१) कत्था ;

(२) आग जलाने के यंत्र ;

(३) फाउन्टेन पेन की स्याही ;

(४) रेज़र ;

(५) हाथ का बना हुआ काग़ज़ ;

(६) आलेख्य तथा गणित सम्बन्धी उपकरण।

जिन्हें कठिनाई अनुभव हो रही है उन में से कुछेक के उदाहरण ये हैं :—

(१) नारियल की जटा ;

(२) लाख ;

(३) खेल का सामान ;

(४) रेडियो के पुर्जे ;

(५) साइकिल के पुर्जे।

(ग) हाथ के बने काग़ज़ के उद्योग के विकास के लिये १९५१-५२ में बम्बई सरकार को १८,७५० रुपये का विशेष अनुदान दिया गया था।

छोटे पैमाने के तथा कुटीरोद्योगों के सामूहिक विकास के लिये जिन में भाग (ख) में उल्लिखित उद्योग भी सम्मिलित है राज्य

सरकारों को पर्यालोकन, अनुसन्धान, विक्रय तथा नमूनों की योजनाओं के लिये अनुदान दिये गये थे। एक सूची जिस में इस प्रकार के अनुदानों का विस्तृत विवरण दिया हुआ है इस के साथ संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११**]।

(घ) पुराने छोटे पैमाने के उद्योग जो विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं निम्नलिखित हैं :—

(१) ज़री की वस्तुएं,
(२) बनारसी पल्लू और साड़ियां,
(३) फर्रुखाबादी छपे हुए कपड़े,
(४) इत्र का सामान,
(५) मुरादाबादी पीतल के बर्तन,
(६) आभूषण आदि,
(७) बहुमूल्य मणियां तथा मोती,
(८) लाख,
(९) नारियल की जटा,
(१०) जहाज़ के रस्से और रस्सियां,
(११) वानस्पतिक रेशे,
(१२) मेज़, कुर्सी और अलमारी आदि,
(१३) गोंद और राल,
(१४) बाजे आदि,
(१५) चमड़े के थैले, ट्रंक आदि,
(१६) गद्दे और चटाइयां (नारियल की जटा और रबड़ को छोड़ कर),
(१७) रुमाल और शाल दुशाले,
(१८) बनियान मोज़े आदि,
(१९) हाथ करघे के वस्त्र,
(२०) बिसाती का सामान और मेमों की टोपियां तथा पोशाक,
(२१) गलीचे और दरियां,
(२२) खिलौने और खेल का सामान,
(२३) छाते,
(२४) बूट और जूते,
(२५) सुअर के बाल।

सिन्धु के तास का विकास

७. डा० **राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गत कुछ मासों मे वाशिंगटन में भारत, पाकिस्तान तथा विश्व बैंक के पदाधिकारियों में सिन्धु के तास के विकास के सम्बन्ध में त्रिदलीय बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या फल हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन के कार्यक्रम की एक रूप-रेखा पर दोनों सहमत हो गये थे। इस कार्यक्रम के पश्चात् एक व्यापक योजना बनाई जायेगी और इस के लिये जो नये इंजीनियरिंग के निर्माण कार्य करने पड़ेंगे उन के लिये निर्माण का कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा। व्यापक योजना को तैयार करने के लिये अध्ययन की जिन विस्तृत सूचियों तथा अध्ययन के पत्रों की आवश्यकता थी उन का आदान-प्रदान कर लिया गया है।

———

संसदीय
वाद विवाद

लोक सभा

खण्ड 5

भाग 2

5 नवम्बर - 3 दिसम्बर
1952

पी० एल०

अंक ५

संख्या १

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

——:o:——

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

श्री अबदुर्रहीम की मृत्यु [पृष्ठ भाग १]
स्थगन प्रस्ताव— [पृष्ठ भाग २—६]
त्रावनकोर कोचीन में टिटानियम फैक्टरी का बन्द होना [पृष्ठ भाग २—३]
सरकार की विनियंत्रण नीति के फलस्वरूप खाद्य के मूल्यों में वृद्धि [पृष्ठ भाग ३—४]
पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा पंजाब के भारतीय गांवों पर गोली वर्षा [पृष्ठ ४—६]
सदन से अनुपस्थिति की अनुमति [पृष्ठ भाग ६]
सदन पटल पर रखे गये पत्र— [पृष्ठ भाग ६—११]
राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों की अनुमति [पृष्ठ भाग ६—८]
भारतीय उत्प्रवास अधिनियम १९२२ के अधीन जारी की गई अधिसूचना

(मूल्य ६ आने)

ऊनी शुराब आदि उद्योगों के सम्बन्ध म तटकर आयोग
१९५२ की रिपोर्ट
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ३६ (३)
टी० वी० । ५२, दिनांक १३-९-५२
इस्पात के उचित लागत-मूल्यों पर तटकर आयोग की रिपोर्ट
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी०
(ए)—२ (८९) ५२ दिनांक २०-९-१९५२
कच्ची रबड़ के मूल्यों के पुनरीक्षण सम्बन्धी तटकर आयोग, १९५२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ३—टी (२) / ५२ दिनांक
२७-१०-१९५२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय आदेश संख्या ३० (५) पी० एल०टी०
/५२ दिनांक २७-१०-५२
भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ के अधीन जारी की गई अधिसूचना
मंत्रियों का व्यय भत्ता नियम
मंत्रियों के यात्रा तथा दैनिक भत्तों का नियम
मंत्री (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५२
मंत्रियों का मुफ्त डाक्टरी परीक्षण तथा चिकित्सा नियम
संसद के सदनों के पहले सत्र की समाप्ति के बाद जारी किये गये अध्यादेश

भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित [पृष्ठ भाग १२]
भारतीय तेल बीज समिति (संशोधन विधेयक—पुर:स्थापित) [पृ० भाग १२]
भारतीय एकस्व तथा डिजाइन्स (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित [पृष्ठ भाग १२]
मैसूर उच्च न्यायालय (कुर्ग का भी अधिकार क्षेत्र में लाभ) विधेयक—पुर:स्थापित [पृष्ठ भाग १२]
वारे के सौदे (विनियमन) विधेयक—प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई [पृष्ठ भाग १३]
निष्क्राम्य सम्पत्ति व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति की रिपोर्ट
प्रस्तुत की गई [पृष्ठ भाग १३]
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पास किया
गया [पृष्ठ भाग १३—२९]
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पास किया गया [पृष्ठ भाग २९-६०]
भारतीय तेल बीज समिति (संशोधन) विधेयक—पास किया गया [पृष्ठ भाग ६०—६३]
सम्पदा शुल्क विधेयक –प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर
चर्चा—समाप्त [पृष्ठ भाग ६३—७२]
चीनी (अस्थायी अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक—पुर:स्थापित [पृष्ठ भाग ७३—७४]

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

अंक ५ संख्या १

भारत की संसद के दूसरे सत्र का पहला दिन

लोक सभा

बुधवार, ५ नवम्बर, १९५

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

११-४५ म० पू०

श्री अब्दुर्रहमान की मृत्यु

अध्यक्ष महोदय : इस से पहले कि हम और कार्य करें मैं सदन को श्री अब्दुर्रहमान की मृत्यु की सूचना देना चाहता हूं। १५ अगस्त, १९५२ को कराची में ८५ वर्ष की आयु में निमोनिया से उन की मृत्यु हो गई। वे मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और बाद में वे बंगाल सरकार की कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य बहुत दिनों तक रहे। श्री अब्दुर्रहमान का सम्बन्ध केन्द्रीय सभा से १९३१ में आरम्भ हुआ। वे १९३५ से १९४५ तक सदन के सभापति रहे। मैं सदन की ओर से उन के परिवार के सदस्यों के प्रति समवेदना भेजता हूं। सदन के सदस्य १ मिनिट तक शोक व्यक्त करने के लिये मौन खड़े हों।

स्थगन प्रस्ताव

त्रावणकोर कोचीन में टिटेनियम फैक्टरी का बन्द होना

अध्यक्ष महोदय : मुझे तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है। वे मुझे जिस क्रम में प्राप्त हुए हैं उस क्रम में मैं उन्हें लूंगा। पहला प्रस्ताव कुमारी आनी मस्करीन का है। त्रावणकोर-कोचीन में टिटेनियम फ़ैक्टरी के बन्द होने के कारण उत्पन्न हुए लोक महत्व के विषय पर वे चर्चा करना चाहती हैं। विदेशी स्पर्धा के कारण यह फ़ैक्टरी बन्द हुई है। फ़लतः त्रावणकोर-कोचीन के श्रमिकों और व्यापारियों को विशेष रूप से हानि हुई है तथा वे क्षुब्ध हो गए हैं।

अपना विनिश्चय प्रकट करने के पहिले मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं। यह सरकारी फ़ैक्टरी थी अथवा वैयक्तिक ?

कुमारी आनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : इसमें ५१ प्रतिशत पूंजी सरकारी थी। शेष पूंजी अन्य व्यक्तियों तथा एक अंग्रेजी कम्पनी की थी।

अध्यक्ष महोदय : पूंजी त्रावणकोर सरकार की थी ?

कुमारी आनी मस्करीन : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : पूंजी त्रावणकोर सरकार की थी अतएव उस फ़ैक्टरी के बन्द होने की ज़िम्मेदारी भारत सरकार पर नहीं है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : इसे आप नियम विपरीत न कीजिये क्योंकि भारतीय उद्योग

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

नियन्त्रण अधिनियम के अधीन ऐसी स्थितियों में भारत सरकार की जिम्मेवारी होती है ।

अध्यक्ष महोदय : इस अधिनियम के प्रभावी होने के पहले ही फ़ैक्टरी बन्द हो गई थी ।

श्री ए० एम० टामस (एरनाकुलम) : उस राज्य की विधान सभा में इस पर स्थगन प्रस्ताव द्वारा चर्चा की गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : इस कारण और भी हम अब इस पर चर्चा नहीं कर सकते ।

नियंत्रण हटाने की सरकारी नीति के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय : दूसरा स्थगन प्रस्ताव हीरेन्द्रनाथ मुखर्जी का है । नियन्त्रण हटाने की सरकारी नीति के कारण देश के विभिन्न भागों में खाद्यपदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के फ़लस्वरूप उत्पन्न हुए लोक महत्व के विषय पर वे चर्चा करना चाहते हैं ।

माननीय खाद्य मन्त्री इस के विषय में कुछ कहें । मेरे विचार में वह नीति पूरी तरह से निश्चित नहीं हुई है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवाई : मेरा ख्याल है कि खाद्य के प्रश्न पर सदन में वाद-विवाद होगा । अतएव आज उस प्रस्ताव पर चर्चा करना अनावश्यक है । मेरे विचार में दाम उस तरह नहीं बढ़े हैं जैसा कि बताया गया है । मूल्य दो प्रकार के हैं : खले बाज़ार के मूल्यों की तुलना आज के अबाध बाजार के मूल्यों से करनी पड़ेगी । हर जगह वे मूल्य गिर गए हैं । सरकारी राशन की दुकानों पर जिस मूल्य पर चावल मिलता था उसी मूल्य पर सस्ती अनाज की दुकानों में दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अभी हमें इस से कोई मतलब नहीं है कि दाम घटे हैं अथवा बढ़े हैं । अभी तो हमें प्रस्ताव की ग्राह्यता पर विचार करना है । मेरी समझ में इस नीति पर चर्चा करने के लिए सरकार कुछ समय निश्चित करेगी ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अवश्य ही, परन्तु बहुत जल्दी नहीं । जब हम इस विषय की पूरी तैयारी कर लेंगे तब मैं बता दूंगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : प्रधान मन्त्री जी के कथन से इस विषय का महत्व और बढ़ जाता है । माननीय मंत्री ने नियन्त्रण हटाने की अपनी भावी नीति के विषय में जो वक्तव्य दिया है उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिस पर इस सदन में शीघ्र चर्चा की जानी चाहिये । मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि मन्त्रीगण सदन से सलाह किए बिना ही जल्दी में नीति के विषय में वक्तव्य दे देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं । हमें मन्त्रियों की आदतों से अभी कोई मतलब नहीं है । मेरे विचार में इस स्थगन प्रस्ताव पर अभी चर्चा नहीं हो सकती । दो घंटे में खाद्य-नीति और नियन्त्रण के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती । इस कारण भी स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : वर्तमान खाद्यनीति में परिवर्तन करने के पहले क्या सरकार उस पर सदन में चर्चा करेगी अथवा नीति घोषित करने के बाद ही के हमें उस पर चर्चा करने का अवसर देगी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि प्रमुख परिवर्तन करने का इरादा होगा तो सदन उस पर निश्चय ही पहिले विचार करेगा ।

पंजाब के भारतीय गांवों में पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस का गोली चलाना

अध्यक्ष महोदय : तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री गिदवानी ने दी है । उनका

प्रस्ताव है कि पंजाब के दावकी, राजतल और भाऊबुर्जपाटन नामक भारतीय गांवों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस ने फ़ौज की सहायता से तथा मार्टर ग्रेनेड और आटोमेटिक अस्त्रों का उपयोग कर १ नवम्बर की रात को गोलाबारी की है। इस से जो लोक-महत्व की स्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर सदन चर्चा करे।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यद्यपि मैंने ठीक तथ्य जानने की कोशिश की है परन्तु उन्हें जानना बड़ा कठिन है। इस घटना पर भारतीय तथा पाकिस्तानी समाचार पत्रों ने काफ़ी चर्चा की है। हमारी समझ में पाकिस्तानी ब्यौरा बिल्कुल गलत है तथा भारतीय समाचार पत्रों का ब्यौरा भी शुद्ध नहीं है क्योंकि तथ्यों का ठीक ठीक पता नहीं लग पाया है। हमने पंजाब सरकार से ठीक तथ्य बतलाने के लिए कहा है। अतएव मेरा निवेदन है कि इस विषय पर चर्चा करना कठिन है।

इसका महत्व इतना ही है कि देश की सीमा पर लोगों में छोटा सा झगड़ा हुआ है। जहां तक हमें मालूम है, उसमें किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। सम्भव है मेरा कथन पूर्णतया ठीक न हो। २२ अक्तूबर को हमारे सिंचाई विभाग के लोग वहां आपरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने वहां झंडे गाड़े थे तथा वे नाली खोद रहे थ। पाकिस्तानी सीमा पुलिस ने इन झंडों पर यह आपत्ति की कि वे झंडे गलत स्थान में गाड़े गए हैं। इस पर कुछ बातें हुईं तथा उस दिन झगड़ा आरम्भ हुआ। पाकिस्तानियों ने गोलियां चलाई जिन का जवाब इस ओर से दिया गया। दूसरी बार एक विवादग्रस्त क्षेत्र के ऊपर भी गोलियां चली थीं। हमारे अनुसार वह क्षेत्र हमारा है। इसके बारे में हमें केवल इतना मालूम है। मौतें बल्कुल नहीं हुईं। हम तथ्यों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तावक और प्रधान मन्त्री की सहमति से हम इस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। अगले किसी दिन इस पर चर्चा की जाएगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान् जी जैसा आप निर्देश दें। इस के बारे में मैं सदन में वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर एक अल्पसूचना प्रश्न भी है। इसका भी यथाशीघ्र उत्तर दिया जाए। तब तक मैं इसे निवलम्बित रखूंगा।

अनुपस्थित रहने की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास राईट रेवेरेन्ड जान रिचर्डसन का पत्र आया है। वे लिखते हैं कि सदन के द्वितीय सत्र में, जो ५ नवम्बर १९५२ को आरम्भ होने वाला है, वे उपस्थित न रह सकेंगे क्योंकि पोर्टब्लेयर में उनकी पत्नी बीमार है तथा इस समय कार निकोबार द्वीप से यहां आने के लिए कोई जहाज़ नहीं है।

क्या राईट रेवेरेन्ड जान रिचर्डसन को सदन के इस सत्र की सब बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए ?

अनुमति दी गई।

पटल पर रखे गए पत्र विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

संसदीय सचिव : श्रीमान्, प्रथम सत्र, १९५२ में सदन द्वारा जो विधेयक पारित किए गए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है उन विधेयकों का विवरण मैं सदन के पटल पर रखता हूं।

विवरण

(१) सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्री निराकाम्य करों का समापन) तथा पत्तन-विकास कर (आरोपण) निरसन विधेयक।

(२) विस्थापित व्यक्ति (दावे) संशोधन विधेयक ।

(३) कलकत्ता पत्तन (संशोधन) विधेयक ।

(४) भारतीय तटकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक ।

(५) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ।

(६) विनियोग (संख्या २) विधेयक ।

(७) भारतीय तटकर (तृतीय संशोधन) विधेयक ।

(८) दाण्डिक विधि संशोधन विधेयक ।

(९) संभूति आदेष प्रवर्त्तन (संशोधन) विधेयक ।

(१०) निरसन तथा संशोधन कारी विधेयक ।

(११) भारतीय चाय नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक ।

(१२) रबड़ (उत्पादन और विपणन) संशोधन विधेयक ।

(१३) भारतीय समवाय (संशोधन) विधेयक ।

(१४) आवश्यक वस्तुएं (घोषणा तथा क्रय-विक्रय-कर का विनियमन) विधेयक ।

(१५) लेख्य प्रमाणक विधेयक ।

(१६) केन्द्रीय चाय बोर्ड (संशोधन) विधेयक ।

(१७) भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक ।

(१८) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक ।

(१९) राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय (संशोधन) विधेयक ।

(२०) मन्त्रियों का वेतन तथा भत्ता विधेयक ।

(२१) भ्रष्टाचार निवारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक ।

(२२) जांच कमीशन विधेयक ।

(२३) निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक ।

(२४) रक्षित तथा सहायक वायुसेना विधेयक ।

(२५) राज्य सशस्त्र आरक्षी बल (विधि-विस्तार) विधेयक ।

(२६) दाण्डिक प्रक्रिया संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक ।

(२७) परमावश्यक वस्तुऐं (अस्थायी शक्ति संशोधन विधेयक ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : विरोधी दल के कुछ सदस्यों को प्रधान मन्त्री जी ने सूचना दी थी कि वे शीघ्र ही पूर्वी बंगाल की स्थिति पर वक्तव्य देंगे तथा उसकी चर्चा के लिए एक दिन नियत करेंगे । यह कब किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस सत्र के कार्य के बारे में शीघ्र ही वक्तव्य देने का मेरा इरादा है । शायद अगले सोमवार को दे सकूं । मैं इस सत्र के कार्य के बारे में वक्तव्य दूंगा और यदि सदन की इच्छा हुई तो हम अवश्य ही बंगाल की स्थिति पर चर्चा करेंगे । यदि सदन की इच्छा होगी तो उस की चर्चा के लिए हम एक आध दिन नियत कर देंगे ।

भारतीय उत्प्रवास अधिनियम १९२२ के अन्तर्गत निकाली गई अधिसूचना

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारतीय उत्प्रवास अधिनियम १९२२ की धारा ३०क की उप-

धारा २ के अधीन मैं वैदेशिक कार्य मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या एफ. २७-१६/५२—उत्प्रवास, दिनांक १३ सितम्बर, १९५२ को एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी है। देखिए संख्या पी-६१/५२]

ऊन होजियरी उद्योग पर तटकर आयोग की रिपोर्ट

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : तटकर आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६, उपधारा २ के अधीन निम्नलिखित कागजों की एक एक प्रति मैं सदन के पटल पर रखता हूं।

(१) ऊन होजियरी उद्योग पर तटकर आयोग की १९५२ की रिपोर्ट; और

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय का संकल्प संख्या ३६(३)-टी० बी० / ५२ दिनांक १३ सितम्बर, १९५२। [पुस्तकालय में रखी है। देखिये संख्या ४-आर. १९५ (क)।]

इस्पात के उचित अवधारण मूल्य पर तटकर आयोग की रिपोर्ट

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : तटकर आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६, उपधारा (२) के अधीन मैं निम्न लिखित पत्रों की एक एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं :

(१) इस्पात निगम बंगाल द्वारा उत्पादित इस्पात के उचित अवधारण मूल्य पर तटकर आयोग की १९५२ की रिपोर्ट ; और

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय का संकल्प संख्या एस० सी०(ए) -२(८९)/५२ दिनांक २० सितम्बर, १९५२। [पुस्तकालय में रखी है। देखिये संख्या ४-आर. १५९ (२४)।]

कच्ची रबड़ के मूल्यों को बदलने के विषय में तटकर आयोग की रिपोर्ट

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : तटकर आयोग १९५१ की धारा १६, उपधारा (२) के अधीन मैं निम्नलिखित कागजों की एक एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं :

(१) कच्ची रबड़ के मूल्यों को बदलने के विषय में तटकर आयोग की १९५२ की रिपोर्ट ;

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय संकल्प संख्या ३-टी (२)/५२. दिनांक २७ अक्तूबर १९५२ ; और

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय आदेश संख्या ३०(५)-पी० एल० टी०/५२, दिनांक २७ अक्टूबर १९५२. [पुस्तकालय में रखी है। देखिये संख्या ४-आर. १५७ (४)।]

भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ के अधीन निकाली गई अधिसूचना

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ की धारा ४क की उपधारा २ के अनुसरण में वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या ३५-टी (१)/५२, दिनांक ८ अक्तूबर, १९५२ की एक प्रति मैं सदन के पटल पर रखता हूं।

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते संबंधी अधिनियम १९५२ के अधीन निकाले गये नियम

गृहकार्य और राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी अधिनियम की धारा ११, उपधारा (२) के अधीन, निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति मैं सदन के पटल पर रखता हूं।

(१) मन्त्रियों के व्यय सम्बन्धी भत्ते के नियम।

(२) मन्त्रियों के मार्ग व्यय तथा दैनिक भत्ते का नियम ।

(३) मन्त्रियों के लिए (मोटरों के लिए अग्रिम) नियम, १९५२ ।

(४) मन्त्रियों के लिए निशुल्क भैषजिक परिचर्या तथा उपचार का नियम । [पुस्तकालय में रखा है । देखिये संख्या पी-६३/५२१]

संसद के सदनों के प्रथम सत्र के अवसान के पश्चात् प्रख्यापित किए गए अध्यादेश

सांसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : संसद् के सदनों के १९५२ के प्रथम सत्र के अवसान के पश्चात् और लोक सभा के द्वितीय सत्र आरम्भ होने के पहिले जितने अध्यादेश प्रख्यापित किए गए उनका विवरण मैं सदन के पटल पर रखता हूं ।

विवरण

(१) पश्चिमी बंगाल निष्क्राम्य संपत्ति (त्रिपुरा संशोधन) १९५२ का अध्यादेश, संख्या ६ दिनांक ६ अक्टूबर १९५२ ।

(२) पाकिस्तान से अधिक संख्या में लोगों के आने के सम्बन्ध में १९५२ का (नियन्त्रण) निरसन अध्यादेश, संख्या ७ दिनांक १५ अक्टूबर १९५२ ।

(३) १९५२ का लोहा और इस्पात समवाय एकीकरण अध्यादेश संख्या ७, दिनांक १५ अक्टूबर १९५२ ।

(४) १९५२ का अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्त करना और यथा स्थान) संशोधन अध्यादेश, संख्या ९ दिनांक २९, अक्टूबर १९५२ ।

भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : भारतीय नारियल समिति अधिनियम १९४४ का और संशोधन करने के लिए मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय तिलहन समिति (संशोधन) विधेयक

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, १९४६ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

भारतीय एकस्व और रुपांकन (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): भारतीय एकस्व तथा रूपांकन अधिनियम, १९११ को अग्रेतर संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की मैं अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा वह स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मैसूर उच्च न्यायालय (कुर्ग क्षेत्राधिकार विस्तृत करने का) विधेयक

गृहकार्य और राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैसूर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का कुर्ग राज्य तक विस्तृत करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की मैं अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा वह स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अग्रे संविदा (विनियमन) विधेयक प्रवर समिति के प्रतिवेदन को समक्ष रखना

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अग्रेसंविदा सम्बन्धी कुछ बातों के विनियमन का उपबन्ध करने वाले वस्तुओं के क्रय-विक्रय अधिकार का निषेध करने वाले और तत्सम्बन्धी विषयों के विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को मैं समक्ष रखता हूं।

निष्क्राम्य सम्पत्ति प्रशासन (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति की रिपोर्ट समक्ष रखना

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : निष्क्राम्य सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, १९५० को और संशोधित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को मैं समक्ष रखता हूं।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय: तारीख ८ जुलाई १९५२ को श्री बिस्वास द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न लिखित प्रस्ताव पर अब हम अग्रेतर विचार करेंगे।

"व्यवहार प्रक्रिया संहिता १९०८ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : श्रीमान्, माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि संसद के गत सत्र में इस विधेयक के कुछ अंश पर विचार किया गया था। उस समय इस विधेयक का संशोधन करने के लिए सुझाव दिये गये थे जिससे कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ४४क के समक्ष इंगलिस्तान तथा अन्य विदेशी देश समान माने जाएं। उस धारा में अन्योन्य आधार पर भारत में विदेशी न्यायालयों की डिक्रियों को प्रवर्तित करने के प्रश्न का उल्लेख है। मूल रूप में जिस प्रकार वह पुरःस्थापित की गई थी, वह ब्रिटिश विदेशी न्यायानिर्णय (अन्योन्य प्रवर्तन) अधिनियम, १९३३ का उपसिद्धान्त थी। उसमें इस बात का उपबन्ध था कि यदि ब्रिटिश न्यायालयों की डिक्रियों का विदेशों में वहां की सरकारों द्वारा कार्यान्वित किये जाने का सम्राट् को यथोचित आश्वासन होगा तो उन देशों को इस अधिनियम का लाभ उठाने दिया जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इंगलिस्तान में उस विधान के बन जाने के पश्चात् इस देश में ४४क धारा पारित की गई। उसमें इस बात का उपबन्ध किया गया कि इंगलिस्तान और राष्ट्रकुल के अन्य देशों के उच्च न्यायालयों की डिक्रियां कुछ शर्तों पर भारत के न्यायालयों द्वारा कार्यान्वित की जा सकेंगी। इन देशों को "अन्योन्य व्यवहार करने वाले क्षेत्र" कहा जायगा।

स्वतन्त्र होने पर सरकार ने सोचा कि यह अन्योन्य व्यवहार इंगलिस्तान और सम्राट् के अधिराज्यों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इस आधार पर विधेयक पुरःस्थापित किया गया। परन्तु न्यूनतम संशोधन करने की दृष्टि से धारा को वह हिस्सा अछूता छोड़ दिया गया जिसमें इंगलिस्तान के बारे में विशेष रूप से कहा गया था। व्याख्या २ द्वारा केवल "अन्योन्य व्यवहार करने वाले क्षेत्र" की परिभाषा में ही परिवर्तन किया गया था। सदन में यह बात व्यक्त की गई थी कि स्वतंत्रता के पश्चात् इंगलिस्तान का नाम विशेष रूप से रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुझाव यह था कि इंगलिस्तान को उन विदेशी राज्यों की श्रेणी में रखा जाये जो "अन्योन्य व्यवहार करने वाले क्षेत्र" घोषित किये जायें।

[श्री विश्वास]

यह सुझाव स्वीकार करते हुए मैंने कहा था कि इंगलिस्तान को इसकी सूचना देने के पश्चात् ही यदि यह परिवर्तन किया जाये तो अच्छा होगा। वह सूचना दी गई है तथा अब मैं सुझाव रख सकता हूं कि विधेयक में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाये जिससे कि सदन का मत पूरी तरह प्रभावी हो सके।

आप देखेंगे कि मैंने कुछ संशोधनों की सूचना दी है। आपकी अनुमति से मैं इन संशोधनों को प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: विचार करने के प्रस्ताव के स्वीकृत किये जाने पर ही आप अपने संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री विश्वास: जी। मुझे अब कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री पाटसकर (जलगांव): श्रीमान् हमें इस धारा के इतिहास पर दृष्टि डालनी है। यह मामला सब से पहले "फरीदकोट केस" में उठा था। इंगलिस्तान में १९३३ में अन्योन्य व्यवहार का उपबन्ध करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। वह १९३५ के लगभग भारत में भी प्रभावी कर दिया गया। अतएव दीवानी डिक्रियों को कार्यान्वित करने के विषय अन्योन्य व्यवहार के लिये १९३७ में केन्द्रीय विधान सभा ने धारा ४४क पुनः स्थापित की

अंतर्राष्ट्रीय कानून क अनुसार एक देश की दीवानी डिक्रियां सामान्यतय दूसरे देशों में कार्यान्वित नहीं की जातीं। उस समय हम ब्रिटिश साम्राज्य में थे अतएव ऐसा किया जाता था क्यों कि इंगलैंड की पार्लियामेंट का हमारे न्यायालयों पर अधिकार था। अब हम स्वतंत्र हैं इस कारण धारा ४४क की कोई आवश्यकता नहीं है। विदेशी न्यायालयों के निर्णय के आधार पर हमारे देश में दावा किया जा सकता है। बाद में हमारे न्यायालय उस पर डिक्री दे सकते हैं। विदेशी न्यायालयों को डिक्रियों को हमारे देश में कार्यान्वित किया जाना हमारी वर्तमान स्थिति को शोभा नहीं देता। अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से यह वांछनीय नहीं है। विभिन्न देशों के कानून एक समान नहीं होते विभिन्न आधारों पर डिक्रियां दी जाती हैं अतएव वर्तमान उपबन्ध से हमारे देशवासियों को कठिनाई होगी। इस प्रकार का प्रबन्ध और कहीं नहीं पाया जाता। यह कहा जा सकता है कि परित्राण के लिए कुछ उपबन्ध किए जा रहे हैं। उनसे कठिनाई नहीं मिटेगी। विदेशी राज्य की डिक्रि कार्यान्वित करने का फल यह होगा कि उन परित्राणों के होते हुए भी व्यक्तियों की संपत्ति तुरन्त ही कुर्क की जा सकेगी। अतएव धारा ४४ क का संशोधन नहीं किया जाना चाहिये। उसे सर्वथा हटा देना चाहिए। ऐसी डिक्रियों के लिए उपबन्ध यह है कि विदेशी न्याय निर्णय के ऊपर दावा किया जा सकता है। यह पर्याप्त है। स्वतंत्रता पाने के पश्चात् कितने मामलों में यह बात उठी है? पहले पराधीन होने के कारन दूसरी बात थी पर अब इस धारा को रखना हमारे सम्मान के विरुद्ध है। दो स्वतंत्र राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है हमें उसका ही अनुसरण करना चाहिए। और विदेशी डिक्रियों को इस देश में कार्यान्वित नहीं करने दिया जाना चाहिए।

इसमें एक कठिनाई और भी है। जिन देशों से हम यह अन्योन्य व्यवहार कर रहे हैं वे बड़ी सरलता से हमारे नागरिकों पर डिक्री दे देंगे। न मालूम उनके कानून कैसे हों। उनकी विधान सभाओं के ऊपर हमारा

कोई नियंत्रण नहीं है तथा उनके विनिश्चयों पर हम कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। सब देश सद्व्यवहार नहीं करते। अतएव हमारे नागरिकों को कष्ट हो जाने का भय है।

अतएव मेरा निवेदन है कि धारा ४४क सर्वथा हटा दी जाय।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तूर) : पिछले वक्ता ने जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। विदेशी न्यायालयों की डिक्रियों को कार्यान्वित करने में कठिनाई होगी। बम्बई के उच्चन्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार को छोड़ भारत के अन्य न्यालययों में मामला दायर करने के लिए शुल्क लिया जाता है यदि हमने विदेशी राज्यों की डिक्रियों को कार्यान्वित किया तो आय के इस स्रोत से हम वंचित हो जाएंगे। अतएव धारा ४४क को बिल्कुल हटा देना उत्तम होगा।

दूसरे देशों की कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्य लेने के कानून हमेशा भिन्न होते हैं तथा उनका हमें कोई ज्ञान नहीं होता। अतएव हो सकता है कि हमारे देश में रहने वालों के विरुद्ध इन देशों की डिक्रियों को कार्यान्वित करना हमारे लिए संभव न हो। उन देशों का परिसीमन नियम भी हमारे नियम से भिन्न होता है। कुछ मामले उन देशों में दायर किए जा सकते हैं जिनमें मामला दायर करने की अवधि हमारी अवधि से लंबी है। उन डिक्रियों को कार्यान्वित करने से हमारे नागरिकों को हानि उठानी पड़ेगी। अतएव हमें चाहिए कि धारा ४४क को व्यवहार प्रक्रिया संहिता में से हटा दिया जाए।

श्री टेक चन्द (अम्बाला- शिमला) : मैं मंत्री जी के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरा मत है कि मुकद्दमेबाज पर दुहरा खर्च नहीं पड़ना चाहिए। जिन देशों के कानून और प्रक्रिया स्थूलरूप से हमारे समान ही हों उन देशों की डिक्रियों को अपने देश में कार्यान्वित करने में कोई हानि नहीं है। उक्त धारा में अभी केवल इंगलिस्तान का नाम है। यह इसलिए नहीं कि हम इंगलिस्तान के आधीन है पर इसलिए कि हम चाहते हैं कि इसके द्वारा दोनों देशों के व्यापारियों को सुविधा हो। अतएव स्वतंत्र होने के कारण उस देश की डिक्रियों को स्वीकार न करना ठीक नहीं। विशेषकर उस दशा में जब वे हमारी डिक्रियां मानने के लिए तैयार हों। इस धारा के हटा देने से दोनों देशों के निर्वासियों को कठिनाई होगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अन्य जिन देशों के कानून हमारे समान ही हों उन देशों के साथ इस प्रकार का संबंध किया जाना चाहिए जिससे कि सबको सुविधा मिल सके।

यह न समझना चाहिए कि केवल हम उनकी डिक्रियों को कार्यान्वित करते हैं; वे भी तो हमारी डिक्रियों को कार्यान्वित करते हैं धारा ४४क की व्याख्या २ में यह बात स्पष्ट कर दी गई है।

यदि ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ देशों के कानून हमारे कानून से भिन्न हैं तो हम ऐसे देशों को छोड़ सकते हैं तथा यह संबंध केवल उन देशों से स्थापित कर सकते हैं जिनका कानून हमारे ही समान हो। इससे सबको लाभ रहेगा यदि ऐसे देशों में मुकदमा चलने के बाद डिक्री दे दी गई हो और जिसके विरुद्ध न्यायनिर्णय दिया गया हो उसकी सम्पत्ति यदि इस देश में हो तो उस देश द्वारा दी गई डिक्री को यहां कार्यान्वित किया जाना चाहिए जिससे कि मुकदमे का खर्चा फिर से न उठाना पड़े। परन्तु यह शर्त भी है कि ऐसे देश हमारी डिक्रियों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार हों।

[श्री टेक चन्द]

मैं माननीय मंत्री जी से सिपारिश करूंगा कि वे उन देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करें जिन्हें अन्योन्य व्यवहार क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का अन्योन्य व्यवहार बहुत से देशों में हो सके तो वे लोग नहीं बच पांएंगे जिनके विरुद्ध निर्णय दिया जा चुका है।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : पिछले वक्ता से अपनी सहमति प्रकट करते हुए मैं माननीय मंत्री जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। पहले दो वक्ताओं ने इस का विरोध दो कारणों से किया है। उन के अनुसार हमें ऐसे विधान न बनाना चाहिये जिन से यह प्रतीत हो कि हम किसी के अधीन हैं। इस विधान के बनाने से यह बात नहीं होती। जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था तब सदन ने यह बात व्यक्त की थी कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है इंगलिस्तान और अन्य देशों में कोई विभेद न रखा जाये। सदन की इस इच्छा की पूर्ति के लिये ही यह संशोधन किया जा रहा है।

दूसरी आपत्ति यह उठाई गई थी कि इस के कारण हमें न्यायालय शुल्क नहीं मिलेगा। पर इसी प्रकार का घाटा तो अन्य देशों को भी होगा। यह तो अन्योन्य व्यवहार है तथा इस बात का कोई प्रश्न नहीं उठता कि केवल एक देश को ही हानि उठानी पड़े।

मेरी समझ में यह संशोधन आवश्यक है तथा यह धारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता में रहनी चाहिये। अब देश स्वतंत्र है। इस का व्यापार बढ़ेगा। अतएव इस धारा के रहने से हमारे देशवासियों को लाभ ही होगा क्योंकि वे अपना पैसा दूसरों से सरलता से वसूल कर सकेंगे। इस विधान से हमारे सम्मान को कोई धक्का नहीं पहुंचता। श्रीमान, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विश्वास : श्रीमान्, मैं अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पंडित नहीं हूं पर मैं सोचता हूं कि स्वतंत्र होने के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की स्थिति नई हो गई है। भारत अब विश्व के अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता। यह आवश्यक है कि भारत का दूसरे देशों से अन्योन्य व्यवहार हो। इस विधेयक की कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस विधान से सब देशों को पारस्पारिक सुविधा मिलेगी। दूसरे देशों के उच्च न्यायालयों की डिक्रियां यहां तब तक कार्यान्वित न की जायेंगी जब तक कि वे देश भी हमारी डिक्रियों को कार्यान्वित न करें। "डिक्री" की व्याख्या देखने से यह पता चलेगा कि इस विधेयक का संबंध केवल रुपये पैसों की डिक्रियों से है, अन्य डिक्रियों से नहीं। यही बात ब्रिटेन के अन्योन्य क्षेत्राधिकार अधिनियम में भी है। इस बात का भी भय नहीं होना चाहिये कि इस विधेयक को मान लेने से बहुत राजस्व की हानि होगी। माना कि इस के कारण लोगों को विदेशी न्याय-निर्णय पर मुकद्दमा दायर नहीं करना पड़ेगा। इस विधान के न होने पर लोगों को यथा मूल्य न्यायालय-शुल्क देना पड़ता। पहली बात तो यह है कि कलकत्ते के उच्च न्यायालय में यह शुल्क नहीं देना पड़ता है। पर इतनी अधिक डिक्रियां क्रियान्वित नहीं करनी पड़ेंगी कि हमें बहुत राजस्व खोना पड़ेगा। अतएव इस तर्क पर हमें अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये। इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हो। १६३३ में ब्रिटिश अधिनियम के बन जाने के पश्चात् ही धारा ४४क बनाई गई थी। पर इस का अर्थ यह नहीं है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नहीं है। हमारा अधिनियम, ब्रिटेन के विदेशी न्यायनिर्णय (अन्योन्य प्रवर्तन) अधिनियम १६३३ के बाद बना। क्या आप का तात्पर्य यह था कि यद्यपि इंगलैंड स्वतंत्र देश था फिर भी उस ने ऐसा अधिनियम

पारित किया जो अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियम के विरुद्ध था ।

श्री पाटसकर : वह केवल राष्ट्रकुल के देशों तक ही सीमित है । उस के अनुसार इंगलिस्तान, फ्रांस के साथ ऐसा समझौता नहीं कर सकता ।

श्री विश्वास : माननीय मित्र पाटसकर का प्रश्न है कि क्या ब्रिटेन के अधिनियम के अनुसार फ्रांस के न्यायालयों की डिक्रियां इंगलिस्तान में कार्यान्वित की जा सकती हैं । उस अधिनियम की पहली धारा मैं पढ़ कर सुनाता हूं । उस में स्पष्ट रूप से यह दिया गया है कि वह , अधिनियम किसी भी विदेशी राज्य को लागू होगा ।

"यदि सम्राट को इस बात का विश्वास हो जाये कि इस अधिनियम के हिस्से के लाभ अन्य विदेशी राज्यों के उच्च न्यायालयों को देने पर, पर्याप्त अन्योन्य व्यवहार प्राप्त होगा अर्थात् इंगलिस्तान के उच्च न्यायालयों के न्याय निर्णय उन विदेशी राज्यों में भी प्रवर्तन में लाए जायेंगे तो सपरिषद् निदेश" इत्यादि ।

अतएव यदि संशोधित रूप में इस विधेयक को हम स्वीकार कर लें तो भारत में भी यह केन्द्रीय सरकार के ऊपर निर्भर रहेगा कि वह ऐसी अधिसूचना निकाले अथवा न निकाले जिस के द्वारा अन्य विदेशी राज्य को अन्योन्य सुविधा दी जाये । यह बात नहीं है कि प्रत्येक राज्य सामान्य रूप से यह मांग करेगा कि उस की डिक्रियां इस देश में कार्यान्वित की जायें । जब हमें इस बात का विश्वास हो जायेगा कि दूसरे देश के साथ हमारा पारस्परिक प्रबन्ध है या होने वाला है तब ही उस राज्य को अन्योन्य क्षेत्र घोषित करेंगे । अतः इस बात का कोई भय न होना चाहिये कि विश्व में इस के कारण हमारा सम्मान घट जायेगा । यदि ऐसी कोई बात होती तो भारत सरकार ऐसा विधान सामने नहीं लाती । पहले समय आपत्ति उठाई गई थी कि इंगलिस्तान और अन्य देशों में विभेद क्यों किया जाये । वह समझने की बात थी । उस आपत्ति में जोर था । मैं ने इसे मान लिया था । पर इस विधान के इतिहास का ध्यान रख मैं ने सोचा कि यह परिवर्तन करने के पहले हमें चाहिये कि हम ब्रिटिश सरकार को इस की सूचना दे दें । यदि आज यह विधेयक स्वीकार हो जाये तो यह उस दिन प्रवर्तन में आयेगा जो केन्द्रीय सरकार निश्चित करेगी इस दिनांक की अधिसूचना के साथ ही साथ इंगलिस्तान सम्बन्धी अधिसूचना भी उस दिन निकाली जायेगी । माननीय पाटसकर जी जानना चाहते थे कि विदेशी डिक्रियों को यहां कार्यान्वित करने के कितने मामले थे । मेरे पास यह सूचना नहीं है परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि वे बहुत कम हैं । इस में कोई संशय नहीं है । स्वतंत्रता के पश्चात् हाल ही हाल में यह पूछा गया था कि क्या स्विटजरलैंड के न्यायालय की डिक्री यहां कार्यान्वित हो सकेगी ? हमें कहना पड़ा कि अभी इस के लिये कोई विधान नहीं है । हां इस बात से प्रस्तुत विधान बनाने की बात आरम्भ की गई । संभव है एक दो और देशों ने भी इस विषय में पूछ ताछ की हो । हम ने सोचा कि हमें उन की अवहेलना नहीं करनी चाहिये क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम ने एक नया स्थान प्राप्त किया है । इस बात का कोई कारण नहीं था कि हम इन सुविधाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान केवल इंगलिस्तान या राष्ट्रकुल के अन्य देशों तक ही क्यों सीमित रखें । श्रीमान् जी मुझे आशा है कि सदन इस पर विचार करेगा तथा जिस रूप में मैं ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकृत करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा वह स्वीकृत हुआ ।

(खंड २— १९०८ के ५वें अधिनियम की धारा का ४४क का संशोधन)

श्री विश्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : पृष्ठ १ में खंड २ के स्थान में यह रख दिया जाए :

'२—१९०८ के ५वें अधिनियम की ४४क का संशोधन—व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा ४४ क में —

(क) उपधारा (१), में से "The United Kingdom" ["इंगलिस्तान अथवा"] शब्द हटा दिये जायें;

(ख) व्याख्या १,२, ३ के स्थान पर निम्नलिखित व्याख्या रख दी जाये :—

व्याख्या १—"Reciprocating territory" ["अन्योन्य व्यवहार-क्षेत्र"] का तात्पर्य भारत को छोड़ अन्य उस देश या क्षेत्र से है जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनार्थ 'अन्योन्य व्यवहार क्षेत्र' घोषित कर दे और ऐसे क्षेत्रों के "Superior Courts" ['उच्च न्यायालय'] से तात्पर्य उन न्यायालयों से होगा जो उक्त अधिसूचना में दिये गये हों ।

व्याख्या २—उच्च न्यायालय की "Decree" ['डिक्री'] से तात्पर्य ऐसे न्यायालय की ऐसी डिक्री अथवा न्याय से है जिस के अधीन धन की निश्चित राशि देना शेष हो, वह राशि कर, अर्थ दंड इस तरह की बातों के लिए दातव्य न हो । इस डिक्री में पंचनिर्णय किसी दशा में भी शामिल न समझा जायगा यद्यपि ऐसे पंचनिर्णय का प्रवर्तन डिक्री या न्याय निर्णय के समान हो सके ।'

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो श्री पाटसकर का संशोधन समाप्त हो जायेगा ।

श्री पाटसकर : मैं वह संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : श्रीमान् मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । इन दो व्याख्याओं को जोड़ देने से अब स्थिति स्पष्ट हो जाती है । यदि विदेशी न्यायालय हमारी डिक्रियों को मानेंगे तो हमें उन की डिक्रियां माननी चाहिये । इस से हमारा सम्मान बढ़ेगा । स्विटजरलैंड ने इस विषय में पूछताछ की है, दूसरे देश भी इस बात की पूछताछ कर सकते हैं । सारे सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र एक दूसरे के अधिकारों को मानते हैं । जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे वैसे वैसे हमें अन्य राष्ट्रों से इस प्रकार का पारस्परिक संबंध स्थापित करना पड़ेगा ।

डिक्रियों का क्षेत्र उसी आधार पर सीमित कर दिया गया है जैसा कि इंगलिस्तान के विदेशी क्षेत्राधिकार अधिनियम में किया गया है । अचल सम्पत्ति के विषय में ऐसी डिक्रियां प्रभावी न होंगी । ये डिक्रियां केवल धन की राशि देने के विषय में होंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जैसा कि व्याख्या में दिया गया है केवल विशेष प्रकार की डिक्रियों को ही मान्यता दी जायेगी । व्याख्या न होती तो कई प्रकार की डिक्रियों को मान्यता दी जाती जिस से हमारे नागरिकों को बड़ी कठिनाई होती । कुछ चतुर व्यक्ति विदेशों में डिक्री प्राप्त कर यहां कार्यान्वित करवाते हैं । पाकिस्तान से इस विषय में समझौता हुआ है । एक समय था जब यह सोचा जाता था कि उच्च न्यायालयों की डिक्रियों पर भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए विभाजन

के पश्चात् न्यायाधीश दूसरे धयेय से निर्णय देते थे । यदि अपने पक्ष वालों की ओर से अपील की प्रार्थना की जाती थी तो वह स्वीकार की जाती थी तथा दूसरे पक्ष वालों की अपील अस्वीकार की जाती थी । यह विभाजन के पश्चात् हुआ था ।

श्री टेकचन्द : पंजाब के उच्च न्यायालय में ऐसा नहीं हुआ था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब दो पंजाब हैं ।

श्री टेकचन्द : यह कहिये कि लाहौर। उच्च न्यायालय में ऐसा हुआ था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी ।

श्री पाटसकर इस धारा को हटा देना चाहते थे । इस समय मुझे स्मरण आया कि हम ने पाकिस्तान जैसे देशों से समझौता किया है जिस के उच्च न्यायालय की डिक्रियों में विश्वास नहीं किया जा सकता था । अब वह बात नहीं रही । हमें अपनी सरकार को यह शक्ति देनी चाहिये । हमारी सरकार जिस को चाहे सरकार की डिक्रियों को मानने के लिये बाध्य नहीं है । सरकार पता लगायेगी कि उन देशों की डिक्रियां उचित हैं अथवा नहीं । किसी देश से इस प्रकार का पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिये कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता । न मालूम कितने देश इस प्रकार के संबंध स्थापित करना चाहेंगे । हम तो अभी सरकार को केवल यह शक्ति दे रहे हैं । हम इंगलिस्तान और अन्य विदेशी राष्ट्रों में विभेद नहीं कर रहे हैं । मेरे मत में यह विधेयक पारित कर दिया जाना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, व्याख्या २ में डिक्री का जो स्पष्टीकरण किया गया है उस के अनुसार पंचनिर्णय को 'डिक्री' के अन्तर्गत नहीं माना है । ऐसा क्यों किया गया है ? यदि हम विदेशी डिक्री को अपने देश में कार्यान्वित करना स्वीकार करते हैं तो फिर पंचनिर्णय को क्यों छोड़ दिया जाये; वह भी डिक्री के रूप में प्रवर्तित हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप धारा ४४क की व्याख्या ३(ख) देखिये । जो लोग पारस्परिक सुविधायें देना चाहते हैं वे भी इसे ठीक नहीं समझते कि पंचनिर्णय को डिक्री में सम्मिलित समझा जाये ।

श्री एस० एस० मोरे : इस का क्या कारण है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न देश पंचनिर्णय को डिक्री के बराबर मान्यता नहीं देना चाहते ।

श्री विश्वास : श्रीमान् जी मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री राघवाचारी : (पेनुकोंडा) : पंचाट अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में हो सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो पंचाट धन देने के विषय में हैं वे भी सम्मिलित नहीं किये गए हैं ।

श्री विश्वास : पहिले मैं अन्तिम वक्ता के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा । डिक्री और न्यायाधिकरण पंचाट में भेद है । न्यायालय की डिक्री उस न्यायनिर्णय के ऊपर आधारित होती है जो दोनों पक्षों की सुनवाई, साक्ष्य तथा मामले के गुण-दोषों पर आधारित होती है । पंचाट के विषय में तथ्यों का वर्णन तथा विनिश्चयों के कारणों का बताना आवश्यक नहीं होता । यदि दो व्यक्तियों का झगड़ा किसी मध्यस्थ को सौंपा जाये तो वह अपना पंचनिर्णय अथवा पंचाट दे सकता है । अतएव पंचनिर्णय को न्यायनिर्णय के बराबर शक्ति

[श्री विश्वास]

नहीं दी जाती क्योंकि उस में कुछ भय रहता है । श्रीमान् जी यद्यपि इस धारा के अनुसार विदेशी न्यायालयों की डिक्रियां इस देश में कार्यान्वित की जा सकती हैं पर इस में सुरक्षा यह है कि केवल वे ही डिक्रियां कार्यान्वित हो सकेंगी जो धारा १३ में दिये गये अपवादों के अन्तर्गत नहीं आतीं । यदि इन अपवादों के अन्तर्गत विदेशी न्यायनिर्णय आ जाते हैं तो उन को मान्यता नहीं दी जाती । इन अपवादों के अन्तर्गत आने वाली विदेशी डिक्रियों को कार्यान्वित करने के लिये भारत के न्यायालय बाध्य नहीं किये जा सकते ।

उन अपवादों को मैं पढ़ता हूं :—

(क) "यदि वह सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा नहीं दी गई हो ,"

[मध्यस्थ न्यायधिकरण के पंचाट इस में सम्मिलित नहीं होंगे]

(ख) "यदि वह मामले के गुण दोष के आधार पर न दिया गया हो ।"

[इस का भी वही प्रभाव होगा । क्योंकि हम यह नहीं जानते कि मध्यस्थ का पंचाट अभिलेखों और साक्ष्य पर आधारित है अथवा नहीं ।]

श्री एस० एस० मोरे : क्या माननीय मंत्री जी का मतलब यह है कि सब पंचाट एक समान होते हैं ।

श्री विश्वास : मेरा मतलब यह नहीं है । परन्तु पंचाट इस प्रकार का हो सकता है तथा उस आधार पर आप उस में दोष नहीं निकाल सकते : मैं यह बतलाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि सामान्य डिक्री और पंचनिर्णय में भेद करने के क्या कारण हो सकते हैं । अगला अपवाद यह है :—

(ग) जहां कार्यवाहियों से स्पष्टतया यह दिखाई देता है कि वह निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय कानून को गलत रूप से समझने अथवा राज्य के कानून (जिन में वह कानून लागू हो) को मान्यता न देने के कारण ही दिया गया है । अगला :

(घ) "जहां की कार्यवाहियां, जिन पर न्याय दिया गया था, स्वाभाविक न्याय के विपरीत हों ।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब डिक्रियों पर भी लागू होती हैं;

श्री विश्वास : जी ।

इस के बाद (ङ) "जहां वह धोखे से प्राप्त किया गया हो" और

(च) "जिस में वह दावा हो जो उस देश में प्रभावी कानून को भंग करने पर आधारित हो ।"

अतएव यहां पर्याप्त परित्राण दिये गये हैं तथा इस बात का कोई भय नहीं होना चाहिये कि इस देश में हम ऐसी डिक्रियों को कार्यान्वित करेंगे जो अन्य देशों में कार्यान्वित न हो सकती हों ।

श्रीमान् जी, संशोधन स्वीकार कर लिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव किया और वह स्वीकार हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाटसकर अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

प्रश्न यह है कि :

"संशोधित रूप में खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

(खंड १--(संक्षिप्त नाम)

किया गया संशोधन :

पृष्ठ एक में खंड १ के स्थान में यह रख दीजिये :

"संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--

--(१) यह अधिनियम व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९५२ कहलाये ।

(२) यह उस तारीख को प्रवर्तन में आयेगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये ।

श्री विश्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब बहुत कम समय शेष है सदन की बैठक आज के ढ़ाई बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिये ढ़ाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढ़ाई बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यक्रम सूची के अनुसार यह प्रस्ताव श्री रफी अहमद किदवई के नाम है । उन के स्थान पर यदि दूसरा मंत्री प्रस्ताव करे तो उसे कहना चाहिये कि "यह विधेयक श्री .....के नाम है और उन की ओर से वे प्रस्ताव कर रहे हैं ।"

डा० पी० एस० देशमुख : श्री रफीअहमद किदवई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय नारियल समिति अधिनियम १९४४ को अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

यह बड़ा साधारण विधेयक है । कुछ परिवर्तनों द्वारा भारतीय नारियल समिति अधिनियम, १९४४ की कुछ धाराओं का संशोधन करने का विचार है ।

पहला संशोधन १९४४ के दसवें अधिनियम की धारा २ के बारे में है । हमारा विचार "Mill" ("कारखाना") की व्याख्या में परिवर्तन करने का है । पहले "Mill" ("कारखाना") की व्याख्या इस प्रकार थी

"ऐसा स्थान जहां तेल निकालने के लिए खोपरा पेरा जाता हो और जो फैक्टरी अधिनियम १९३४ की धारा २ के अनुसार फैक्टरी हो ।"

अब उस की व्याख्या इस प्रकार करने का विचार है

"ऐसी जगह जहां या जिसके कुछ भाग में शक्ति (power) की सहायता से तेल

[डा० पी० एस० देशमुख]

निकालने के लिये खोपरा पेरा जाता हो या सामान्यतया पेरा जाता हो ।"

इस के साथ व्याख्या भी दी गई है ।

" 'शक्ति' का अर्थ विद्युत शक्ति अथवा अन्य किसी प्रकार की शक्ति से है जो यंत्रों की सहायता से भेजी जाती हो पर जो मनुष्यों और पशुओं द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती हो ।"

जितने संशोधनों का सुझाव दिया गया है उन के बारे में मेरा कहना यह है कि विधेयक के उद्देश्य और कारणों के रूप में पर्याप्त विस्तृत विवरण दिया गया है । अतएव विधेयक के उपबन्धों का स्पष्टीकरण करने के लिये मैं अधिक समय न लूंगा । पर संक्षेप में कुछ कहना आवश्यक होगा " Mill " ("कारखाने") की व्याख्या में परिवर्तन करने का उद्देश्य यह है कि शक्ति की सहायता से तेल निकालने वाले सब कारखाने सम्मिलित कर लिये जायें चाहे वहां काम करने वालों की संख्या कितनी ही क्यों न हो । हमारा अनुभव यह है कि वर्तमान व्याख्या के कारण लोग अपवंचन करते हैं । अतएव इस नई व्याख्या का सुझाव दिया गया है ।

खंड ३ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४ में केवल शाब्दिक संशोधन किये गये हैं । उदाहरणार्थ इंडियन कौंसल आफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च के 'Vice Chairman' उप-सभापति के स्थान पर 'Vice President' (उप-प्रधान) रख दिया गया है । नये उपखंड (क क) द्वारा ("भारत सरकार का कृषि-विपणन मंत्रणा दाता" को समिति में जोड़ने का विचार है । पहले वह सदस्य नहीं था । अब हम चाहते हैं कि मंत्रणा दाता समिति का सदस्य बनाया जाये ।

खंड ३ के उपखंड (ii) का उद्देश्य यह है कि मूल अधिनियम की धारा ४ के उपखंड (घ) के स्थान पर यह रख दिया जाये :

"(घ) आसाम, मद्रास, मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये उन सरकारों के चार प्रतिनिधि,"

मूल विधेयक और इस विधेयक में केवल इतना भेद है कि इस में आसाम का नाम और जोड़ दिया गया है । इस राज्य का प्रथम बार प्रतिनिधित्व होगा ।

खंड ३, उपखंड (३) द्वारा 'Central Assembly" ("केन्द्रीय सभा") और "Council of States" ("राज्य परिषद्") के स्थान पर हम अब 'The House of the People' ('लोक सभा') और "Council of States " ("राज्य परिषद्") रख रहे हैं । त्रावनकोर और कोचीन को मिला देने के अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है क्योंकि अब वे दोनों राज्य एक बन गये हैं । पहले वे दो भिन्न राज्य थे और प्रत्येक को प्रतिनिधित्व प्राप्त था । विभिन्न राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया था उस में अब कोई वृद्धि नहीं की गई है ।

खंड ४ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ७ उपधारा (१) के स्थान पर यह उपधारा रखना चाहते हैं :

"(१) केन्द्रीय सरकार धारा ४ में दिये गये व्यक्तियों में से किसी एक को अथवा अन्य किसी व्यक्ति को समिति का सभापति नियुक्त कर सकती है । यदि अन्य कोई व्यक्ति सभापति नियुक्त किया जायेगा तो वह इस अधिनियम के सब प्रयोजनों के निमित्त समिति का सदस्य समझा जायेगा ।"

बहुत दिनों से यह शिकायत थी कि एक मनुष्य बहुत सी समितियों का सभापति बनता हैं । इस लिये हम ने यह उचित समझा कि हमें किसी अन्य व्यक्ति को सभापति

बनाने की शक्ति होनी चाहिये । फिर यह आवश्यक हो ही जाता है कि यदि और कोई व्यक्ति सभापति बनाया जाए तो वह समिति का सदस्य भी बनाया जाये ।

खंड ५ द्वारा हम मूल अधिनियम की धारा ९ का संशोधन करना चाहते हैं। उस धारा (१) में "and coconut poonac" ("और खोपरे की खली") के स्थान में ये शब्द और अभिव्यक्ति रखना चाहते हैं :

"Coconut poonac an such other coconut products (excepting coir and its products) as the committee may determine." "[खोपरे की खली और खोपरे के अन्य उत्पाद (नारियल की रस्सी और उस की वस्तुयें छोड़ कर) जिन्हें समिति निश्चित करे]" इस का उद्देश्य इस समिति की कार्यवाहियों के क्षेत्र का विस्तार करना है । जो सुझाव दिये गये हैं उस के अनुसार यह आवश्यक है ।

खड ५ के उपखंड (२) द्वारा हम मूल अधिनियम की धारा ९ उपधारा (२), खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखना चाहते हैं :

"(ख) नारियल उत्पादक और नारियल उद्योग में लगे हुए अन्य लोगों को टैक्नीकल मन्त्रणा देना"

यहां पर हमारा अभिप्राय अधिक लोगों को टैक्नीकल मंत्रणा उपलब्ध कराना है ।

खंड ६ द्वारा हम मूल अधिनियम में नई धारा जोड़ना चाहते हैं । समिति को अपनी कार्यवाहियों का विस्तार करने की शक्ति देना इस संशोधन का प्रयोजन है ।

इस में इस नियम का उल्लेख भी किया गया है जिस के अनुसार प्रत्येक मिल का स्वामी इस बात का मासिक विवरण देगा कि उस की मिल में कितना खोपरा लगा ।

सुझाये गये इस संशोधन का प्रयोजन इस बात को सुनिश्चित कराना है कि प्रत्येक नई आरम्भ की गई मिल का मालिक इस बात की सूचना कलेक्टर के कार्य आरम्भ करने की तारीख से १५ दिन की अवधि के भीतर भेज दे । जिन शीर्षकों के अन्तर्गत सूचना दी जायेगी वे बता दिये गये हैं ।

अतएव, श्रीमान्, जी मेरा निवेदन है कि प्रस्तुत ऐसा कोई संशोधन नहीं है जिस पर किसी आधार पर आपत्ति की जा सकती हो । मैं स्वीकार करता हूं कि दो बातें अवश्य छूट गई थीं, जिन के विषय में श्री दामोदर मेनन ने दो संशोधनों की सूचना दी है । वे आवश्यक क्योंकि अब वे दो राज्य एक हो गये हैं । मैं उन की चर्चा कर चुका हूं ।

मेरा विचार उन को स्वीकार करने का है ।

सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ छोटे मोटे संशोधनों की सूचना दी है, इस समय मैं उन पर टीका नहीं करना चाहूंगा । जब प्रस्ताव स्वीकृत होगा तब उन पर टीका करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये समितियां जो काम कर रही हैं उस का वास्तविक स्वरूप क्या है ? वह कितना उपयोगी है और उसे किस प्रकार अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस का सारांश देने में मुझे बड़ी खुशी होती है । परन्तु श्रीमान् आप की आज्ञा से मैं एक टिप्पण परिचालित कर दूंगा क्योंकि मेरी समझ में संशोधन बड़े महत्वपूर्ण नहीं हैं । वे केवल शाब्दिक संशोधन हैं । इसलिये इस पर मैं ने अधिक साहित्य उपलब्ध करने का प्रयत्न नहीं किया

(डा० पी० एस० देशमुख)

है। जब मेरे एक मित्र ने इस पर कुछ साहित्य देखने की इच्छा प्रकट की तब मैं ने उन से कहा कि उस पर काफ़ी साहित्य है। समिति की बहुत सी फाइलें हैं। समिति जो कार्य कर रही है तथा जो परिवर्तन (यदि कोई) किये जा रहे हैं उस के विषय में कारण बहुत हैं परन्तु मैं उस के विषय में संक्षिप्त नोट दूंगा। श्रीमान्, मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं प्रत्येक समिति का काम नई तथा भिन्न दृष्टि से देख रहा हूं तथा मुझे आशा है कि जहां तक समितियों के कार्य का संबंध है मैं सदन को संतुष्ट कर सकूंगा।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिनकल) : मेरा सुझाव यह है कि टिप्पण मिल जाने के पश्चात् इस विधेयक पर चर्चा की जाये।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : यह संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन समितियों की कार्यवाहियों के ऊपर बार बार प्रश्न पूछे गये हैं। यहां जो विधेयक प्रस्तुत होता है उस पर सब का ध्यान रहता है। सदन में विधेयक के ऊपर जितनी अधिक चर्चा हो उतना ही अच्छा होता है। पर अब हम इस विधेयक पर आगे विचार कर सकते हैं। चर्चा होने के पूर्व मैं उसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : इस अधिनियम के संशोधन की ही नहीं अपितु पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत में नारियलों की खेती विपणन और समुपयोजन के लिये यह समिति बनाई गई थी। सात वर्षों से यह काम कर रही है पर इसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता नहीं मिली है। असफलता का कारण समिति का दोषपूर्ण गठन है। मेरे पास समिति की रिपोर्ट है। न मालूम सरकार ने उन की जांच की है अथवा नहीं। उन से पता चलेगा कि समिति ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है। पहले भारत नारियलों का निर्यात करता था अब उसे आयात करना पड़ता है। समिति को नारियलों का उत्पादन बढ़ाना चाहिये था। नारियलों के उत्पादकों के मार्ग में तीन बाधायें हैं। पहली बाधा एक रोग है जो पत्तों और जड़ों में होता है। सात वर्ष प्रयत्न करने पर भी समिति इस रोग को नहीं दबा पाई। विशेषज्ञों ने इस रोग के कारणों की जांच की है तथा उसे कुछ वैज्ञानिक नाम भी दिया है परन्तु इस से अभी नारियल उत्पन्न करने वालों को कोई लाभ नहीं हो पाया है। दूसरा प्रश्न खाद का है। समिति ने किसानों को खाद देने के बारे में कभी नहीं सोचा।

सब से महत्वपूर्ण प्रश्न उचित मूल्य का है। यदि उन्हें उचित मूल्य मिलने लगे तो वे स्वयं ही उत्पादन बढ़ाना आरम्भ कर देंगे : मूल्यों में उच्चावचन बहुत होता है। कभी नारियलों का भाव गिर कर १५-२० रुपये प्रति हजार हो जाता है। १९३९ में १ टन खोपरे का भाव १६९ रुपये था। १९४८-४९ में वह १३२ रुपये था। समिति को यह स्थिति मालूम थी कि व्यापार अवसाद और लंका की स्पर्धा से ऐसा होता है फिर भी वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकी।

मार्च १९५० को समाप्त होने वाले चार वर्षों में समिति ने दो सहकारी विपणन समितियों को १९,५५८ रुपये १२ आने सहायता अनुदान के रूप में दिये हैं। क्या सरकार ने इन सहकारी समितियों की जांच की है। वैक्याम की समिति अब बंद हो चुकी है। इस को दिया गया रुपया न मालूम कहां गया। ये दो समितियां ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही थीं। वे न विवरण कर रही थीं न किसानों की सहायता कर रहीं

थीं। वे तो केवल दलाली करती थीं। समिति की रिपोर्टों को मंत्री जी जांचे तथा इस बात का पता लगायें कि उस की विपणन योजनायें कहां तक कार्यान्वित की जा रही हैं तथा उन पर जो रुपया व्यय किया जा रहा है उस का अपव्यय तो नहीं हो रहा है ।

नारियल समिति किसानों के ऊपर भारस्वरूप है। वे इस के लिये ६ लाख रुपये प्रति वर्ष देते हैं तथा बदले में उन्हें कुछ लाभ नहीं मिलता। इस का कारण यह है कि समिति का गठन दोषपूर्ण है। २८ सदस्यों की इस समिति में ९ व्यक्ति किसानों के प्रतिनिधि हैं जिन्हें विभिन्न सरकारें नाम-निर्देशित करती हैं। बहुधा यह नाम-निर्देशित व्यक्ति किसान नहीं होते। इस में पांच व्यक्ति उद्योग के प्रतिनिधि होते हैं। वास्तव में यह समिति किसानों के हित में नहीं अपितु बड़े उद्योगपतियों के हित में कार्य कर रही है। मेरा सुझाव है कि अधिनियम पर फिर से विचार किया जाये तथा किसानों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रस्तुत विधेयक द्वारा यह नहीं किया जा सकता। किसानों के प्रतिनिधियों का यदि निर्वचन हो, नाम-निर्देशन न हो तो उन के अधिक सदस्य आ सकते हैं ।

धारा ७ के बारे में मेरा कहना यह है कि समिति के सभापति के निर्वाचन में सरकार को क्या आपत्ति है। उसका सचिव तो नियुक्त किया ही जाता है । सरकार समिति की कार्यवाहियों की जांच करे तथा इस बात का प्रयत्न करे कि इस के द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जिन के लिये समिति की नियुक्ति की गई है ।

कुमारी आनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : श्रीमान्, मैं संशोधन का विरोध करती हूं क्योंकि मूल अधिनियम केवल युद्धकाल के लिये बनाया गया था। अब यह आवश्यक नहीं है। यह संशोधन तो मूल अधिनियम से भी कठोर है । संशोधन का उद्देश्य किसानों से और अधिक पैसा वसूल करना है :

आठ साल पहले यह अधिनियम पारित किया गया था। छ: साल से कांग्रेस के हाथों में शासन की बागडोर है। उन्हों ने धारा ९ के बारे में अब तक क्या किया है ?

अब नारियलों के उत्पादकों की दशा पहले से खराब है । इस धारा के अनुसार समिति को गवेषणा करना तथा मूल्य निश्चित करना चाहिये था परन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है। मद्रास के आगे समुद्र तट पर नारियलों के ठूंठ खड़े हैं। नारियलों के इस रोग को दबाने के लिये सरकार ने क्या किया है ? यदि कुछ किया होता तो वर्तमान स्थिति उत्पन्न न होती। नारियलों का मूल्य गिर रहा है। इस से दक्षिण भारत के राज्यों को बड़ी क्षति हुई है। फिर भी अधिक राशि उगाहने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है। सरकार में कानून बनाने की क्षमता तो है परन्तु उन्हें कार्यान्वित करने की नहीं। वह ९ धारा को कार्यान्वित करने में असफल रही है । केवल इसी धारा से लोगों का भला होता है। संशोधन में ऐसा कोई खंड नहीं है जिस से लोगों का भला होता हो ।

सरकार की नीति अभी भी 'यथेच्छ कुर्वन्तु' है जो बहुत पहले अमान्य हो चुकी है। वह योजना बद्ध अर्थव्यवस्था में भी विश्वास करती है तथा उद्योगों को व्यक्तियों के हाथों में रहने देना चाहती है ।

नारियलों का भाव गिर गया है। आज हम निर्यात करने के स्थान में नारियलों का आयात करते हैं ; सरकार ने कुछ नहीं किया।

३ म० प०

नारियल की रस्सी के उद्योग का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। यह उद्योग इस अधिनियम में क्यों नहीं मिलाया गया ?

[कुमारी आनी मस्करीन]

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

क्या इस उद्योग के लिये सरकार नया अधिनियम बनायेगी ? मेरे विचार में सारे अधिनियम का निरसन कर दिया जाये तथा सरकार एक नया अधिनियम प्रस्तुत करे जिस से नारियलों के उत्पादकों को लाभ हो ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : अभी बतलाया गया है कि नारियलों का भाव गिर गया है तथा जो सहकारी समितियां आरम्भ की गई थीं वे सुचारु रूप से काम नहीं कर रही हैं । तथा उन पर लगाया गया रुपया व्यर्थ गया है । मैं इन बातों को मानता हूं ।

हमारी सरकार लोकतंत्री सरकार है । सभापति का नाम निर्देशित होना प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है । सभापति का निर्वाचन होना चाहिये ।

ये संशोधन शाब्दिक अवश्य है परन्तु इन से अधिनियम का स्वरूप बदल जाता है । उन से उस के सिद्धान्तों को धक्का पहुंचता है सभापति को नाम निर्देशित करना ठीक नहीं है । इस से तो यही होगा कि जिस दल के हाथों में सत्ता होगी वह अपने व्यक्ति को इस पद पर आसीन करेगा । यदि समिति के अधिकांश सदस्य तथा सभापति नाम निर्देशित किये जायेंगे तो समिति, सरकार की छायामात्र बन जायेगी । नाम निर्देशित करने के कारण यह समिति ठीकप्रकार से काम नहीं कर सकी । अतएव मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सभापति के पद की पूर्ति निर्वाचन द्वारा करें ।

विधेयक द्वारा नई धारा ९-क जोड़ी जा रही है जिस के अनुसार स्वामी की अपनी भिन्न की सूचना सरकार को देनी पड़ेगी । सूचना न देने के अपराध पर दंड देने का जो विधान है वह बहुत कड़ा है । यदि वह सूचना न दे तो उसे सूचना देने के लिये कहा जा सकता है । इस के बाद भी यदि वह सूचना न दे तो उसे मिल बन्द करने के लिये कहा जा सकता है । इस दण्ड विधान के स्थान पर मेरा संशोधन स्वीकृत कर लिया जाये । मुझे इसके अधिनियम संशोधन पर आपत्ति है ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडि) : मुझे हर्ष है कि मंत्री जी ने मेरे दो संशोधन स्वीकार कर लिये हैं । आशा है वे तीसरा संशोधन भी स्वीकार कर लेंगे । इस में यह चाहा जा रहा है कि त्रावनकोर-कोचीन और मैसूर की सरकारें तीन और प्रतिनिधि नाम निर्देशित न करें । यह शक्ति इन राज्यों की विधान सभाओं को सौंप दी जाये । उस खंड में चुनाव का सिद्धान्त माना गया है । संसद् के दो सदस्यों को लोक सभा चुनेगी तथा एक राज्य परिषद् द्वारा चुना जायेगा । त्रावनकोर कोचीन की सरकारें २ सदस्यों का तथा मैसूर की सरकार १ सदस्य का नाम निर्देशित कर सकेगी ।

यह समिति पश्चिमी तट के नारियलों के उत्पादकों का अधिक हित नहीं कर सकी है । उन के काम की गति मन्द रही है । उन्हों ने उद्योग को संगठित करने का प्रयत्न नहीं किया है । सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिये । तिलहन समिति में सदस्यों का नाम-निर्देशन उत्पादकों के संगठनों की मंत्रणा पर किया जाता है । इस प्रकार की बात इस समिति में भी की जा सकती है ।

सरकार ने भी समिति की बहुत सी सिपारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है । सीलोन के खोपरे पर आयात शुल्क घटाने से यहां उस का भाव गिर गया था । क्या यह शुल्क समिति की सहमति से घटाया गयां था ?

मेरी समझ में नारियल समिति की सम्मति से यह शुल्क नहीं घटाया गया था। वह समझती थी कि इस से देशी उत्पादकों को हानि होगी। यदि सरकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेगी तो वह निष्प्रभावी बन जायेगी।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : श्रीमान्, नारियल समिति ने उत्पादकों का अधिक भला नहीं किया है। लंका के खोपरे से आने से उस के भाव गिर गये हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जब मालाबार में पर्याप्त खोपरा होता है तब वहां खोपरे का आयात करने की क्या आवश्यकता है। शिकायतें की जाने पर भी समिति ने कुछ नहीं किया। नामनिर्देशित की गई यह समिति कुछ भला नहीं कर सकती। मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें।

अब अधिक उत्कर प्राप्त करने का उपबन्ध किया जा रहा है। कुछ मिल मालिक कर अपवंचन कर रहे हैं। इन के लिये धारा २ का संशोधन किया जा रहा है। उत्पादकों को इस से क्या लाभ होगा? कयरू नारियल का उपोत्पाद है। त्रावनकोर कोचीन राज्य के कुछ भागों में इस उद्योग की दशा खराब है जिस से १ लाख व्यक्ति बेकार हो गये हैं तथा उन के परिवार के व्यक्तियों को मिला कर लगभग १३ लाख लोगों के भूखे मरने की नौबत आई है। नारियल के उद्योग को समिति ने कोई सहायता नहीं दी है।

समिति के काम के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। परन्तु हम जानते हैं कि वह उपयोगी नहीं है। क्या इसे बनाये रखना ठीक है?

श्री वी० पी० नायर : मैं विधेयक का विरोध करता हूं। इस का प्रभाव मेरे राज्य के हजारों लोगों पर पड़ता है।

श्री चाको ने ठीक कहा है कि यह समिति कुछ काम नहीं कर रही है। दो तीन रिपोर्ट बनाने के सिवाय वह हमारे कुछ काम नहीं आई है। नारियल का वृक्ष जिसे हम कल्प वृक्ष और देव वृक्ष कहते थे आज हमारे लिये शाप बन गया है। कयरू उद्योग चौपट हो गया है और हजारों लोगों के मरने की बारी आई है। सरकार कयरू नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करेगी। इधर नारियल का भाव लंका से आये खोपरे के कारण गिर रहा है।

सरकार की नीति सामान्य रूप से बड़े निर्माताओं और विशेष रूप से लीवर ब्रादर्स को सहायता देने की है। लंका के खोपरे का निर्यात क्यों नहीं बन्द किया जाता? आप चाहते हैं कि वर्तमान विधान में मूलभूत परिवर्तन करने की बात टल जाये। सरकार इस के द्वारा लोगों को यह दिखलाना चाहती है कि वह छोटी छोटी सी त्रुटियों को भी पूरा करने के लिये तैयार है।

नारियल समिति ने क्या कार्य किया है यह हमें नहीं बतलाया गया। विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी जाये और सरकार हमें बतलाये कि समिति ने क्या कार्य किया है। मुझे मालूम है कि नारियल के रोगों की गवेषणा की जा रही है तथा इस कार्य के लिये उचित हर्जाना दिये बिना कई एकड़ नारियल के बगीचे प्राप्त किये गये हैं। अतएव विधेयक पर अभी विचार न किया जाये तथा मंत्री जी हमें नारियल समिति के पूरे कार्यों का लेखा दें।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : श्रीमान् यह अधिनियम मिल वालों की सहायता करने के लिये बनाया गया था उत्पादकों की सहायता करने के लिये नहीं। प्रस्तुत संशोधन से यह दोष नहीं मिटता। माननीय मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिये।

वर्तमान अधिनियम के अनुसार नारियल समिति में पश्चिमी बंगाल का प्रतिनिधि नहीं है। पश्चिमी बंगाल में भी नारियलों का

[श्री ए० सी० गुहा]

उत्पादन होता है अतएव उस राज्य का एक प्रतिनिधि समिति में अवश्य होना चाहिये ।

मंत्री जी का ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि लगभग १२ स्वायत्त निकाय राजस्व वसूल करते हैं । उस राशि को वे व्यय करते हैं तथा उस का जिक्र आयव्ययक पत्रों में नहीं होता । लेखा परीक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है । न मालूम इन समितियों का यह कर्त्तव्य है कि अथवा नहीं कि वे अपनी रिपोर्ट संसद् के सामने रखें ; हाल में नियुक्ति की गई समितियों में जैसे औद्योगिक विकास समिति में यह व्यवस्था है । वे उपकर की जो राशि इकट्ठी करते हैं वह भारत की संचित निधि में जमा हो जाती है । परन्तु इस समिति में यह राशि आप से आप उस को मिल जाती है तथा उस पर केन्द्रीय समिति का कुछ नियंत्रण नहीं रहता कोयले की खदानों की सुरक्षा और संरक्षण के विधेयक में मेरे बताने पर यह त्रुटि दूर कर दी गई है ।

बहुत सी इन समितियों के लेखों की व्यवहार रूप से बिल्कुल परीक्षा नहीं होती । उस विधि पर नियंत्रण महालेखा पाल का कुछ नियंत्रण नहीं रहता । इस विधेयक की धारा ४ का संशोधन कर इन दोषों को मिटाया जा सकता है । जो भी पैसा इकट्ठा किया जाये वह केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया जाये । फिर वह राशि सरकार द्वारा समिति को मिले । सरकार के कथनानुसार ही समिति राशि व्यय करे । इन समितियों का लेखा परीक्षा नियंत्रक महालेखा पाल द्वारा किया जाये ।

आशा है कि मंत्री जी मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : श्रीमान् उड़ीसा में नारियलों का बहुत उत्पादन होता है । इस अविकसित राज्य के लिए यह उद्योग बहुत महत्व पूर्ण है । अतएव इस राज्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए ।

मुझे मालूम नहीं कि मूल विधेयक क्या है । शायद इसका उद्देश्य नारियलों के उत्पादकों की सहायता करना है । नारियल समिति किस लिए है ? इसने विशेष कुछ काम नहीं किया । सरकार इसके विषय में हमें सारी बातें बतलाए जिससे कि हम अपना मत निश्चित कर सकें । मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में इस समिति ने नारियल के वृक्ष लगाने तथा गवेषणा करने के लिए एक बड़े खेत का अधिगृहण किया था । पहिले वहां उत्तम धान होती थी । आज वह खेत बेकार पड़ा है । समिति ने वहां पर नारियल का एक भी वृक्ष नहीं लगाया है । सारे लोग इस बात की हंसी उड़ाते हैं । लोगों को इस बारे में जवाब देना मेरे लिए कठिन हो गया था । केन्द्र से जो विशेषज्ञ वहां गए थे उन्हें अपना काम ही नहीं मालूम था । सरकार कृपया बतलाए कि इस समिति के क्या क्या काम हैं तथा उसकी जिम्मेवारी क्या है ।

इस समिति में अन्य राज्यों की तरह उड़ीसा का भी प्रतिनिधि होना चाहिए । इस समिति के बनाने में सरकार का बड़ा हाथ रहता है परन्तु वह जो विशेषज्ञ भेजती है वे व्यापारिक जीवन में विशेषज्ञ नहीं होते । समिति के गटन में उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो वास्तव में नारियलों के उत्पादक हैं तथा जिन्हें इन विशेषज्ञों से अधिक ज्ञान रहता है ।

मेरे क्षेत्र में पुराने तरीकों से नारियलों का उत्पादन होता है यद्यपि उत्पादन घट गया है फिर भी मूल्य गिर गए है । अतएव अधिक नारियलों का उत्पादन करने का उनमें कोई चाव नहीं है ।

मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस विषय में अधिक व्यावहारिक बने जिस से कि नारियलों का उत्पादन बढ़े ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : श्री मान् भारतीय नारियल समिति अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। सरकार को चाहिये कि वह इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन करे; नामनिर्देश बन्द कर दे। प्रस्तुत अधिनियम के अनुसार समिति में उत्पादकों के ९ प्रतिनिधि हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों की सरकार नियुक्त करती है । इन राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अब ये लोग चुने जाएं। मुझे इस समिति का ३ साल का अनुभव है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बम्बई सरकारों के प्रतिनिधि भी समिति में होने चाहिए। समुद्र तट के राज्यों की सब सरकारों के प्रतिनिधि होने चाहिए । आशा है कि मंत्री जी मेरा सुझाव स्वीकृत कर लेंगे।

यदि राज्यों की सरकारें नारियलों की खेती में दिलचस्पी न लें तो भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति इस काम को कर सकती है।

पिछले बार जब मैं नारियल समिति का सदस्य चुना गया था तब पश्चिमी बंगाल में कोई नर्सरी नहीं थी। मेरे प्रयत्नों से अब उसकी स्थापना हो गई है । उड़ीसा मे उत्पादकों का एक प्रतिनिधि जाता है पर उड़ीसा सरकार का उससे कोई संबंध नहीं होता । प्रत्येक राज्य में नर्सरी होनी चाहिए तथा वहां गवेषणा की जानी चाहिए यदि उस राज्य में नारियलों के उत्पादन करने की संभावना हो ।

मैं श्री चाको की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उत्पादकों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि गवेषणाएं की जा रही हैं तथा नारियलों के रोगों को मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों और मासिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जा रहा है जिससे कि उत्पादकों को इन सब बातों का पता लगता रहे। उनमें खादों के विषय में तथा रोगों की दवाईयों के विषय में लेख रहते हैं।

मैंने एक संशोधन की सूचना दी है । समिति में चार सदस्य लोक सभा के तथा राज्य परिषद के दो व्यक्ति होने चाहिए जिस से कि छः निर्वाचित व्यक्ति वहां रहें । सरकार से प्रार्थना है कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करे ।

श्री मातन (तिरूवल्ला) : समिति को ठीक प्रकार से काम करना चाहिये । सदन के लगभग सभी सदस्यों ने इस समिति की आलोचना की है । श्री चाको इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में समिति के कार्यों की भर्त्सना की है। मैं उपाध्यक्ष महोदय की इस बात पर जोर दूंगा कि इस विधेयक पर आगे विचार करने के पहिले समिति के कार्यों की संक्षिप्त रिपोर्ट परिचालित कर दी जाय। यह बहुत आवश्यक है। मेरे राज्य की अर्थन्यवस्था नारियलों पर आश्रित है अतएव मुझे इस बात की चिंता अधिक है। कयरू इस समिति में नहीं आ सकता क्योंकि वह औद्योगिक उत्पाद है। इस समिति का सम्बन्ध तो केवल नारियलों के उत्पादन से है । नारियलों का रोग राज्य में अभी भी ज्यों का त्यों बना है। संभव है कुछ गवेषणा की गई हो पर उसका उपयोग नहीं किया गया है ।

श्री पाटसकर (जलगांव) : वादविवाद को सुनने से मुझे मालूम पड़ा है कि समिति का कार्य संतोष जनक नहीं है । पहिले इसके सदस्यों की संख्या २३ थी अब उसे बढ़ा कर २८ की जा रही है। इस से क्या लाभ होगा ? संख्या बढ़ने से अदक्षता ही आएगी अन्य कारण अवश्य होंगे जिनके कारण समिति ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकी। मुझे यह

[श्री पाटसकर]

भी मालूम हुआ है कि देश के नारियलों के अभाव के कारण उनका आयात करना पड़ता है इस समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाए बिना ही उसमें सब राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। कृषि गवेषणा परिषद का उपसभापति इसका सभापति हो सकता है। अन्यथा २३ लोगों में से और कोई सभापति चुना जा सकता है। सदस्यों की संख्या बढ़ाने के स्थान में अब हमें उस के कार्यों को सुधारना चाहिए। कम सदस्यों होने से कार्य में दक्षता आएगी।

संभव है कि उत्तर देते समय मंत्री जी समिति की कार्यवाहियों के विषय में संतोषजनक उत्तर दें।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान् मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सदन के बहुत से सदस्यों ने समिति के कार्यों और दोषों पर प्रकाश डाला है। मेरे विचार में इस छोटे से विधेयक के लिये समिति की कार्यवाहियों के संक्षिप्त विवरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। परन्तु इसका सुझाव उपाध्यक्ष महोदय ने दिया है और मैं यथाशीघ्र समिति के कार्यों की रूपरेखा दे दूंगा। पर इसके लिए इस विधेयक को न रोका जाए।

यह गलत बात है कि इस विधेयक द्वारा सरकार अधिक पैसा बटोरना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है। कर बढ़ाने तथा समिति की आय बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। "मिल" की व्याख्या के परिवर्तन कर देने का संशोधन अवश्य है क्योंकि अभी बहुत सी मिलें कर अपवंचन करती हैं परन्तु इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार परोक्ष रूप से उत्पादकों से अधिक पैसा पाने का प्रयत्न कर रही है।

जहां तक समिति की कार्यवाहियों का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि उस से हम जो उचित आशाएं करते थे वे सब उसने पूरी नहीं की हैं। मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि मैं समिति की कार्यवाहियों का बड़े ध्यान से अध्ययन करूंगा और यदि मुझे दिखलाई पड़ा कि यह समिति व्यर्थ है तो मैं इसे बिना कोई हिचक के समाप्त कर दूंगा। यदि कुछ माननीय सदस्यों ने इस के दोष बतलाए हैं तो दूसरों ने इस के गुण भी बतलाए हैं। संभव है समिति को सफलता न मिली हो। यदि हम मूल अधिनियम की प्रस्तावना पढ़ें तो हमें समिति को स्थापित करने के उद्देश्यों का पता लग जाएगा। प्रस्तावना इस प्रकार है :

"नारियलों की कृषि का सुधार और विकास करने तथा नारियलों का विपणन तथा समुपयोजन करने के लिए एक निधि बनाने का उपबन्ध करने वाला अधिनियम।"

"भारत में नारियलों की कृषि का सुधार और विकास को तथा उनके विपणन तथा समुपयोजन के लिए विशेष रूप से गठित की गई समिति के लिए एक निधि का बनाना आवश्यक है।"

जिन उद्देश्यों से इस समिति की रचना की गई थी उन से किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। यह संभव है कि सात वर्षों में उसने सन्तोषजनक रूप से वह कार्य नहीं किया जिस की हम आशा करते थे। परन्तु कुछ उपाय अवश्य होंगे जिन के द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है इस समिति को सुधारना असम्भव न होगा।

समिति की कार्यवाहियों के पक्ष में बोलने वाले सदस्य बहुत कम थे। श्री सामन्त ने कहा था कि गवेषणा का कुछ कार्य हो रहा है। जैसा मैं कह चुका हूं कि समिति की कार्यवाहियों की जांच करने की आवश्यकता है। मैंने इस के लिए वचन भी दिया है।

कुछ बातें समिति के क्षेत्र के बाहर हैं जैसे नारियलों का मूल्य तथा आयात नीति। इस बात का सम्बन्ध मेरे माननीय मित्र वाणिज्य मन्त्री से है। पर यह एक पक्षीय बात नहीं है। मेरी समझ में सरकार तथा और नारियलों के उत्पादकों में कोई शत्रुता नहीं है। उत्पादकों के पक्ष में बोलते समय माननीय सदस्यों ने बहुत से छोटे छोटे लोगों का ध्यान नहीं रखा। जैसे साबुन-उत्पादक, नारियल के तेल के उपभोक्ता तथा अन्य लोग जो ऐसी वस्तुएं कम दर पर चाहते हैं अतएव वाणिज्य मन्त्री मध्यमार्ग की खोज कर रहे हैं जिस से कि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें तथा कृषि मन्त्रालय नारियलों के उत्पादकों के हितों के लिए लड़े।

श्रीमान् समिति उतनी आवश्यक नहीं है जैसा कि बताया गया है। समिति की कार्यवाहियों की जांच करना आवश्यक है जिस से कि नारियलों के उत्पादकों को नुकसान न हो; परन्तु समिति का मुख्य कार्य तो नारियलों की खेती का विस्तार करना, विपणन की नई विधियां बताना तथा जहां संभव हो, गवेषणा करना है। विपणन का एक उदाहरण श्री चाको ने दिया है। उस काम में अभाग्यवश समिति असफल रही है। सहकारी समितियों की सहायता से विपणन को प्रोत्साहन देने का उन्होंने प्रयत्न किया परन्तु श्री चाको के अनुसार इस कार्य में लगाया गया रुपया व्यर्थ गया है तथा उस से कोई लाभ नहीं हुआ है। संभवतया समिति ने इस प्रयास द्वारा यह कोशिश की थी कि नारियल के उत्पादकों को अच्छे दाम मिलें। सहकारी समितियों के सारे तथ्य अभी मेरे पास नहीं हैं अतएव मैं जांच नहीं कर सकता परन्तु मैं वचन देता हूं कि यदि इस प्रकार रुपया बर्बाद किया जाता है तो आगे इस प्रकार की कोई बात नहीं हो पाएगी।

जो अन्य सुझाव दिए गए हैं उन के बारे में मेरा कहना यह है कि मैं प्रत्येक बात की जांच करूंगा आप की शिकायत यह है कि लोकतन्त्र के जमाने में नामनिर्देशन नहीं होने चाहिएं। मेरा निवेदन यह है कि अब तक समितियों की जिस प्रकार से रचना की जाती है उसी प्रकार से इसकी भी रचना की गई है। अभाग्यवश निर्वाचन के लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं है। उत्पादकों, व्यापारियों और निर्माण करने वालों के संगठन बहुत नहीं हैं। निर्माण-करने वाले अवश्य ही कुछ संगठित हैं। नाम निर्देशन के स्थान पर मैं निर्वाचन कराना पसन्द करूंगा परन्तु आप मत किसे देंगे? उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या देश में भरोसे की समितियां, फैडरेशन या संगठन हैं? मेरे विचार में ऐसी कोई समितियां आदि नहीं हैं। अतएव मेरा निवेदन है कि समिति की कार्यवाहियों की जांच करते समय मैं यह कोशिश भी करूंगा कि विशेष रूप से उत्पादकों को कैसे संगठित किया जा सकता है। यदि कोई महान् बाधा उपस्थित न हुई तो मैं यथाशीघ्र इस बात का प्रबन्ध करूंगा कि समिति में चुने हुए भी कुछ लोग रहें।

उत्पादकों द्वारा चुने गए लोगों का अधिक महत्व है क्योंकि फिर वे उगाई गई फसल के बारे में दिलचस्पी लेंगे तथा उत्पादकों के हितों की रक्षा करने में सजग रहेंगे। अभी यह उत्तरदायित्व सरकार का है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या आप और संशोधन करेंगे?

डा० पी० एस० देशमुख : जी।

श्री एस० एस० मोरे : उस की क्या आवश्यकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें समय लगेगा।

डा० पी० एस० देशमुख : क्योंकि यह बात केवल इस समिति को ही नहीं अपितु

[डा० पी० एस० देशमुख]

सम्भव है सब समितियों को लागू होगी। कपास, जूट आदि के लिए भी समितियां हैं। केवल एक समिति के लिए वह बात करना ठीक न होगा। उद्देश्यों की पूर्ति में भी समय लगेगा। उसे एक दिन में नहीं किया जा सकता।

४ म० प०

नामनिर्देशित सभापति के विषय में भी सुझाव था। समिति के सदस्यों को सभापति चुनने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? श्री चाको की बात के जवाब में मुझे यह कहना है कि उत्पादकों के अधिक सदस्य उद्योगपतियों के कम सदस्यों को दबा देंगे। इसलिये सभापति का नामनिर्देशन करना आवश्यक है। यदि उनका कहना ठीक है तो अधिकांश मामलों में उत्पादकों के हितों की रक्षा न होगी। सरकार ऐसे व्यक्ति को सभापति न बनाएगी जो ठीक नहीं हो तथा जिस को श्री चाको ठीक न समझें। जिस उद्देश्य के लिए समिति की स्थापना की गई है तथा यह मालूम होते हुए कि हमें समिति से क्या काम लेना है, सरकार को सभापति नियुक्त करने की शक्ति देना न लोकतन्त्र के विरुद्ध है न खराब ही। यदि समिति के सब सदस्य चुने गए होते तो यह समझने की बात थी कि उन के ऊपर नामनिर्देशित व्यक्ति नहीं बिठाया जाना चाहिए परन्तु अभी तो अधिकांश सदस्य नामनिर्देशित ही हैं और यदि उन्हें सभापति चुनने का अधिकार दिया जाए तो कोई भेद नहीं पड़ेगा। इस दृष्टि से विधेयक में जो प्रस्ताव दिया गया है वह ठीक है। समिति के एक कर्मचारी का चुनाव करने से समिति में लोक तन्त्र की स्थापना नहीं हो जाएगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

माननीय मित्र श्री सामन्त बम्बई, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के पक्ष में बोले परन्तु नामनिर्देशन हटाने पर जोर देते हुए उन्होंने सुझाव दिया है कि बम्बई, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की सरकारों को एक एक प्रतिनिधि नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में उन्होंने एक संशोधन की सूचना भी दी है। उनके तर्कों में जो विरोध है उस की मैं चर्चा नहीं करता और उन्होंने बम्बई, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की सरकारों के प्रतिनिधियों के विषय में जो कुछ कहा उस से मुझे सहानुभूति है। मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा और शीघ्र ही अवसर पड़ने पर मैं उन तीन राज्यों के दावे पर विचार करूंगा।

अन्तिम भाषण श्री पाटसकर का था—अच्छा होता यदि वे यहां होते। पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन्होंने संख्या की गणना ध्यान से नहीं की। अभी समिति में २६ सदस्य हैं। उन के अनुसार अभी केवल २३ हैं और हम उन की संख्या बढ़ा कर २८ कर रहे हैं। अभी २६ सदस्य हैं तथा हम दो सदस्य और जोड़ रहे हैं इसी कारण हम श्री सामन्त के तीन सदस्य जोड़ने के उचित सुझाव को स्वीकार नहीं कर सके हैं क्योंकि श्री पाटसकर की तरह हमें भी भय है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाने से दक्षता में आनुपातिक वृद्धि नहीं होगी। संभव है दक्षता घट ही जाए। इसी कारण मैं श्री सामन्त का सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता। श्री पाटसकर के तर्क में अधिक बल नहीं है क्योंकि हम केवल दो सदस्य बढ़ा रहे हैं और आवश्यक कारणों से हम वैसा कर रहे हैं। समिति में हम विपणन मन्त्रणा दाता तथा आसाम सरकार का प्रतिनिधि जोड़ रहे हैं। अब तक समिति में आसाम का कोई प्रतिनिधि नहीं था। आसाम को प्रतिनिधित्व देने के विचार का श्री सामन्त ने भी स्वागत किया है। इन दो सदस्यों को हम जोड़ रहे हैं। बाकी मामलों में यह तो औपचारिक विधेयक

है । "मिल" की व्याख्या बदली जा रही है तथा एक खंड जोड़ा जा रहा है जिस के अनुसार मिल मालिक मिलों की सूचना देंगे । और कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है । दो-तीन खंडों में समिति के क्षेत्र को बढ़ा दिया है जिस से कि अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके ।

मैं पहिले कह चुका हूं कि मैं श्री दामोदर मेनन के संशोधन को स्वीकार कर लूंगा । वास्तव में वह काम पहिले ही किया जा चुका है तथा अनुकूलन आदेश के अनुसार श्री मेनन द्वारा सुझाए गए सपरिवर्तन पहिले से ही किए जा चुके हैं । वे ऊपरी तौर से दिखलाई नहीं दिए इसलिए मैंने समझा कि त्रावणकोर और कोचीन अलग अलग बताए गए हैं तथा उन के अलग अलग प्रतिनिधि हैं । इन्हें जोड़ने का काम पहिले ही किया जा चुका है अतएव अब श्री दामोदर मेनन के दोनों संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री दामोदर मेनन : मेरे नाम का एक और संशोधन है । क्या माननीय मन्त्री जी उसे स्वीकार करेंगे ।

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं । जैसा कि मैं बता चुका हूं उसका कारण यह है कि संसद् के सिवाय अन्यत्र कहीं पर भी चुनाव का सिद्धान्त नहीं है । यदि सदन की राय हो कि निर्वाचन-सिद्धान्त का अनुसरण किया जाए तो अन्यत्र क्षेत्रों में जहां प्रतिनिधित्व किया जाता है वहां भी इस सिद्धान्त का पालन करना पड़ेगा । ऐसी बातों पर खंडशः कार्य-वाही नहीं करनी चाहिए । राज्य का प्रति-निधि यदि विधान सभा का चुना गया व्यक्ति हो तो अच्छा होगा परन्तु अभी तक हम ने इस सिद्धान्त को और कहीं पर भी मान्यता नहीं दी है । केवल एक समिति में अपवाद करने से कोई लाभ न होगा जबकि अन्य समितियों में राज्य की सरकारों द्वारा नाम-निर्देशित लोग हों । अतएव मुझे खेद है कि मैं संशोधनों को स्वीकार न कर सकूंगा । क्योंकि उसे कोई लाभ नहीं होगा । अधिक महत्वपूर्ण खंडों का कोई संशोधन नहीं है । सदस्यों की संख्या तथा प्रतिनिधियों के बारे में ही संशोधन हैं । मुझे आशा है कि माननीय मित्र अपने संशोधनों पर जोर नहीं देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा वह स्वीकार किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडशः विचार किया जाए ।

खंड २—(१९४४ के १०वें अधिनियम की धारा २ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : खंड २ के लिए कोई संशोधन नहीं है अतएव मैं उसे मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वह स्वीकृत हुआ तथा खंड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ३—(१९४४ के १०वें अधिनियम की धारा ४ का संशोधन)

श्री एस० सी० सामन्त : मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देना चाहता फिर भी मैं मन्त्री जी के भ्रम को मिटाना चाहूंगा । मैं चाहता हूं कि सारे अधिनियम का संशोधन हो तथा निर्वाचन की व्यवस्था की जाए परन्तु जब तक यह सम्भव नहीं होता तब तक राज्यों का प्रतिनिधित्व उन के नामनिर्देशित व्यक्तियों द्वारा हो । अतएव मेरे कथन में कोई विरोध नहीं है ।

श्री पी० टी० चाको : मैंने इस खंड के दो वैकल्पिक संशोधन दिए हैं । दूसरा संशोधन समिति के सदस्यों के चुनाव के बारे में है । सरकार के द्वारा नाम निर्देशित किए गए व्यक्तियों का उपबन्ध दूसरे खंड में है । इसमें मैंने ६ अशासकीय व्यक्तियों के चुनाव का

[श्री पी० टी० चाको]

सुझाव दिया है जिन में से ३ लोक सभा तथा राज्य परिषद् द्वारा चुने जाएंगे। शेष तीन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जा सकते हैं। इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उत्पादकों का कोई संगठन नहीं है अतएव वे भले ही न चुने जायें। माननीय मन्त्री जी मेरा संशोधन स्वीकार कर लें।

डा० पी० एस० देशमुख : यह केवल एक समिति के विषय में नहीं किया जा सकता। यदि यह सिद्धान्त मान लिया जाता है तो सामान्य रूप से सब समितियों के गठन में इस को लागू करना पड़ेगा। मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा परन्तु अभी मैं इस पर विचार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना नहीं चाहते तो मैं इसे मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं करूंगा।

श्री दामोदर मेनन : मेरा भी एक संशोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रस्तुत नहीं हुआ।

श्री दामोदर मेनन : मैं उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अस्वीकृत नहीं हुआ। मैंने उसे सामने नहीं रखा।

इसके पश्चात् श्री के० के० वसु ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डा० पी० एस० देशमुख को वह स्वीकार्य नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय ने उसे प्रस्तुत किया तथा वह अस्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् श्री दामोदर मेनन ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डा० पी० एस० देशमुख ने कहा कि निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार करते समय उन का आशय त्रावणकोर-कोचीन राज्यों को मिलाने से था। उपाध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तथा वह अस्वीकार हुआ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: श्रीमान् मैं ने अपना संशोधन मन्त्री जी को दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप का संशोधन खंड ३ का है ? क्या माननीय मन्त्री उसे स्वीकार करते हैं।

डा० सी० एस० देशमुख : जी नहीं श्रीमान् मैं ने उसे देखा तक नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री को संशोधन स्वीकार न हो तो सूचना की शर्त पूरी होनी चाहिए।

श्री ए० सी गुहा : श्रीमान् मैं बता चुका हूं कि इस अधिनियम के अधीन वसूल किया गया उपकर आप से आप इस समिति को नहीं दिया जाना चाहिए। वह भारत की संचित निधि में जमा किया जाना चाहिए। उसके बाद भारत सरकार समिति को रुपया दे तथा उसका लेखा जांचे। वित्त मन्त्री ने ऐसा करने का आश्वासन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका खंड ३ से क्या सम्बन्ध है ?

श्री ए० सी० गुहा : खंड ३ से धारा ४ का संशोधन होता है। इस धारा की प्रस्तावना में यह बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस का अभी संशोधन नहीं किया जा रहा है।

श्री ए० सी० गुहा : पूरी धारा ४ का संशोधन हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं केवल कुछ भाग का संशोधन हो रहा है।

श्री ए० सी० गुहा : खंड (क) से (च) तक का। प्रस्तावना महत्वपूर्ण भाग है।

उपाध्यक्ष महोदय : वसूल किया गया रुपया संचित निधि में जमा किया जाए तथा बाद में वह समिति को दिया जाए । इसका धारा ४ से तो सम्बन्ध है परन्तु इसका संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है अतएव वह इस विधेयक की व्याप्ति से परे है ।

श्री ए० सी० गुहा : जब इस खंड का संशोधन किया जा रहा है तो यह ठीक होगा यदि उसकी त्रुटि मिटा दी जाए । कोयला संरक्षण तथा सुरक्षा अधिनियम और औद्योगिक विकास अधिनियम में यह किया गया है। उसी प्रकार का उपबन्ध मन्त्री जी इस अधिनियम में कर दें जिस से कि वसूल किया गया पैसा संचित निधि में जमा हो तथा समिति के लेखे की ठीक प्रकार से परीक्षा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय यह बात असंगत है ।

इस के पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ तथा खंड ३ ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४ से ६

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० एस० मोरे का एक संशोधन है । "छोड़ देना" ("Omitting")संशोधन नहीं है । मैं उन्हें बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान् मैं इस बात पर जोर देना चाहता था कि समितियों की रचना में लोकतन्त्र के सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाना चाहिए । इस सरकार के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि वे लोकतन्त्र के पक्ष में हैं परन्तु हमारा अनुभव यह है कि व्यवहार में तानाशाही की ओर उनकी प्रवृत्ति दीखती है । (**अन्तर्बाधा**) । यदि हम उन सब प्रस्तावों और उपबन्धों का विश्लेषण करें जिन्हें सरकार चाहती है तो पता लगेगा कि अधिशासी सरकार अधिक अधिक शक्ति चाहती है । जब सरकार को शक्ति का लालच होता है तब लोकतन्त्र खतरे में पड़ जाता है । श्री पाटसकर बड़े आश्चर्य में पूछते हैं कि सदस्यों की संख्या क्यों बढ़ाई जाए । उत्तर यह है कि कांग्रेस में बहुत से अवसरवादी तथा शक्ति के भूखे लोग आ गए हैं । उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए यथाशक्य अधिक पद बनाए जा रहे हैं । जनता के धन के बर्बाद होने की कोई चिन्ता नहीं की जाती ।

श्री चाको ने कहा कि ये समितियां कुछ कार्य नहीं करतीं । फिर क्यों इन समितियों को रखा जा रहा है ? इसलिए नहीं कि जनता के विभिन्न वर्गों का इस से हित हो अपितु इसलिए कि कांग्रेस दल के लोगों को पद दिए जाएं । मेरा निवेदन है कि कृषि गवेषणा परिषद् के उपसभापति को इस समिति का पदेन सभापति बना दिया जाए ।

श्रीमान् नाम निर्देश करने की शक्ति का कांग्रेस दल में जिस प्रकार उपयोग किया जाता है उसका एक उदाहरण मैं बम्बई राज्य से देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे राज्यों का उदाहरण न लीजिये ।

श्री एस० एस० मोरे : यह मेरा खुद का अनुभव है ।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : वे अपने अनुभव की बात कह रहे हैं क्या उन्हें प्रलोभन दिया गया था ?

श्री एस० एस० मोरे : जब मैं कांग्रेस में था तथा हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे । उस समय दल के लोगों को वयक्तिक लाभ पहुंचाने का कोई प्रश्न नहीं था श्री त्यागी को भी १५ अगस्त १९४७ के बाद ही इसका अनुभव हुआ होगा । बम्बई राज्य में.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप बम्बई राज्य का उदाहरण न दें ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान् मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी ने निर्वाचन के सिद्धान्त को मान लिया है तथा वे इस विषय में जांच करेंगे तथा समिति में कुछ निर्वाचित व्यक्ति भी रखेंगे । अभी कृषि परिषद् के उपसभापति को इस का सभापति रहने दीजिए और यदि ऐसा करने से उस के पास अत्यधिक कार्य भार हो जाए तो समिति के सदस्य सभापति चुन सकते हैं । संभव है कुछ लोग इस पद को चाहते हों तथा उन को सन्तुष्ट करने के लिए सरकार नामनिर्देश करने की शक्ति चाहती है । श्रीमान् मैं इस खंड का विरोध करता हूं ।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे मित्र ने जो कुछ कहा है उसके उत्तर की, मेरी समझ में, कोई आवश्यकता नहीं है । कांग्रेस दल तथा कांग्रेस सरकार के विरुद्ध में उन्हें जो कुछ कहना था वह उन्होंने कह दिया है तथा नारियल समिति के बहाने उन्होंने नए दुर्वचन कहे हैं । यदि वे इस समिति के गठन का विश्लेषण करें तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि यदि वे इस स्थान में होते तो वे वही बातें करते जिन का उन्हें भय है तथा जिन बातों को सरकार ने नहीं किया है ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान् मैं उन्हें नहीं समझ पाया ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, सरकार का इरादा कांग्रेसियों को पद देने का नहीं है । वे पद अच्छे हों अथवा बुरे या सामान्य । जहां तक इन समितियों की रचना का सम्बन्ध है वह बात नहीं कही जा सकती । जहां तक इस विधेयक और इस खंड का सम्बन्ध है वह आलोचना असंगत है ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा जो स्वीकृत हुआ । खंड ४, ५ और ६ विधेयक का अंग बना लिए गए ।

खंड १ विधयक में जोड़ा गया । नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गए ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा तथा वह स्वीकृत हुआ ।

भारतीय तिलहन समिति (संशोधन) विधेयक

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय तिलहन समिति अधिनियम १९४६ पर अग्रेतर संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाए ।"

यह विधेयक उस विधयक के समान ही है जो अभी पारित किया गया है । इस विधेयक में भी "मिल" की नई परिभाषा है । यह सुझाव दिया गया है कि :

' "मिल" का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां या जिसके भाग में शक्ति की सहायता से तिलहन पेरे जाते हैं ।'

"शक्ति" शब्द की भी व्याख्या की गई है ।

यहां समिति की रचना लगभग ज्यों की त्यों रहती है । भारतीय कृषि-गवेषणा परिषद् के उपप्रधान (Vice President) के नाम को छोड़ बहुत कम परिवर्तन किया गया है । वह अभी तक उपसभापति (Vice Chairman) कहलाता था ।

अन्य संशोधन भी हैं । हमने क और ख वर्ग के राज्यों का भेद मिटा दिया है । पहिले विभिन्न प्रकार के राज्य थे ; अब हम ने हैदराबाद मध्यभारत, राजस्थान और सौराष्ट्र के लिये भी एक एक प्रतिनिधि नियत किया है । अन्य

संशोधन शाब्दिक हैं। कोई बड़ा संपरिवर्तन करने का विचार नहीं है। उन से किसी प्रकार से समिति के स्वरूप और रचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक खंड द्वारा हम ने एक शब्द के वर्ण विन्यास को ही बदला है क्योंकि अब उस के वर्णविन्यास में परिवर्तन हो गया है। कानपुर पहले अंग्रेजी में Cawnpore लिखा जाता था; अब वह Kanpur लिखा जाता है। पहिले अधिनियम के अनुसार हम ने मुसलिम वाणिज्य संघ को प्रतिनिधित्व दिया था। अब वह संघ मिट गया है तथा संशोधन द्वारा अधिनियम के इस भाग को हटाया जा रहा है। निर्वाचन इत्यादि के बारे में जो सिद्धान्त हैं उन की चर्चा हो ही चुकी है और मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : परिषद का उपप्रधान इन सब वस्तुओं की समितियों का पदेन सभापति होगा। कितनी वस्तुओं की समितियां हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : बहुत ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह इन सब विषयों का विशेषज्ञ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : बात यह है कि अब सारी स्थिति बदलने वाली है। अलग उपप्रधान हो सकते हैं। इन समितियों के दो विभाग होते हैं--प्रशासन विभाग तथा गवेषणा विभाग यदि उपप्रधान विशेषज्ञ न भी हो तो भी वह प्रशासन सम्हालता है। गवेषणा विभाग को सम्हालने के लिए समिति में और लोग भी हैं। अतएव यह आवश्यक नहीं कि वह प्रत्येक बात का विशेषज्ञ हो। सब समितियां केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित होती हैं। अतएव यह अच्छी बात है कि वह व्यक्ति सब समितियों का प्रशासन सम्हाले जिसे सब समितियों के संचालन का ज्ञान हो। वह केवल प्रशासन सम्हालता है तथा वह विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता न गवेषणा में हस्तक्षेप करता है। गवेषणा के अधीक्षण तथा प्रशासन के अधीक्षण में भेद है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि इन समितियों के उप प्रधानों का नामनिर्देश करते समय वह केवल विशेषज्ञों को नियुक्त करेगी जो वास्तव में कुछ जानते हों तथा जनता में विश्वास पैदा कर सकते हों और उन्हें गुणों के आधार पर ही नियुक्त किया जायगा, दल का विचार कर नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस के कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार प्रत्येक काम के लिए अच्छे व्यक्ति चुनती है।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा जो स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर विचार करेंगे।

खंड २--(१९४६ के अधिनियम ९ की धारा २ का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक का अंग बना दिया गया।

खंड ३--(१९४६ के अधिनियम ९ की धारा ४ का संशोधन)

श्री के० के० बसु ने अपना प्रस्ताव रखा जिसे उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तावित किया। वह अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना दिया गया। खंड ४ और १, नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना दिए गए।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सम्पदा शुल्क विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"सम्पदा शुल्क लगाने और वसूल करने का उपबन्ध करने वाला विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए । समिति में ये लोग हों--श्री अनन्तशयनम् आयंगार, श्री खंडूभाई कासनजी देसाई, श्री नरहर विष्णु गाडगिल, श्री देव कंड बरुआ, श्री आर० वेंकटरामन्, श्री नित्यानन्द कानूनगो, श्री फ़ीरोज़ गांधी, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री बसन्त कुमार दास, श्री बलवन्तराय मेहता, प्रो० श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमती अनुसुईया बाई काले, श्री पी० टी० चाको, श्री एन० केशवैयंगार, श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या श्री एस० सिन्हा, श्री सी० डी० पांडे, श्री टेकचन्द, श्री हरिहर नाथ शास्त्री, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, श्री सदत अली खां, श्री राधेश्याम रामकुमार मोरारका, श्री कामाख्या प्रसार त्रिपाठी, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, श्री के० ए० दामोदर मेनन, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री तुलसीदास किलाचन्द, परम भट्टारक महाराज, श्री कर्णी सिंह जी बहादुर बीकानेर, श्री वी० पी० नायर, श्री कमल कुमार बसु, डा० लंका सुन्दरम, श्री बी० आर० भगत, श्री महावीर त्यागी, और प्रस्तावक । अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक समिति अपनी रिपोर्ट दे दे ।"

श्रीमान् इस विधान का इतिहास बहुत पुराना तथा विशृंखल है । १९२५ में करारोपण जांच समिति ने इस शुल्क के लगाने की सिफारिश की थी पर भावी संवैधानिक चर्चाओं के कारण उस विषय को नहीं लिया गया । बाद में जब ऐसे विधान बनाने का इरादा हुआ तब मालूम हुआ कि इस बात पर भारत शासन अधिनियम से यह स्पष्ट नहीं होता कि केन्द्रीय विधान सभा को सम्पदा शुल्क लगाने के विधान को बनाने की शक्ति है अथवा नहीं । ब्रिटिश संसद् द्वारा भारत शासन अधिनियम का संशोधन करने से वह कठिनाई बाद में मिट गई तथा १९४६ में सम्पदा शुल्क लगाने का विधेयक पुरःस्थापित किया गया । समयान्तर से वह विधेयक व्यपगत हो गया । १९४८ में दूसरा विधेयक फिर से पुरःस्थापित किया गया तथा वह प्रवर समिति के प्रक्रम तक पहुंचा । प्रवर समिति ने उस पर ध्यान से विचार किया तथा अपनी रिपोर्ट दी । वह प्रतिवेदन सदन के समक्ष मार्च १९४९ में रखा गया परन्तु विधान का अन्य बहुत सा काम होने से उस पर आगे विचार नहीं किया जा सका । अन्तर्कालीन संसद के समाप्त होने पर यह विधेयक भी व्यपगत हो गया ।

पिछले विधेयक को प्रवर समिति ने जिस रूप में पेश किया था उस की रूपरेखा का ही इस विधेयक में अनुसरण किया गया है । यह गत अगस्त में पुरःस्थापित किया गया था । मैं सोचता था कि इसे फिर से प्रवर समिति को नहीं सौंपना पड़ेगा परन्तु और विचार करने के पश्चात् मैं ने सोचा कि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है अतएव अच्छा होगा यदि चुने गए नए सदन को प्रवर समिति इस विधेयक पर विचार करे । अभी विधेयक के विस्तृत प्रावधानों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । उस की स्थूल रूपरेखा देना ही पर्याप्त होगा । वह मैं अभी दूंगा । अभी उद्देश्य केवल यह है कि सदन इस विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों को स्वीकार कर ले ।

उद्देश्य और कारणों के विवरण को देखने से पता चलेगा कि सामाजिक दृष्टि से यह विधेयक उचित है । धन के असम वितरण की वर्तमान विषमताओं को हटाने की दिशा

में यह एक ठोस कदम है । कुवितरण को कुछ हद तक ठीक कर अधिक मान्य सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना इसका उद्देश्य है । आर्थिक दृष्टि से भी यह उचित है । सरकार को अपनी विकास-योजनाओं का वित्तप्रबंधन करने में यह एक सीमा तक सहायक होगा । योजना आयोग ने अपने प्रारूप की रूपरेखा में भारत में मृत्यु कर के लिए यथाशीघ्र विधान बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था । मेरे विचार में इस विषय में उन के मत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

भारत ख राज्यों के वित्तीय संमिलन के कारण यह विधेयक भाग ख राज्यों पर भी लागू होता है । पहला विधेयक इन पर लागू नहीं होता था । जम्मू और कश्मीर इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं ।

सदन को मालूम है कि खेती की भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाना राज्य विधान-सूची में आता है परन्तु पिछले विधेयक की प्रवर समिति के सुझाव पर तथा कृषिभूमि के सम्पदा शुल्क के आरोपण और उदग्रहण में भाग क और ख राज्यों में एकरूपता लाने की दृष्टि से भारत सरकार ने सब राज्यों से प्रार्थना की कि उनकी ऐवज में विधान बनाने के लिए उसे प्राधिकार दिया जाए । जिन राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद २५२ के अधीन आवश्यक संकल्प पारित किए हैं वे अनुसूची में दिए गए हैं । अन्य राज्य जब और जैसे जैसे ऐसे संकल्प पारित करते जाएंगे तब और वैसे वैसे अधिसूचना द्वारा अनसूची में मिला लिए जायेंगे । अनुसूची में राज्यों को मिलाने का प्रभाव यह होगा कि प्रस्तुत अधिनियम के अन्तर्गत उस राज्य में कृषिभूमि पर सम्पदा शुल्क लगाया जा सकेगा । पश्चिमी बंगाल, त्रावणकोर-कोचीन और सौराष्ट्र को छोड़ अन्य सब राज्यों ने अपनी ऐवज में केन्द्रीय सरकार को विधान बनाने की शक्ति सौंपना स्वीकार कर लिया है ।

श्रीमान् मृत्यु शुल्क मनुष्य की मृत्यु के बाद उस सम्पत्ति पर लगाया जायेगा जिसे वह किसी को भी दे सकता था । भारत के बाहर और जम्मू तथा कश्मीर राज्य में जिस किसी की अचल सम्पत्ति होगी, चाहे वह भारत का अधिवासी हो अथवा नहीं, उस पर यह अधिनियम लागू न होगा । भारत के अधिवासी की चल सम्पत्ति पर यह शुल्क लगाया जाएगा चाहे वह भारत में हो अथवा अन्यत्र । पिछले विधेयक में प्रवर समिति ने आय कर अधिनियम के अनुसार वास की कसौटी भी निकाली थी जिस के द्वारा चल सम्पत्ति पर वैकल्पिक आधार पर शुल्क लगाया जा सके । इसका प्रभाव यह होगा कि यदि कोई विदेशी यहां १८२ दिन रह कर अधिवासी बन जाए और भारत में आने के एक वर्ष के अन्दर यदि वह मर जाए तो उसकी सारी विदेशी चलसम्पत्ति पर भारत सरकार द्वारा शुल्क लगाया जा सकेगा । इस पर फिर से विचार करने पर प्रस्तुत विधेयक में हमने इस कसौटी को छोड़ दिया है क्योंकि हमने सोचा कि वैसा करने से संभवतया भारत में विदेशी टैक्नीशियन न आयें । भारत के औद्योगिक विकास के लिए हमें उनकी बहुत आवश्यकता है ।

अब मैं विमुक्तियों और सहायता की चर्चा करूंगा जिन का इस विधेयक में उपबन्ध है । जल्दी जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण एक ही सम्पत्ति अथवा व्यवसाय पर बार बार सम्पदा शुल्क देने से कठिनाई न हो इसके लिए शुल्क में १० से ले कर ५० प्रतिशत तक छूट देने का उपबन्ध किया गया है । वह इस बात पर निर्भर रहेगा कि पहली मौत होने के बाद दूसरी मौत कब हुई ? वह एक साल के भीतर हुई अथवा दो, तीन, चार अथवा पांच साल के भीतर । विधेयक में केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति देने का उपबन्ध है कि वह किसी भी वर्ग के मनुष्य की किसी भी वर्ग की सारी या कुछ सम्पत्ति पर लगाए गए

[श्री सी० डी० देशमुख]

शुल्क की छूट दे दे या उसे कम कर दे। इस के कारण आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय सरकार उचित मामलों में सहायता कर सकेगी। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए दी गई सम्पत्ति, संघ की सेवा में मारे गए सामान्य सैनिकों और नाविकों की सम्पत्ति पर लगाए गए शुल्क के मामलों में छूट देना संभव हो जाएगा। किसी वर्ग के मामलों या कारणों में अनिच्छित कठिनाई न हो, इस उद्देश्य से करारोपण के नए विधान में इस प्रकार का उपबन्ध आवश्यक है।

जैसा कि आयकर में होता है सम्पदा-शुल्क की दरें तथा विमुक्ति-सीमाएं वार्षिक वित्तीय अधिनियम में दी जाएंगी। जब दरें निश्चित की जाएंगी तब इस विषय पर चर्चा करने का सदन को पर्याप्त अवसर मिलेगा।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : मरने की साल चुनने का मौका भी ?

श्री सी० डी० देशमुख : अन्य देशों में भी वार्षिक वित्तीय अधिनियम द्वारा दरें निश्चित करने की प्रथा है। वे दरें भावी होंगी अर्थात् दरें निश्चित होने के पश्चात् मरने वाले लोगों की सम्पत्ति पर ही वे लागू होंगी। आय कर की दरों के समान, जो कि पिछले वर्ष की आय पर लागू होती हैं, वे भूतलक्षी न होंगी।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : इस विधान के पारित होने के बाद तथा दरें निश्चित होने की तिथि के बीच की अवधि में क्या होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : कुछ नहीं होगा क्योंकि दरें ही निश्चित नहीं की गई।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : कोई नहीं मरेगा।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य देखेंगे कि पिछले विधयक के समान इस विधेयक में अल्पतम विमुक्ति सीमा नहीं दी गई है। पिछले विधेयक में यह उपबन्ध क्यों था यह मैं नहीं कह सकता।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : क्या आप तब कह सकते थे ?

श्री सी० डी० देशमुख : कोई न कोई अवश्य ही कह सकता था।

संभवतया यह कारण हो सकता है कि विधेयक में ही अल्पतम सीमा देने से उस बात का महत्व बढ़ जाता है। इस देश में तथा अन्य देशों में इस प्रकार के करारोपण में यह चाल है कि विमुक्ति-सीमा तथा शुल्क की दरें वित्त-अधिनियमों में विहित की जाती हैं। सम्पदा शुल्क की अल्पतम विमुक्ति-सीमा के विषय में इसी चाल को मानने का मेरा इरादा है।

अकसर यह कहा जाता है कि इस शुल्क के कारण भारत के उस हिन्दू संयुक्त परिवार का नाश हो जायगा जो निश्चित रूप से अभी तक बना रहा है तथा जो बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिन्दू कोड बिल के विरुद्ध भी संभवतया यही आपत्ति थी क्योंकि उस में यह उपबन्ध था कि मिताक्षर को मानने वाले संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रत्येक सदस्य का हिस्सा निश्चित कर दिया जाए। पहिले विधेयक को स्थगित कर देने का एक कारण यह भी था कि यदि हिन्दू कोड बिल पारित हो जाए तथा संयुक्त परिवार के सदस्यों का हिस्सा निश्चित हो जाए तो ऐसे परिवार के लोगों पर सम्पदा शुल्क लगाना सरल हो जाएगा। हिन्दू कोड बिल के इस प्रश्न पर चाहे जो विनिश्चय हो परन्तु व्यपगत सम्पदा शुल्क की प्रवर समिति ने इस कठिनाई से बचने के लिये विधेयक के उपबन्धों में आवश्यक परिवर्तन कर दिए थे जिस से कि न्यूनतम कठिनाई हो। उन्होंने यह उपबन्ध किया था कि मृत्व्यक्ति का संयुक्त सम्पत्ति

में जितना उचित हिस्सा होगा उस पर शुल्क लगाया जाएगा तथा संयुक्त सम्पत्ति के टुकड़े करने तथा अन्य सदस्यों के हितों को समाप्त करने की कोई आवश्यकता न पड़ेगी। मिताक्षर तथा ऐसे अन्य क़ानून को मानने वाले परिवारों में उत्तरजीवी सदस्यों के हितों में किसी व्यक्ति के मरने से जितनी वृद्धिहोगी उस पर शल्क लिया जायगा यदि मृतव्यक्ति १८ साल से ज्यादा का हो गया हो। अल्पवयस्क व्यक्ति से शुल्क तब लिया जायगा जब कि उसका पिता अथवा पिता के वंश में कोई भी परिवार की सम्पत्ति का भागी नहीं हो। अवयस्क व्यक्ति की मृत्यु पर कोई शुल्क नहीं लिया जायगा यदि उसका पिता अथवा पिता के वंश का कोई व्यक्ति संयक्त परिवार की सम्पत्ति का भागी हो।

अपने पति की मृत्यु के बाद सात साल के अन्दर यदि कोई विधवा मर जाए तो सम्पत्ति के भागियों को शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस दशा में यदि पति की मृत्यु के बाद शुल्क दे दिया गया है तो उस की विधवा के मरने के बाद संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों को प्राप्त सम्पत्ति पर शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

सम्पदा शुल्क लगाने पर बहुत लोगों ने आपत्ति की है। उन का कहना है कि इससे पूंजी निर्माण में बाधा पहुंचेगी तथा कम्पनियों में लोग पैसा नहीं लगाएंगे। इस विधान से आरम्भ में संभवतया यह हो सकता है परन्तु फिर भी यह परिणाम कर की दरों तथा विमुक्ति-सीमा पर निर्भर रहेगा। ऐसे मामलों में हमें अन्य देशों के अनुभवों से ही सहायता लेनी चाहिए जहां मृत्यु-शुल्क लगाया जाता है। यह पर्याप्त स्पष्ट है इन शुल्कों के वित्तीय तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पूंजी निर्माण में बाधक नहीं होते तथा उससे वैयक्तिक उपक्रम को भी बाधा पहुंचती है। संयुक्त स्कन्ध समवाय बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्था का महान अंग होती है। उन पर मृत्यु-शुल्क का प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ वैयक्तिक व्यापारियों के पास संभवतया मृत्यु-शुल्क देने के लिए व्यापार की पूंजी के अतिरिक्त नक़द पैसा न हो। ऐसे मामलों में अथवा किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने से शायद व्यापार समाप्त करना पड़े तथा अन्य संबंधित लोगों की साख पर इस का प्रभाव पड़े। मृत्यु-शुल्क ने के लिए व्यापार की कुछ सम्पत्ति बेचनी पड़े या कर्ज़ लेना पड़े। फिर भी यदि शुल्क देने के कारण कोई वैयक्तिक संस्था लोक सीमित समवाय बन जाए तो बुरी बात न होगी।

दूसरी बात यह स्मरण रखनी चाहिए कि विनियोजन में अधिक आय के पूंजीपतियों का उतना महत्व नहीं है जितना मध्यम वर्ग के बहुत से लोगों का है। हमें आशा है कि, इन लोगों पर सम्पदा शल्क का भार सामान्यतया बहुत कम होगा।

कुछ समाचार पत्रों में यह कहा गया है कि करारोपण जांच समिति नियुक्त होने वाली है अतएव उस समिति की रिपोर्ट आने तक इस विधेयक को रोक लेना चाहिए। मैंने इस सुझाव पर बड़े ध्यान से विचार किया है तथा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वैसा करना न आवश्यक है न वांछनीय ही। किसी न किसी रूप में चालीस देशों में मृत्यु कर लगाया जाता है। इन देशों में लगभग सभी प्रगतिशील देश तथा कुछ कम विकसित देश जैसे दक्षिण अफ़्रीका और ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश जैसे मलाया राज्य संघ, हांगकांग, ब्रिटिश गायना, फाकलैंड द्वीप, फिजी, सिरालोन शामिल हैं। हमारे पड़ौसी राज्यों में सिंहल में सन् १९१९ से तथा पाकिस्तान में गत ३ वर्षों से यह शुल्क लगाया जा रहा है। यह एक मान्य कर है जिसे अब नहीं रोका जा सकता।

[श्री सी० डी० देशमुख]

दूसरी बात यह है कि योजना आयोग ने अपनी योजना के प्रारूप में सकल संसाधनों का लेखा करते समय इस स्रोत से प्राप्त होने वाली राशि को भी मिलाया है। यदि हम करारोपण जांच समिति की रिपोर्ट के लिए ठहरेंगे तो पंचवर्षीय योजना में राज्यों की सरकारें इस स्रोत का लाभ न उठा सकेंगी।

सदन को मालूम है कि यह कर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की ओर से लगाएगी। कुछ राज्यों की शिकायत यह है कि यद्यपि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन को केन्द्र से जो सहायता मिलेगी वह उस राज्य से प्राप्त होने वाले मृत्यु-शुल्क पर आधारित है फिर भी केन्द्रीय सरकार ने मृत्यु-शुल्क लगाने की कोई कायवाही नहीं की है। इन कारणों से मेरे विचार में हम वर्तमान विधान को नहीं रोक सकते। यदि करारोपण जांच समिति क़ानून में अथवा दरों में परिवर्तन कर देने का सुझाव देगी तो उन का उचित समय पर हम विचार करेंगे और यदि सम्भव हुआ तो उन्हें प्रभावी बनाएंगे।

राज्यों को राजस्व सौंपने के विषय में इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है। जहां तक खेती की भूमि पर लगाए गए शुल्क का सम्बन्ध है वह राशि उस राज्य की सरकार को सौंप दी जाएगी जिस राज्य की भूमि से शुल्क वसूल किया गया है। खेती की भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति से प्राप्त वास्तविक आय को राज्यों में संविधान के अनुच्छेद २६९ के अधीन उन सिद्धान्तों के अनुसार बांटा जाएगा जो भविष्य में संसद निश्चित करे।

शायद माननीय सदस्य जानना चाहते हों कि मैं इस विधान से क्या आशा करता हूं। जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं, सामाजिक और आर्थिक। यह सत्य है कि वित्तीय तरीकों से एकदम या अल्पविधि में आर्थिक असमता नहीं घटाई जा सकती। इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है क्योंकि मृत्यु-शुल्क का सम्बन्ध धन के असम वितरण के परिणामों से होता है। उस के कारणों से नहीं। हां यह सत्य बात है कि बड़ी सम्पत्ति के टुकड़े कर देने से तथा उत्तराधिकार में पाई गई सम्पत्ति कम कर देने से धन की असमता कम होगी। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह विधान उन प्रगतिशील विधानों में से है जो इस व्यवस्था के विरुद्ध नहीं जाते।

मुझे आशा है कि कोई भी यह आशा नहीं करेगा कि इसका जादू का सा असर होगा। भविष्य में दरों को अधिक प्रगामी करने से धन के समवितरण करने में अधिक प्रभावी सिद्ध होगी।

वित्तीय असर के बारे में मेरा कहना यह है कि इस स्रोत से लगभग कितनी आय प्राप्त होगी इस का अनुमान तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि दरें निश्चित नहीं हो जातीं। फिर भी यह कर ही इस प्रकार का है कि कुछ हद तक इस से प्राप्त आय का अनुमान लगाना कठिन है। कितने लोगों की सम्पत्ति अल्पतम राशि (जिसे विमुक्त किया जाएगा) से अधिक है यह हमें नहीं मालूम। अल्पतम राशि भी हमें निश्चित करना है। विभिन्न राशि की सम्पत्ति वालों में से प्रत्येक वर्ष कितने लोग मरेंगे यह कहना भी कठिन है। निश्चित अवधि में एक सम्पत्ति का तीन बार हस्तान्तरण हो सकता है। इसके विपरीत यह भी सम्भव है कि दूसरी सम्पत्ति का उस अवधि में एक बार भी हस्तान्तरण न हो। अतएव अभी मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा। केवल यही कहूंगा कि इससे राज्य के संसाधनों की थोड़ी वृद्धि नहीं होगी।

इस के पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने औपचारिक रूप से प्रश्न प्रस्तुत किया और कहा कि उस पर कल विचार किया जाएगा।

चीनी (अस्थाई अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चीनी पर अस्थायी काल के लिए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने और वसूल करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखा जो स्वीकृत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार ६ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।